लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
18-6-72
Fumigated
On 30.12.83
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 49—गुरुवार, 28 अप्रैल, 1966/8 वैशाख, 1888 (शक)

No. 49—*Thursday, April* 28, 1966/*Vaishakha* 8, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1394	गंडक परियोजना	Gandak Project . . .	7519-21
1395	भारत की तीसरी योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये विश्व बैंक का दल	World Bank Team to assess India's Third Plan achievements .	7521-24
1396	स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Experts Committee on School Children's Health .	7524-25
1397	रक्षा बचत पत्रों के रूप में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि	Increments to Employees in form of Defence Savings Certificates .	7526-27
1399	स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन	Violation of Gold Control Rules .	7527-29
1400	जीवन बीमा निगम द्वारा गृह-निर्माण के लिये ऋण	L.I.C. House-Building Loans .	7529-31
1401	चौथी योजना का प्रारूप	Draft Fourth Plan . . .	7531-33
1402	राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिये योजनाएं	Schemes for Inclusion in State Plans	7533-35
1403	भारत की विदेशी बकाया राशि	India's Foreign Balances . .	7535-36

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
22	सियालकोट क्षेत्र में 36 एकड़ भूमि पर पाकिस्तानी दावा	Pakistani Claim on 36 Acre Area in Sialkot Sector . . .	7536-40

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1398	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Punjab	7540-41
1404	जोधपुर कमर्शल बैंक	Jodhpur Commercial Bank	7541

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—65 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1405	केरल में बिजली में कटौती	Power Cut in Kerala . .	7541–42
1406	राज्यों में बिजली क्षमता	Power Capacity in States . .	7542
1407	बच्चें को आंख की बीमारियां	Eye Diseases of Children . .	7542–43
1408	समय से पूर्व सेवा निवृत्ति	Premature Retirement . .	7543
1409	बर्ड एण्ड कम्पनी	Bird and Company . . .	7543–44
1410	ब्यास परियोजना	Beas Project	7544
1411	उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष	Financial Year in U.P. . .	7544–45
1412	दिल्ली में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Delhi	7545
1413	भारत और जापान के आर्थिक विकास सम्बन्धी दल का प्रतिवेदन	Report of Team on Economic Development of India and Japan	7545–46
1414	आस्ट्रेलिया में भेजे गये भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers sent to Australia	7546
1415	बैंकों के कार्य पर नियंत्रण	Control on Working of Banks .	7546
1416	भाखड़ा नंगल परियोजना	Bhakra Nangal Project . .	7547
1417	कृष्णा तथा गोदावरी नदियों का जल	Krishna and Godawari Waters .	7547
1418	चौथी योजना के लिये फ्रांस से सहायता	French Assistance for Fourth Plan	7547
1419	विदेशी सहयोग तथा विनियोजन	Foreign Collaborations and Investment	7547–48
1420	विकास के लिये जर्मन बैंक से ऋण	Loan from German Bank for Development	7548
1421	रूसी सहायता	Soviet Assistance	7548–49
1422	आस्ट्रेलिया के सिक्कों का बनाया जाना	Minting of Australian Coins .	7549

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4560	हरिके पाटन से नई नहर	New Canal from Harika Patan .	7549
4561	नेय्यर बांध	Neyyar Dam	7550
4562	केरल विद्युत बोर्ड	Kerala Electricity Board . .	7550
4563	केरल बिजली बोर्ड	Kerala Electricity Board . .	7551
4564	बिजली पारेषण ट्रांसमिशन लाइन	Power Transmission Line . .	7551
4565	बिहार में औद्योगिक आवास योजना	Industrial Housing Scheme in Bihar	7552
4566	गर्भनिरोधक पदार्थों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Contraceptives	7552
4567	महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Maharashtra	7552–53
4568	दवाला हल्टी (मद्रास) में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आदर्श कल्याण शिक्षण केन्द्र	Model Welfare Training Centre for Scheduled Tribes in Davala Halty (Madras) . . .	7553

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4569	केरल में कोढ़ सर्वेक्षण	Leprosy Survey in Kerala	7553
4570	केरल में महिला उपचर्या (नर्सिंग) प्रशिक्षणार्थी	Women Nursing Trainees in Kerala	7553-54
4571	केरल में अन्धे व्यक्तियों को रोजगार दिलाना	Settlement of Blind Persons in Kerala	7554
4572	महाराष्ट्र में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Maharashtra	7554-55
4573	मद्रास के विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्तियां	Central Scholarships for Madras Students	7555
4574	हैजा निरिक्षक	Cholera Inspectors . . .	7555-56
4575	केरल के क्विलोन जिले में तपेदिक के रोगी	T. B. Patients in Quilon District (Kerala) . . .	7556
4576	केरल में चेचक	Small Pox in Kerala	7556
4577	नागरिक केन्द्र (सिविक सेंटर) दिल्ली	Civic Centre, Delhi . . .	7556-57
4578	नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान	Accommodation for Employees of Comptroller and Auditor General's Office . . .	7557
4579	नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक के कार्यालय में अधिकारी	Officers in Comptroller and Auditor General's Office .	7557-58
4580	पलाई सैंट्रल बैंक	Palai Central Bank	7558
4581	विदेशों में चिकित्सा कराने के लिये विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Foreign Exchange granted for Medical Treatment Abroad	7558
4582	उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in U.P. . . .	7559
4583	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने लिये ऋण का दिया जाना	Grant of Housing Loans for Central Government Employees in U.P.	7559
4584	उत्तर प्रदेश में कोढ़ नियंत्रण केन्द्र	Leprosy Control Centres in U.P.	7559-60
4585	सरकारी कार्यालयों का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Government Offices	7560-61
4586	केरल में प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को सहायता	Assistance to Trained Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Kerala	7561
4587	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार	Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	7561-62
4588	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के संबंध में विचार गोष्ठी	Seminar on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	7562
4589	निर्धन लोगों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Poor .	7563
4590	गंगा नदी का मार्ग परिवर्तन	Changing Course of the Ganges .	7563-64

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4591	नगर तथा ग्राम आयोजन संबंधी अखिल भारतीय गोष्ठी	All-India Seminar on Town and Country Planning . . .	7564
4592	जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में धन का लागाया जाना	L.I.C. Investments in Orissa	7564
4593	उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Orissa	7565
4594	आपातकाल के कारण सरकारी कर्मचारियों से अधिक समय तक काम लेने के लिये समयोपरी भत्ते का दिया जाना	Payment of Overtime for increased hours of work due to Emergency to Central Government Employees	7565
4595	बाग कड़े खां, दिल्ली	Bagh Kade Khan, Delhi . .	7566
4596	चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Medical Education and Training	7566
4597	छोटा नागपुर के आदिम जाति लोगों द्वारा प्रव्रजन	Migrations by Tribals in Chhota Nagpur	7567
4599	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	7567
4600	कोटा में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर)	Technical Training Centre in Kotah	7567–68
4601	दिल्ली में हवाई अड्डों पर सीमेंट की बोरियों की चोरी	Theft of Cement Bags at Airports in Delhi	7568
4602	पंजाब के लिये सिंचाई और विद्युत अनुसन्धान योजनाएं	Irrigation and Power Research Schemes for Punjab . .	7568
4603	मैसूर में दुर्भिक्ष सहायता संबंधी उपाय	Famine Relief Measures in Mysore Dam	7568–69
4604	लक्कादीव द्वीपसमूह में अस्पताल	Hospitals in Lacadive Islands .	7569
4605	वजहनी बांध	Vazhani	7569–70
4606	पंडित नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद की मूर्तियां	Statues of Pandit Nehru and Dr. Rajendra Prasad . . .	7570
4607	एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी	Advance Insurance Company .	7570
4608	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पहाड़गंज	C.G.H.S. Dispensary, Paharganj	7570–71
4609	अनुग्रह निधि नियम	Compassionate Fund Rules .	7571
4610	उत्तर प्रदेश की बिजली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for U.P. Power Projects	7572
4611	महाराष्ट्र में भू-जलविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण	Geo-hydrological Survey in Maharashtra	7572
4612	झुग्गियों के निवासियों में छूत के रोग	Contagious Diseases among Residents of Jhuggis . .	7572–74
4613	सूत पर उत्पादन-शुल्क	Excise Duty on Yarn . .	7574
4614	कोटा में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	Technical Training Centre at Kotah	7575

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4515	पुरुषों तथा महिलाओं के लिये समान सिविल संहिता	Common Civil Code for men and women	7575
4616	संसद सदस्यों के आवास क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या	Insufficient staff of Electricity Department in M.P.s' Residential Areas . . .	7576
4617	संसद सदस्यों के लिये मेज पंखे	Table Fans for M.Ps.	7576–77
4618	भारत में आयुर्वेदिक पद्धति	Ayurvedic System in India . .	7577
4620	आन्ध्र प्रदेश में पेय जल की कमी	Drinking Water Shortage in Andhra Pradesh	7577
4621	कृषि पुर्वित्त निगम	Agricultural Refinance Corporation	7577–78
4622	दिल्ली में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in Delhi . .	7578
4623	उज्जैन जिले में आय कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears in Ujjain District	7578
4624	रिजर्व बैंक की ऋण संकोच नीति	Reserve Bank's Policy of Credit Squeeze	7579
4625	कोयना परियोजना	Koyna Project	7579
4626	कैंसर के इलाज के लिए टीका (वैक्सीन)	Vaccine for treatment of Cancer	7580
4627	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के अधिकारियों के विरुध्द शिकायत	Complaint against Officers of Goververnment of India Press, Aligarh .	7580
4628	सरकारी आवास नियतन सम्बन्धी नियम	Allotment Rules for Government Accommodation	7581
4630	बम्बई में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा निषिद्ध वस्तुों का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband articles by Excise Officials in Bombay.	7581
4631	न्यू मोती नगर में जल संभरण	Water Supply in New Moti Nagar	7581–82
4632	नगरपालिका क्षेत्रों में नाली व्यवस्था के लिये अनुदान	Grants for Drainage in Municipal Areas	7582
4633	बिहार में प्रेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें बिछाने के लिए अनुदान	Grant for laying Transmission Lines in Bihar	7582–83
4634	दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries in Delhi.	7583
4635	स्टाफ कारें	Staff Cars .	7583
4636	आदिम जाति लोगों का कल्याण	Welfare of Tribals . .	7583–84
4637	विश्व आर्थिक सम्मेलन	World Economic Conference	7584
4638	पौधा संरक्षण के लिये तकनीकी सामग्री का आयात	Import of Technical Material for Plant Protection . . .	7584
4639	वल्लभगढ़ में व्यापक ग्राम स्वास्थ्य परियोजना	Comprehensive Rural Health Project at Ballabhgarh .	7584
4640	दिल्ली अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by Delhi Hospital Employees, Union	7585

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance— .	
अमरावती में बीजों से तेल निकालने के संयंत्र में विस्फोट	Explosion in Seed Oil Entraction Plant at Amravati . . .	7585–89
लुमडिग तथा डीफू स्टेशनों पर रेलगाड़ियों में विस्फोट	Explosions in Railway Trains at Lumding and Diphu . .	7589–93
सभा-पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	7593–94
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	
कार्यवाही सारांश तथा पांचवां प्रतिवेदन	Minutes and Fifth Report—	7594
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
सतासीवां प्रतिवेदन	Eighty-seventh Report . .	7594
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
एक सौ सातवां प्रतिवेदन	Hundred and seventh Report	7594
बम्बई में छापे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 750	7594–95
एशियाई विकास बैंक विधेयक—पुरःस्थापित	Asian Development Bank Bill—Introduced	7595
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
गृह-कार्य मंत्रालय—	Ministry of Home Affairs—	
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray .	7595–96
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	7596–97
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	7597–99
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	7599
श्री हाथी	Shri Hathi	7600–01
श्री मनोहरन	Shri Manoharan . .	7601–02
श्री महेश दत्त मिश्र	Shri Mahesh Dutta Mistra .	7602–04
डा० सारादीश राय	Dr. Saradish Roy .	7604
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitrai Nigam .	7604–05
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari . .	7605
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	7606
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . .	7607–08
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja .	7608–09
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen . . .	7609–10
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	7610–11
अन्तर्राज्य नदी जल विवादों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Disscussion re: Inter-State River Water Disputes—	
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy	7612

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 28 अप्रैल, 1966/8 वैशाख, 1888 (शक)

Thursday, 28th April, 1966/Vaisakha 8, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गंडक परियोजना

+

*1394. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न में आत्म निर्भरता पर बल देने के परिणामस्वरूप गंडक परियोजना के काम में कोई परिवर्तन किये गये हैं ; जिससे कि उसका काम शीघ्र पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) बराज के निर्माण कार्य को जून, 1967 तक पूरा करने और बिहार में 1968-69 तक 7 लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। परियोजना के निर्माण में अब तक हुई प्रगति का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6175/66।]**

श्रीमती सावित्री निगम : यह बांध कब पूरा होने वाला था अथवा इसमें इतना समय क्यों लगा है ?

डा० कु० ल० राव : यह बांध निर्धारित समय पर अर्थात् जून, 1967 को बन कर तैयार हो जायेगा। हो सकता है कि इस्पात के अभाव के कारण, जिसका अब प्रबन्ध कर लिया गया है, कुछ कार्य पूरे न हो सके परन्तु दूसरे सभी कार्य जून, 1967 तक पूरे हो जायेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बांध के बनकर तैयार हो जाने से सिंचाई की कितनी क्षमता बनेगी और क्या प्रतिवर्ष बाढ़ से नष्ट होने वाले ग्रामों को बचाया जा सकेगा ?

डा० कु० ल० राव : इस बांध के बन जाने से सभी नहरों को पानी दिया जा सकेगा परन्तु इस बांध के बनने तक नहरें तैयार नहीं हो सकेंगी इसलिये वास्तव में नहरों को पानी देना सम्भव नहीं होगा। जैसे ही नहरें तैयार हो जायेंगे उनको इस बांध से अधिक से अधिक पानी दिया जायेगा।

यह बांध बाढ़ को नियंत्रण में करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा है और न ही इससे ग्रामों का बाढ़ से कोई बचाव होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस परियोजना को अन्तिम रूप देने में नेपाल की सरकार ने क्या योगदान दिया है और इस परियोजना से होने वाले लाभ में उनका क्या भाग होगा ?

डा० कु० ल० राव : नेपाल सरकार ने इस परियोजना के कुछ भाग तथा नहरों आदि के लिये भूमि दी है। वास्तव में नेपाल के क्षेत्र में नहरों का निर्माण भी भारत ही कर रहा है।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know the amount spent on the Gandak Project so far and also the total amount that would be spent on the completion of this project.

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना पर लगभग 121 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और अब तक लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के जनता से सहयोग मांगा है अथवा जनता का सहयोग मिल रहा है और यदि हां, तो वे संगठन कौन कौन से हैं जिन्होंने स्वेच्छा से सहयोग देने को कहा है ?

डा० कु० ल० राव : गंडक परियोजना दूरस्थ क्षेत्र तथा वनों में बनाई जा रही है इसलिये जनता से कुछ अधिक सहयोग नहीं मिल रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just now stated that 121 crores rupees would be spent on this Project. Out of this amount how much would be spent by Government of Nepal. This has not been told by the hon. Minister.

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that Government of Nepal will give land for this project.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He has not said anything about the money that would be spent by Nepal Government on this project.

Mr. Speaker : If the Nepal Government had to contribute anything in cash that should have been informed by hon. Minister.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know the cost of the land that have been given by Nepal Government as a help and the extent to which Nepal Government would derive the benefit from this project?

डा० कु० ल० राव : शायद मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया हूं। नेपाल सरकार ने भूमि भी मुफ्त नहीं दी है। हम उसके लिये प्रतिकर देते हैं। नेपाल सरकार ने तो केवल इस परियोजना पर कार्य करने की अनुमति दी थी और नेपाल में इस परियोजना का समस्त कार्य भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है।

श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश की ओर जो धीमी प्रगति हो रही है उसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : उत्तर प्रदेश नहर के 1970–71 तक बहुत हद तक पूरा हो जाने और उसके चालू होने की सम्भावना है।

Shri K. N. Tiwary : Is the Government aware that as a result of delay in the completion of Dhone Canal it would not be able to supply water to eight thousand acres of land and that there would not be any Kharif and Aghami crops because sowing would not be done. This barrage is being constructed in my own constituency. Is this also a fact that the barrage would be completed by 1967 but water could not be given to canal and as a result thereof there would be no agricultural production?.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि बांध के तैयार होने तक नहर तैयार नहीं होगी। विशेषकर दो नहर पूर्णतया तैयार नहीं होगी। नहर को इसके साथ जोड़ दिया जायेगा और उस हद तक उसमें पानी छोड़ा जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the number of villages that would be submerged and also the number of persons who would be rendered homeless by this project?

डा० कु० ल० राव : इससे कोई भी भूमि जलमग्न नहीं होगी क्योंकि यह न तो डैम है और न ही 'रिजार्वायर' बल्कि केवल एक बांध है। नहर से भी कोई गांव जलमग्न नहीं होगा और न ही किसी गांव पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : जब तक नहर बनकर तैयार नहीं हो जाती और उस क्षेत्र को इस बांध से पानी नहीं दिया जाता क्या तब तक के लिये सरकार छोटी सिंचाई तथा नलकूपों जैसी सिंचाई की दूसरी सुविधायें देने पर विचार कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे दोहरा काम हो जायेगा। परन्तु इस क्षेत्र के कुछ भागों में जहां यह नहर नहीं जा सकेगी वहां पर हाल ही में कुछ नलकूप लगाने का निर्णय किया गया है जिससे 30,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी।

भारत की तीसरी योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये विश्व बैंक का दल

+

***1395. श्री भागवत झा आजाद :**	**श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री स० चं० सामन्त :	**श्री हेमराज :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री क० ना० तिवारी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्रीमती रेणुका बडकटकी :**
श्री बागड़ी :	**श्री जसवंत मेहता :**
श्री किशन पटनायक :	**श्री लिंग रेड्डी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :	**श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्राम प्रसाद :	**श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :	

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का दल तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) परियोजनाओं के बारे में उनका क्या अनुमान है और उस के बारेमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या विश्व बैंक दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं का भी अनुमान लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस ने क्या सिफारिशें की हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। कार्य रूप में यह मूल्यांकन अलग-अलग प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में नहीं किया गया, बल्कि विकास के मुख्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया गया था।

(ख) शुरू में यह दल भारत में सितम्बर, 1964 से मार्च 1965 तक रहा।

(ग) दल को अपनी रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अध्यक्ष को देनी थी, भारत सरकार को नहीं। मालूम हुआ है कि यह रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री भागवत झा आजाद : क्या देश का दौरा करने वाली समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ उपायों का सुझाव दिया है और कहा है कि देश में तीसरी योजना सफल नहीं हुई है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा मैंने पहले बताया है यह प्रतिवेदन बैंक को दिया जायेगा और बैंक जिस समय दूसरे देशों को प्रतिवेदन भेजेगा उसी समय हमें भी प्रतिवेदन भेजा जायेगा। यदि वह ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही सीमित होगा। इस समय उस प्रतिवेदन का उल्लेख करना और सभा को सूचित करना कि इस मिशन विशेष की शिफारिशें क्या है अथवा अन्तिम रूप से वे सिफारिशें क्या होंगी बताना उचित नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि बैल समिति के प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि जब तक विकास कर रहे देश को आर्थिक प्रगति पर से कुछ नियंत्रण नहीं हटाये जाते विश्व बैंक के लिये इन प्रस्तावों पर विचार करना सम्भव नहीं है और जब तक ये बातें नहीं की जाती वे सहायता के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते।

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री आजाद मुझे उस चीज के बारे में बताने को कह रहे हैं जिसको अभी अन्तिम-रूप नहीं दिया गया है जब विश्व बैंक से प्रतिवेदन मिलेगा तभी हमें पता लगेगा कि वास्तव में इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं। वह विश्व बैंक को की जाने वाली सिफारिशों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उन पर विश्व बैंक की कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है और इस समय

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बैल समिति का उल्लेख किया है जो कि अपना प्रतिवेदन दे चुकी है और हम जानते हैं कि वह प्रतिवेदन क्या है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं बेल मिशन के प्रतिवेदन के बारे में बता रहा हूं। वह मिशन 1964 और 1965 के बीच यहां आया था। उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करते समय हमारे कुछ मंत्रालयों से भी परामर्श किया था। उन्होंने जो प्रतिवेदन बनाया है उसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके पश्चात प्रतिवेदन अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष का यह विकल्प होता है कि वह इसको परिचालित करे अथवा नहीं। उसको इसे स्वीकार करने अथवा रद्द करने का भी अधिकार होता हैं। इन परिस्थितियों में हम सबको नहीं बता सकते कि उसमें क्या है क्योंकि अधिकृत रूप से भी प्रतिवेदन हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्र० चं० बरुआ : पहली तीन योजनाओं में भारत सहायता सार्थ संघ के सदस्यों ने कितने प्रतिशत गैर-परियोजना सहायता देने का वचन दिया अथवा दी और उसमें से कितनी सहायता को अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है ? चौथी योजना में ऐसी सहायता कितने प्रतिशत होगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है मुझे सूचना चाहिये क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है। दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस समय श्री मेहता द्वारा विश्व बैंक के साथ बातचीत की जा रही है। वह इसी उद्देश्य हेतु वहां पर गये हैं।

Shri Kishan Pattnayak : Is hon. Minister aware that the world Bank is a medium through which American foreign policy is being run. There is only one purpose in the terms and recommendations made to World Bank *i.e.* to make Indian Economic Policies dependent on American policies or to pressurise India in the matter of Kashmir?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सर्वप्रथम मैं नहीं जानता कि वहां कोई ऐसी बात है। दूसरे मेरा विचार नहीं कि ऐसी कोई बात हो। जहां तक मैं जानता हूं विश्व बैंक 105 देशों की एक संस्था है न कि अमरीका की और यह कहना गलत है कि बैंक किसी एक अथवा दूसरे देश के प्रभाव के अन्तर्गत है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस स्थिति को समझते हुए कि विश्व बैंक का दल अपने विचार विश्व बैंक के सन्मुख रख रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि दल के विचारों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर योजना मंत्री जो कि इस समय न्यूयार्क में हैं, बातचीत करेंगे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : दल ने जिस विशेष प्रश्नों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। देश को जितनी सहायता की आवश्यकता है तथा कम से कम हमें कितनी सहायता की आवश्यकता है इन्हीं प्रश्नों के बारे में योजना मंत्री सार्थ संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : I would like to know whether the Government of India have received any such proposal wherein World Bank has suggested that both India and Pakistan should jointly take up some projects and World Bank would give full cooperation and financial help? If so, the reaction of the Government thereon?

श्री शचीन्द्र चौधरी : भारत सरकार को ऐसा प्रस्ताव मिला है परन्तु वह सभी प्रकार के उद्यमों के लिये नहीं अपितु कुछ विशेष प्रकार के उद्यमों के लिये है और भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

Shri K. N. Tiwary : The time when this team came to India"it was reported in the Press that it was the policy of the world Bank only to grant a request for border projects if there was agreement between neighbouring countries". May I know whether any discussion have been held with Pakistan in this connection? If it is so the progress thereof?

श्री शचीन्द्र चौधरी : बेल मिशन जांच करने विश्व बैंक का रिपोर्ट देने के लिये यहां पर आया था। इसको किसी परियोजना के बारे में बातचीत का न तो अधिकार था और न ही उस मिशन ने ऐसा किया था।

श्री लिंग रेड्डी : तीसरी योजना की क्रियान्विति के लिये भारत विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता लेना चाहता है और वास्तव में उसमें से कितनी सहायता हमें मिल चुकी है और कितनी सहायता के लिये हमने उनसे प्रार्थना की है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : तीसरी योजना के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले पर हम विश्व बैंक के साथ बातचीत करने का यत्न कर रहे हैं।

Shri Ram Harakh Yadav : The hon. Minister has just now told that the report of the Commission has not yet been received. But it is not understood that the Commission toured India for about a year and we could not know their attitude. I would like to know whether the attitude of the Commission was strict for giving aid to India and whether only for this reason the Planning Minister has gone to America?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सच यह है कि अभी प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगा तब उन लोगों के मन का कुछ पता लगेगा। मैं किस प्रकार यह बता सकता हूं कि उन लोगों के मन में क्या है?

Report of experts Committee on School Children's Health

*1396. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Expert Committee in regard to School Children's Health set up by the Central Government has since submitted its report;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the reaction of Government thereto?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) स्कूल स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों का सारांश 14 मार्च, 1962 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही दे दिया गया था।

(ग) सरकार ने समिति की मुख्य सिफारिशें मान ली हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know whether this Ministry has made consultations with the Education Ministry in regard to the report submitted by the Experts' Committee and if so, the reaction of the Education Ministry thereon?

Dr. Sushila Nayar : These recommendations have been accepted only after consultation with the Education Ministry and as a result of these consultations a School of Health Council has been established where both the Ministries are participating.

Shri Vishwa Nath Pandey : In Part C of the Statement laid on the Table of the house it has been stated that the report is being considered. I would like to know the time by which the decision would be taken thereon and the time by which it would be implemented and the amount that would be spent thereon?

Dr. Sushila Nayar : Today no statement has been laid on the Table of the House. The recommendations made by them earlier have been accepted in full.

Shri Vishwa Nath Pandey : How much amount will be spent on this scheme.

Dr. Sushila Nayar : That is the concern of the States concerned. It is, therefore, difficult for me to tell.

Shri Ram Harakh Yadav : Perhaps it has also been emphasised in the report to provide lunch to the School boys. I would like to know how far Education Ministry is prepared to do tnat and the action being taken for its further implementation in the States?

Dr. Sushila Nayar : So far as I am aware more than one crore school children are being provided with lunch and this is being looked after by the Education Ministry.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I would like to know whether the Health Minister would consider the question of providing milk to the children after a compulsory exercise in the morning.

Dr. Sushila Nayar : This is an idea, a suggestion which we will convey to the concerned Ministry.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल जाने वाले 75 प्रतिशत से अधिक बच्चे कम आयु वाले परिवारों के होते हैं, क्या सरकार ने स्कूलों में इन बच्चों को दोपहर में भोजन देने हेतु खर्च के लिये कुछ अग्रिम धनसहायता अथवा किसी प्रकार अनुदान दिया है?

डा० सुशीला नायर : जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों को कुछ सहायता देती है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा राज्यों के बीच वित्तीय प्रबन्ध के बारे में मुझे ब्यौरा मालूम नहीं है।

Shri Rameshwara Nand : Eggs are also distributed in many places. I would like to know whether it depends upon the person concerned to take it or not or these eggs are being given compulsarily.

Mr. Speaker : This is an opinion. Shri Choudhry.

Shri Rameshwara Nand : Mr. Speaker, I want answer to my question.

Mr. Speaker : You have yourself told that eggs are being given. Had you been enquired about that, I would have asked the hon. Minister to answer it.

Shri Rameshwara Nand : I also enquired whether the eggs are being compulsarily or it depends upon the persons concerned to take it or not.

Dr. Sushila Nayar : Eggs are given on many places. No body is compelled to take them.

Shri Chandramani Lal Choudhry : May I know the State in which this arrangement of supplying eggs has been made? I would also like to know whether the children of those Government employees who are getting Rs. 250 and Rs. 275 are also included in the scheme?

I also want to say that if this arrangement has been made for some special category of children then it is not good. In my views persons belonging to all categories are helpless. They may be Brahmins or of some other caste

Mr. Speaker : You have said so many things. Next question.

रक्षा बचत पत्रों के रूप में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

*1397. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को यह सलाह दो है कि वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी वार्षिक वेतन-वृद्धि अथवा उसका कुछ भाग रक्षा बचत पत्रों के रूप में देने के मामले पर विचार करें ;

(ख) क्या बड़े व्यापार गृहों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं को भी ऐसी ही नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है ; और

(ग) उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है और इससे बचत संग्रह की दिशा में किस सीमा तक सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि व्यापार गृहों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रेरित किया जाये कि वे उसी प्रकार की नीति अपनाये जो राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही है।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : व्यापार गृह तथा वाणिज्यिक संस्थानों के अतिरिक्त क्या सरकार ने अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारी संघों को इस बात के लिये प्रेरित किया है कि वे भी अपनी संस्थाओं से बचत करने के लिये कहें ?

श्री ल० ना० मिश्र : काफी समय पहले मजदूर संघ संस्थाओं से एक विशेष अपील की गई थी। किन्तु किसी संस्था की ओर से इस अपील के प्रति उत्साह नहीं दिखाया गया।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह नई योजना आरंभ करने के बाद सरकार कुल कितनी बचत कर सकी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रायः नहीं के बराबर।

श्री अ० प्र० शर्मा : हिन्द मजदूर संघ ने सुझाव दिया है कि जब सरकार को रक्षा कोष के लिये धन की आवश्यकता हो, तो भविष्य निधि के कर्मचारियों के अंश में 2 प्रतिशत वृद्धि की जाये और इससे 80 करोड़ रुपये वार्षिक प्राप्त होंगे। क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए था। इस प्रकार का एक सुझाव दिया गया था। शायद सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि सभी केन्द्रीय मजदूर संघ संस्थाओं ने, जिसमें हिन्द मजदूर संघ भी शामिल है, सरकार के सामने विचार व्यक्त किया कि हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में मजदूर होने के कारण उन्हें न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिये भी मजूरी नहीं मिलती है; अतः उनकी वेतन वृद्धि की राशि अथवा भत्ते की राशि प्रमाणपत्रों के रूप में दे कर रोकी नहीं जानी चाहिए ? इसके बजाय क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के वेतन का कुछ भाग प्रमाण पत्रों के रूप में दिया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न का दूसरा भाग एक बहुत अच्छा सुझाव है। जहां पहले भाग का सम्बन्ध है, उत्साहजनक प्रगति न होने का यह भी एक कारण है।

श्री कपूर सिंह : क्या पुराने कर्मचारियों को निर्वाह व्यय के अनुसार वार्षिक वृद्धि मिलती है या उन्हें इतनी वार्षिक वृद्धि मिलती है जिसे वे बचा सकें ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बचत के हिसाब से दी जाती है, किन्तु आजकल बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनके लिये बचत करना सरल नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकारी संस्थाओं में रक्षा बचत पत्रों में धन लगाने में उत्साह न होने का कारण सरकार में उत्साह की कमी है अथवा कर्मचारियों में उत्साह की कमी है?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें इसके तीन कारण बताये गये हैं। पहला कारण यह है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार गृहों तथा संस्थानों के कर्मचारियों पर अनिवार्य भविष्य निधि योजना लागू होती है। दूसरा कारण यह है कि बहुत से कर्मचारी जीवन बीमा में धन लगाते हैं और तीसरा कारण यह है कि बढ़ते हुए मूल्यों के कारण कर्मचारी धन नहीं बचा पाते हैं।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन

*1399. + श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है ;

(ख) नियमों का किस प्रकार उल्लंघन किया गया ; और

†(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 31, जनवरी, 1966 तक स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के 13,556 मामले पकड़े गये।

(ख) गहनों के अलावा अन्य सोना पास में होने की घोषणा न करना, व्यवसायियों द्वारा 14 कैरट से अधिक शुद्धता वाले सोने के गहने बनाना, और ऐसे गहनों को बेचना, बिना ठीक हिसाब रखे व्यवसायियों का सोना और गहने अपने पास रखना, नये गहने बनाने के लिये प्रमाणित स्वर्णकारों द्वारा शुद्ध सोना स्वीकार करना, आदि।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या यह सच है कि एयरलाइनों के माध्यम से तथा सीमा पार से सोने के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है; और यदि हां, तो पिछले वर्ष से अब तक कितने मामले पकड़े गये हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन से सम्बन्धित है न कि सोने के तस्कर व्यापार से। इसके लिये अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार को स्वर्ण नियंत्रण आदेश को समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है, क्योंकि इसका अभीष्ट उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : हमें स्वर्ण नियंत्रण आदेश समाप्त करने के सम्बन्ध में समय समय पर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं, किन्तु सरकार इस विचार से सहमत नहीं है।

---

†भाग (ग) प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा नहीं पढ़ा गया। तथापि इस प्रश्न का उत्तर अनुपूरक प्रश्नों में आ गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Out of the cases detected by the Government, in how many cases the ornaments were made of foreign gold and in how many cases of Indian gold in violation of Gold Control Order?

Shri B. R. Bhagat : It is very difficult to give figures.

श्रीमती रेणुका राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण नियमों का काफी उल्लंघन किया जा रहा है, क्या सरकार स्वर्ण नियंत्रण नियमों में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं। हमने स्वयं कुछ राहत दे दी है तथा नियमों को कुछ उदार कर दिया है।

Shri Onkar Lal Berwa : The object of this Act has totally failed and it has rendered several lakhs goldsmith jobless. May I know whether Government propose to withdraw or to amend the Act?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already stated that there is no such proposal for the time being.

श्री बड़े : जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें चलाये गये उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और कितने लोगों को रिहा किया गया ?

श्री ब० रा० भगत : 6,867 मामलों में सोना जब्त किया गया ; न्यायालयों द्वारा 95 मामलों में सजा दी गई और 22 को रिहा किया गया।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : स्वर्ण पात्र जारी किये जाने तथा उसके अन्तर्गत रियायतें दिये जाने के बाद स्वर्ण नियंत्रण आदेश से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है।

श्री ब० रा० भगत : जिस प्रयोजन के लिये यह अधिनियम पारित किया गया था, वह सिद्ध हो रहा है।

श्री नाथ पाई : स्वर्ण नियंत्रण आदेश की घोषणा करते समय सरकार ने इसके ये तीन उद्देश्य बताये थे : (क) देश में सोने के तस्कर व्यापार को समाप्त करना, (ख) सोने के मूल्य कम करना और, (ग) सोने को विकास कार्य में लगाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक इनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्या सरकार इसे अब भी जारी रखना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार है। सभी समाज सुधार के कार्यों में काफी समय लगता है और लम्बे समय के बाद ही उसका परिणाम सामने आता है। अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह कुछ समय तक प्रतीक्षा करें।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार को पता है कि सारे देश में सर्राफ लोग उत्पादन-शुल्क विभाग के इन्सपेक्टरों तथा सुपरिन्टेन्डेन्टों को प्रतिमास एक निश्चित धनराशि देते हैं और यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच को जा रही है अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : शिकायत मिलने पर हम उसकी जांच करेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : स्वर्ण नियंत्रण आदेश से केवल स्वर्णकार बेरोजगार हुए। कितने स्वर्णकार बरोजगार हुए और उनमें स कितने स्वणकारों को रोजगार दिये गय ह और उनसे क्या क्या रोजगार किय गये हैं?

श्री ब० रा० भगत : हम सभा को इसकी जानकारी दे चुके हैं। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछ तो हम फिर इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकते ह।

Shrimati Jayaben Shah : The House knows it well that goldsmiths have been permitted to make ornament of old gold and the gold are making use of new gold in the name of old gold and a lot of ornament are being made. Keeping in view this fact whether still there are goldsmiths without jobs?

Shri B. R. Bhagat : It is true that goldsmiths could get job after the relaxation was granted.

श्री दी० चं० शर्मा : सबसे अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं और सब से अधिक व्यक्तियों को किस राज्य में सजायें दी गई?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न कानून के उल्लंघन के बारे में है। मेरे विचार से सब से अ क मामले—2197—आंध्र में हुए और दूसरे स्थान पर मद्रास है, वहां 2028 मामले हुए।

जीवन बीमा निगम द्वारा गृह-निर्माण के लिये ऋण

*1400. **श्री महेश्वर नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा पालिसी लेने वाले लोगों को गृह-निर्माण के लिये कितनी राशि का ऋण दिया जाता है;

(ख) क्या नगरपालिका क्षत्र में मकान बनाने के बारे में, जिसके लिय ऋण दि जाते हैं क ी कायवाही की जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नियम को नर्म करने का है ताकि जीवन बीमा पालिसी वाले सब लोग इसका लाभ उठा सक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 2.94 करोड़ रुपये।

(ख) कर्ज की रकम मकान बनने का काम शुरू हो जाने पर ही दी जाती है और यह रकम मकान बनने की प्रगति के आधार पर किस्तों में दी जाती है। मकान बनने के काम पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है।

(ग) उपर्युक्त योजना के किसी भी उपबंध में ढील देने का विचार नहीं है।

श्री महेश्वर नायक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटी बीमा पालिसी लेने वाले लोग नगरपालिका क्षत्र से बाहर रहते हैं, क्या नगरपालिका क्षत्र से बाहर रहने वाले छोटी बीमा पालिसी लेने वाले लोगों पर भी यह योजना लागू की जायगी?

श्री ब० रा० भगत : यह योजना छोटी पालिसी लेने वाले लोगों पर भी लागू है। न्यूनतम राशि 7500 रुपय था, 10,000 रुपय निर्धारित की गई है।

श्री महेश्वर नायक : नगरपालिका क्षत्र से बाहर रहने वाले लोगों को यह सुविधा क्यों नहीं दी गइ है?

श्री ब० रा० भगत : यह योजना उत्तरोत्तर अधिकाधिक शहरों में लागू की जा रही है। यद्यपि मेरे पास आंकड़ नहीं ह जसे जसे प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही है यह अधिक क्षेत्र में लागू की जा रही है। हमारा विचार इसे प्रत्येक शहर में लागू करने का है।

श्री शशि रंजन : कुछ वर्ष पहले भी इस सभा में इसी प्रकार का प्रश्न उ ाया गया था और मंत्री महोदय ने ऋण मिलने में होने वाली कठिनाइयो के बारे में बताया था और हमें यह आश्वासन दिया था कि सरकार समस्या का कोई हल निकालेगी तथा नियमों को उदार बनायेगी जिस से छोटी पालिसी लेने वाले लोगों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है अब भी ऋण मिलने में कठिनाइ होती है। अत: क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा छोटी पालिसी लेने वाले लोगों को आसानी से ऋण दिलाने के लिये कितनी सफलता मिली है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न के पहले भाग के बारे में वित्त मंत्री महोदय आपको लिखित रूप में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं। आसानी से ऋण दिलाने के लिये हमने कइ कदम उ ाय गय हैं। अब समूची योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एक निश्चित रकम तक का ऋण क्षत्रीय मनेजर मजूर कर सकता है। विलम्ब से बचने के लिये इन मामलों को केन्द्रीय कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है साधारणत: ऋण मिलने में तीन महीने से अधिक समय न लगे जब कि पहले इस कार्य में लम्बा समय लगता था।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह योजना गांवों में भी लागू है और क्या गांव के लोगों को भी ऋण मिलता है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक यह योजना गांवों में लागू नहीं की गई है। गांवों के लिये सरकारी गृह नर्माण योजना है और राज्य सरकारों को मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना के लिये जीवन बीमा निगम सहायता देता है।

श्री बड़े : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि गां ों में ऋण दिया जाता है। अब तक ग्रामणी क्षेत्रोंको कितना ऋण दिया गया है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि यह योजना गावों में लागू नहीं है।

श्री बडे : छो शहरों को कितनी रकम दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न बदल रहे हैं।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, the question shoud be answered.

Shri Bhagawat Jha Azad : May I know what should be the population of a town for extending this Scheme and whether it has been confined to district headquarters or it has gone further and what percentage of the policy holders of L.I.C. have been benefited by this Scheme and which areas has been covered by this Scheme?

Shri B. R. Bhagat : It has so far been extended to 118 towns or rural areas. Small policy holders get a loan upto the extent of Rs. 7,500.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह जिला मुख्यालयों छोटे शहरों तथा नगरपालिका तक ही सीमित है या इसका विस्तार किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह अभी जिला मुख्यालयों तक लागू की गई है। अभी छोटे कस्बों में इसे लागू नहीं किया गया है।

Shri Jagdeo Singh Siddhanti : May I know whether the families of Officers and Jawans, who were insured before they laid up their lives in the recent conflict with Pakistan, be entitled for accidental claim and loans besides the amount of their policy?

Mr. Speaker : The main question relates to house building loan. A separate question may be asked about it.

Shri Kashi Ram Gupta : The rate of interest on the L.I.C. Housing loan is very high. May I know whether the Government propose to reduce the rate of interest to make the loan more popular?

Shri B. R. Bhagat : At present there is no such proposal to reduce the rate of interest or to subsidise the loans.

चौथी योजना का प्रारूप

***1401. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के प्रारूप पर संसद में कब चर्चा होने की सम्भावना है ;

(ख) चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता के बारे में आज तक की निश्चित स्थिती क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रूपरेखा तैयार की जा रही है और पूरी होने पर तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद संसद के सम्मुख उपस्थित कर दी जायेगी।

(ख) योजना मंत्री आजकल वाशिंगटन में हैं, जहां वे पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार से इस संबंध में विचार विनिमय कर रहे हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि चौथी योजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय देशों के "भारत सहायता" सम्मेलन के सदस्यों से कितने सहायता उपलब्ध होने की सम्भावना है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : चौथी योजना के वे कौन से मुख्य प्रश्न हैं जिनके संबंध में श्री अशोक मेहता वाशिंगटन की स्वीकृति प्राप्त करने गये हैं ? क्या माननीय मंत्री इसका ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : श्री अशोक मेहता के वाशिंगटन जाने का मुख्य उद्देश्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संबंध में था। कुछ समय पहले हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की एक रुपरेखा सभा-पटल पर रखी थी। और उससे माननीय मंत्री को पता लगेगा कि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, और वह मुख्य रूप से उन परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिये गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन चीजों का क्या ब्यौरा है जिनके कारण योजना रुकी पड़ी है और किस स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें थोड़ी थोड़ी सहायता मिलती है। क्या हमारी योजना भी इसी प्रकार चलेगी ? श्री अशोक मेहता किन बातों की स्वीकृति लेने गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि योजना वाशिंगटन या किसी अन्य के कारण रुकी पड़ी है। जुलाई में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होगी और अगस्त-सितम्बर के सत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को संसद् में रख दिया जायेगा। चतुर्थ योजना में जिन परियोजनाओं का शामिल किया गया है उनके लिये अन्तिम रुप से कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी, इस विषय पर चर्चा करने के लिये श्री अशोक मेहता वाशिंगटन गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वर्तमान परिस्थितियों और अपने पिछले कुछ अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह विचार किया है कि पहले योजना के केवल उस भाग को आरम्भ किया जाये जिसका केवल हमारे संसाधनों से संबंध है और जिस पर हमारा नियंत्रण है और फिर दूसरे भाग को आरम्भ किया जाये जो कि विदेशी सहायता पर आधारित है और यदि हां, तो इस मामले पर क्या विचार किया गया है ? क्या माननीय उपमंत्री का ध्यान 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' तथा अन्य समाचारपत्रों में श्री बर्वे के छपे उन विभिन्न लेखों की ओर गया है जिनमें कहा गया है कि हमारी कठिनाइयां इतनी संसाधनों की नहीं हैं जितनी कि कुप्रबन्ध और त्रुटिपूर्ण नियोजन की ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि हमारी खर्च करने की क्षमता से संबंधित कारणों से तथा उचित व्यवस्था की कमी के कारण भी योजना के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हुए हैं । इसपर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं ।

जहां तक योजना का संबंध है इसके दो पहलू हैं; एक का आन्तरिक संसाधनों से संबंध है और दूसरे का वैदेशिक संसाधनों से । चतुर्थ योजना में ऐसी परियोजनाएं हैं जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा पर आधारित हैं और दूसरी ऐसी परियोजनाएं हैं जो आन्तरिक संसाधनों पर आधारित हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : योजना और आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो गतिरोध आ गया है उसको देखते हुए क्या सरकार ने योजना की तकनीक तथा प्रयोजनों पर कोई मूलभूत पुनर्विचार किया है और क्या सरकार यह समझती है कि योजना आयोग ने अब तक एक स्वतन्त्र सलाहकार के रूप में जो कार्य किया है उससे इसे वंचित कर दिया जाये और उसे केवल एक सरकारी विभाग ही बना दिया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं, योजना आयोग उपयोगी कार्य करता रहा है । मैं उनमें से एक हूं जिनका यह विश्वास है कि योजना आयोग की शक्तियों को और बढ़ा दिया जाना चाहिये और इस आयोग को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करना चाहिये ।

Shri R. S. Pandey : At the end of the Second Five Year Plan it was noticed that we were lagging far behind in the target in respect of industrial and agricultural production. May I know whether in view of this any solid decisions have been taken regarding some basic items, if so, what are they?

Shri L. N. Mishra : It is correct that the next plan is formulated on the basis of the experience gained in the last Plan. We have drawn the Fourth Plan keeping in view the difficulties we experienced in the last Plan.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत को वित्तीय सहायता देने के लिये यह शर्त रखी है कि भारत को उपमहाद्वीप में शांति बनाये रखना चाहिये, और हमारे योजना मंत्री ने उसको मान लिया है ? विश्व बैंक ने कहा है कि वह भारत को वित्तीय सहायता केवल इस शर्त पर देने के लिये ही तैयार है कि संयुक्त भारत-पाकिस्तानी परियोजनाएं हों और इसके लिये भी हमारे योजना मंत्री सहमत हो गये, यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे ऐसी किसी शर्त की जानकारी नहीं है । मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे आत्मसम्मान और हमारी स्वतन्त्र नीतियों के विरुद्ध हों ।

श्री हेम बरुआ : यह नारा तो अच्छा है परन्तु इसको क्रियान्वित नहीं किया जाता ।

श्री शिंदे : चतुर्थ योजना के प्रारुप में दिये गये अनुमानों के अनुसार यह स्पष्ट है कि हमें 4,000 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। क्या इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिये किन्हीं अन्य देशों से भी बातचीत की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रथम, द्वितीय तथा त्रितीय योजनाओं में हमें बहुत से अन्य देशों ने सहायता दी है। इस योजना में भी हमें अनेक अन्य देशों से सहायता मिलने की आशा है।

श्री म० रं० कृष्ण : परियोजनाओं में प्रायः परिवर्तन किये जाने तथा परियोजनाओं को अधूरी छोड़ दिये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने या योजना आयोग ने यह उचित नहीं समझा है कि वह पहले विदेशों में जायें, उनकी सहायता मांगें और फिर योजना तैयार करें ? क्या अब भी इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : चतुर्थ योजना की क्रियान्विति के लिये अब तक किन किन देशों ने सहायता देने का वचन दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं उनके नाम नहीं दे सकता, परन्तु अनेक यूरोपीय देशों ने भी हमें सहायता दी है।

श्री भागवत झा आजाद : चतुर्थ योजना को तैयार करने में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं को प्रथा का पालन क्यों नहीं किया गया है; ऐसा क्यों है कि योजना मंत्री आज वाशिंगटन में पहले सहायता के लिये कह रहे हैं और फिर वह योजना तैयार करना चाहते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई परिवर्तन लाया गया है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के संबंध में भी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के अनुमोदन के पश्चात यही तरीका अपनाया गया था।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आपने संसद् तथा राष्ट्र द्वारा चतुर्थ योजना का अनुमोदन करा लिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अन्तिम रूप संसद् द्वारा दिया जायेगा।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि योजना आयोग में दो वैकल्पिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं; एक तो उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है और दूसरी लक्ष्यों पर आधारित है, यदि हां, तो उनका आकार क्या है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस संबंध में कोई नई नीति नहीं अपनाई जा रही है। हां, हमें संसाधनों को आवश्यकता है और हम उनको ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक यथार्थिक योजना है न कि सैध्दन्तिक योजना।

राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिये योजनाएं

*1402. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया में सुधार करने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, राज्य योजनाओं को तयार करने तथा उनका समंजन करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन प्रक्रियाओं का अभिनवीकरण किया गया और हाल के पर्यवक्षण से पता चला है कि किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण कुछ योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई हैं, और यदि राज्य सरकारों इन योजनाओं के लिये धन पुनः विनियोग की शक्तियां प्राप्त हैं तो इन योजनाओं को प्रतिवर्ष योजना आयोग के पास आये बिना ही अच्छी तरह क्रियान्वित करना संभव होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : योजना को 1958-59 में उदार बनाय गया था, और राज्य सरकारों से एसी कोई शिकायत नहीं आई है। केवल एक बात मैं अवश्य कहना चाहुंगा कि कुछ समय पूर्व योजना आयोग ने राज्य सरकारों को लिखा था कि व कृषि उत्पादन के लिये दी गई निधियों को अन्य योजनाओं में न लगाये।

श्री लिंग रेड्डी : क्या योजना आयोग राज्यों में कोई योजना सलाहकार भी नियुक्त करता रहा है ताकि राज्यों को मंत्रणा दी जा सके और योजना की प्रगति का पुर्नविलोकन किया जा सके और राज्यों के स्तर पर योजनाओं को अधिक सरलता से क्रियान्वित किया जा सके ?

श्री ल० ना० मिश्र : योजना आयोग के सलाहकार घूमते रहे हैं और योजना की क्रियान्विति को देखते रहे हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या किसी अनदान की राशि का उसी अनुदान के अन्तर्गत किसी दूसरे मद के लिये उपयोग किया जा सकता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा किया जा सकता है। मैने केवल यह कहा था कि कृषि के लिये दी गई राशि को अन्य योजनाओं में नहीं लगाया जा सकता।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : चतुर्थ योजना में राज्य योजनाओं के लिये जो राशियां आवंटित की गई हैं वे अपर्याप्त हैं, तो क्या सरकार का इरादा केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को धन देने और राज्यों की योजनाओं को धन न देकर केवल सलाह ही देने का है ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय मंत्री की यह धारणा सही नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं औद्योगिक तथा नदी घाटी परियोजनाएं भी राज्यों में ही स्थित है।

श्री प्र० के० देव : अपने अनुभव से हम यह समझ पाये हैं कि विभिन्न शिकायतों के बावजूद भी राज्य सरकारें उड़ीसा में परादीप जैसी परियोजनाओं पर, जिनका योजना से संबंध नहीं है भारी खर्च करती रही हैं। इस प्रकार के खर्च हमारी योजना से किस प्रकार मेल खाते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : परादीप परियोजना उन परियोजनाओं में से एक थी जिनका केन्द्रीय सरकार ने तृतीय योजना में अनुमोदन किया था।

श्री प्र० के० देव : इसको शामिल नहीं किया गया था।

श्री ल० ना० मिश्र : इसको बाद में शामिल कर लिया गया था। हो सकता है मेरी बात गलत निकल आय क्योंकि योजना आयोग को छोड़े मुझे तीन या चार वर्ष हो गये हैं। परन्तु उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक ने प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को लिखा था और जवाहर लाल नेहरु ने योजना आयोग के उप सभापति श्री नन्दा को एक पत्र लिखा था और तृतीय योजना में पराटीप के लिये उपबन्ध किया गया था।

श्री प्र० के० देव : कृपया पड़ताल कर लीजिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The projects which are passed on by the Central Government to the State Governments are not accompanied with Funds as a result of which the State Governments are put to a lot of difficulties. Only those States are able to get the Central grants who have a Minister in the Central Cabinet. Do Government propose to give assistance to the neglected States without delay?

Shri L. N. Mishra : Schemes are drawn by the State Governments and they are finalised by both the Central and the State Governments mutually and they are given assistance according to that. It is not proper for the hon. Member to make allegation like that. Now, my State has so many Ministers in the Central Cabinet, but it is not getting enough funds.

भारत की विदेशी बकाया राशि

+

*1403. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री घुलेश्वर मीना :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विदेशी बकाया राशि 100 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और ;

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास की विदेशी मुद्रा की राशि 4 मार्च, 1960 को समाप्त हुए सप्ताह में 100 करोड़ रूपये से उपर चली गयी और 4 मार्च, 1966 को 110.22 करोड़ रुपया हो गयी।

(ग) 22 अप्रैल, 1966 को, यानी उस आखिरी तारीख को, जिस की सूचना उपलब्ध है, यह राशि 188.80 करोड़ रुपया थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण 6 अप्रैल 1966 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 89.3 करोड़ रुपये की रकम का निकाला जाना था।

Shri Yashpal Singh ; What is the reaction of the Government to Mr. Barve's suggestion that the licencing system should be modified to attract foreign exchange ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सरकार मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है।

Shri Yashpal Singh : Whas is the target of the Government ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : लक्ष्य समय समय पर आवश्यकता के अनुसार निश्चित किये जाते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : विदेशी बकाया राशि के भुगतान की स्थिति को कुछ और स्थायी बनाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और जिन देशों के साथ हमारा कारोबार है उनके संबंध में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह ऐसा मामला जिस पर सरकार हर समय सोचती रहती है कि व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में किस तरह किया जाय। इसका एक ही तरीका है और वह यह कि आयात में कमी करना और निर्यात को बढ़ाना।

श्री नाथ पाई : रिज़र्व बक की विदेशी बकाया राशि के रूप में यह 188.80 करोड़ रु० की राशि देते समय इस बात का कोई हिसाब रखा गया है या कोई अनुमान लगाया गया है कि विदेशी बैंकों में लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कितनी विदेशी मुद्रा रखी गई है, यदि हां, तो वह हिसाब क्या है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक प्रकट किये गये खातों का संबंध है निस्सन्देह उनका रिकार्ड रखा जाता है। जहां तक प्रकट न किये गये खातों का संबंध है, हम हमेशा ही उसका पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। यदि मेरे माननीय मित्र के पास कोई जानकारी है तो वह कृपा करके मुझे दे सकते हैं।

श्री नाथ पाई : प्रकट न किये गये खातों के बारे में आपका अनुमान क्या है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : बैंकों के मामले में व्यक्तिगत अटकल या अनुमान काम नहीं करते; यहां तथ्य होने आवश्यक हैं।

Pakistani Claim on 36-Acre area in Sialkot Sector

\+

S. N.Q. 22. Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) when the 36-acre area claimed by Pakistan in Sialkot Sector was actually occupied by Pakistan;

(b) whether border lines are clearly demarcated in that area;

(c) the distance at which the Indian forces or police gaurds were stationed from there when the area was occupied by Pakistan; and

(d) whether any military or diplomatic action was taken by India to re-occupy this area before the 5th August, 1965?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) रक्षा अधिकारियों को इन क्षत्रों को दबा लेने की सूचना निम्न प्रकार से मिली :

(1) धमला नाला पाकेट नं० 1	1954
(2) धमला नाला पाकेट नं० 2	1962
(3) देवी गढ़ क्षेत्र	1956

(ख) जी हां।

(ग) सामान्य तौर पर इन क्षेत्रों की सुरक्षा पुलिस के हाथ में थी। पुलिस चौकियां 700 से 1500 गज़ तक भारतीय सीमा के अन्दर की ओर थीं।

(घ) हमारी सुरक्षा सेनाओं ने समय समय पर पाकिस्तान की सेना द्वारा इन क्षेत्रों में गश्त लगाने के प्रयत्नों का प्रतिरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इन क्षेत्रों को पाकिस्तान

से खाली कराने के लिए कई फ्लैग बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में एक बार तो यह तय हो गया था कि इन क्षेत्रों में सीमांकन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण किया जाय। बाद में, पाकिस्तान कमाण्डर इन स्थिति से बदल गया। अत: यह मामला पाकिस्तान स्थित हमारे हाई कमिश्नर द्वारा पाकिस्तान के विदेश सचिव तथा विदेश मंत्री के साथ भी उठाया गया था।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether Government had in mind at the time of Kutch Agreement and Tashkent Agreement that we might have to withdraw from the areas where Pakistani troops were stationed and if so, what precautions were taken by the Government to ensure that we might not have to forego our claim in future? What is the present position in this regard and what steps are proposed to be taken to get these areas vacated from the Pakistani occupation?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : We had not to go into details and merits at the time of Tashkent Agreement. At that time the main question before us was to withdraw to the position held by both the parties before 5th August. There was no question of going into details and merits though we had this thing in mind at that time.

Shri Kishen Pattnayak : I wanted to know whether the Government had in mind the question of this area at the time of Tashkent Agreement. If they had, what precautions have been taken to reoccupy this area and if no precautions have been taken, what are its reasons?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that at the time of Tashkent Agreement there was only one question that both the parties should withdraw to the position held before 5th August.

Shri Kishen Pattanayak : What efforts are being made to get vacated the area from Pakistani possession which she occupied before Tashkent Agreement?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस समय विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इस समय प्रश्न केवल सेना की वापसी के बारे में है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अधिकार सम्बन्धी रिकार्ड के अनुसार यह क्षेत्र हमारा है। हमें ताशकन्द समझौते के कारण 5 अगस्त से पहले की स्थिति में अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा था।

Shri Kishen Pattnayak : Has my question been answered? How can we get vacated that area from Pakistani possession?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already answered the question.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether the boundry has been demarcated by fixing the boundry pillars from mile to mile or at some more distance and a demarcation line is drawn between every two pillars and if so, what are the numbers of those mile stones and how they occupied that area and what are the reasons for not reoccupying that area so far?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब हम यह कहते हैं कि अधिकार सम्बन्धी रिकार्ड के अनुसार यह क्षेत्र हमारा है, तो यह निस्संदेह सच है कि वहां स्थान-स्थान पर सीमा बताने वाले खम्बे थे। वे ठीक एक-एक मील की दूरी पर नहीं हैं। कहीं कहीं पर व कम या अधिक दूरी पर भी हैं। निस्संदेह हमें पता है कि हमारी सीमा कहां पर है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister may tell us the numbers of those pillars and at what points they are there. How the area was occupied by Pakistan?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि पुलिस चौकियां 700 से 1,500 गज भारतीय सीमा के अंदर की ओर थी क्योंकि पुलिस चौकयां स्थापित करत समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पुलिस किस स्थान से कारगर ढंग से क्षत्र का गश्त लगा सकती है और उस क्षेत्र की निगरानी कर सकती है। किसी एक क्षेत्र में नाले के मोड़ के कारण हो सकता है कि पाकिस्तानियों को इस क्षत्र पर कब्जा करने का अवसर मिल गया हो। मुझे घटना का वास्तविक ब्यौरा मालूम नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister the numbers of pillars and also the distances between every two pillars. Every pillar bears a particular number.

Mr. Speaker : Is the hon. Minister in a position to reply or not?

Shri Y. B. Chavan : No, Sir.

Dr. Ram Manohar Lohia : I visited that area. I saw in Hindunalkot that pillars were fixed there and line between the two pillars is called boundry. It is impossible that they occupied that area this way. The notice of this question was given 15 or 20 days back, but still the hon. Minister is not in a position to tell the numbers of pillars.

Mr. Speaker : He can not tell the numbers.

श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि हमारी सेना, हमारी सीमा सुरक्षक दल हमारी सीमा के अन्दर की ओर इतनी दूर क्यों थे जिससे पाकिस्तानी सेना इस पर कब्जा करने में सफल हो गई और अब अपना कब्जा बताती है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस सम्बन्ध में जांच की है और उसी के आधार पर मैंने सभा को जानकारी दी। मैं इस सम्बन्ध में और आगे जांच करूंगा। मैंने किसी प्रकार की जानकारी देने में कोई अनिच्छा नहीं दिखाई।

श्री बड़े : दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं अवश्य हो रही होंगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं मानता हूं। यदि सभा चाहे तो मैं और आगे जांच करूंगा।

Shri Madhu Limaye : I hope the hon. Minister would agree that there was a definite boundry line of our country on 15th August, 1947. Unfortunately, since then it underwent a change fourtimes upto 5th August, 1965. Virtually we have lost our territory in all these revisions. I, therefore, want to know how long such things will go on and which boundry line will be considered as binding in our future agreements with our conuntries.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी सीमा वही मानी जायेगी जो 15 अगस्त, 1947 को थी।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not yet made it clear that how the boundry line of 15th August, 1947 will be regarded as final from our side when there had been different agreements with China and Pakistan at different times, for instance the Tashkent Agreement?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम उस सीमा से दूसरी सीमा की लाइन नहीं मानते हैं जो हमने 15 अगस्त, 1947 को मानी थी। जहां तक भविष्य का प्रश्न है हम 5 अगस्त की सीमा को भारत की अन्तिम सीमा नहीं मान सकते।

श्री त्यागी : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ताशकन्द अथवा किसी अन्य समझौतों के अन्तर्गत सीमा से सेना को पीछे हटाने का अर्थ यह नहीं होगा कि हमने उस प्रदेश पर से कब्जा छोड़ दिया है अथवा नागरिक प्रशासन हटा लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने समझौते के अन्तर्गत केवल सेना को पीछे हटाया है। हमने न तो कोई क्षेत्र ही दिया है और न ही देने का हमारा विचार है।

डा० मा० श्री अणे : 1947 के बाद रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था और उसी ने यह सीमा निर्धारित की। 1947 में कुछ मोटी बातें निर्धारित की गई थीं और वास्तविक सीमा रेखांकन का कार्य बाद में हुआ था। क्या माननीय सदस्य चाहते है कि यह वही होना चाहिए जो 1947 में किया गया था ?

श्री नाथ पाई : हमारा यह अनुभव रहा है कि सेनाओं की अस्थाई वापसी के बाद वही देश की स्थाई सीमा बन जाती है और इसके परिणामस्वरूप 50,000 वर्गमील हमारा क्षेत्र शत्रुओं के हाथ में चला गया है। अतः क्या सरकार हमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में सेनाओं की अस्थाई वापसी के सम्बन्ध में कोई समझौता करने से पूर्व संसद् की स्वीकृति ली जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निस्संदेह सरकार को संसद् का आदर करना चाहिए। संसद सरकार से इस बात की मांग कर सकती है।

श्री खाडीलकर : रेडक्लिफ आयोग ने कौन सी सीमा निर्धारित की थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अधिकार सम्बन्धी रिकार्ड के अनुसार यह जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। वहां सीमा पर पिलर हैं। मेरे विचार से यह सीमा भी रडक्लिफ आयोग द्वारा ही निर्धारित की गई है।

Shri Kashi Ram Gupta : This 36 acres of land is divided into three areas. At what distance these are situated from each other and what are the arguments advanced by Pakistan about these areas?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दो क्षेत्र एक दूसरे के बहुत निकट हैं। एक ही क्षेत्र के दो भाग हैं। तीसरा क्षेत्र कुछ फर्लांग की दूरी पर है।

Shri Kashi Ram Gupta : What arguments are being advanced by Pakistan in this regard?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी उस क्षेत्र के स्थानीय कमान्डरों की फ्लेग बैठकें हुईं, उनमें यह तय किया गया कि इन क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाये, किन्तु बाद में पाकिस्तानी कमान्डर इस स्थिति से बदल गये। उच्चायुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से बातचीत की गई। पाकिस्तान के उच्चायुक्त तथा विदेश सचिव ने प्रायः वही दृष्टिकोण अपनाया जो कमान्डरों ने अपनाया था और वे संयुक्त सर्वेक्षण अथवा आगे बातचीत के लिए सहमत नहीं हुए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि यह हमारा क्षेत्र है, और हमारा रहेगा। अतः क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे यह क्षेत्र को विवादग्रस्त क्षेत्र बनाये बिना वापिस लिया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह विवादग्रस्त क्षेत्र नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पाकिस्तान इस क्षेत्र पर दावा करता है। श्री भुट्टो द्वारा मामला उठाये जाने पर ही संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने इस क्षेत्र से सेनाये हटाने के लिये कहा होगा। क्या पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को विवादग्रस्त बताया है। आपने यह साबित करने के लिये क्या व्यवस्था की है कि यह हमारा क्षेत्र है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं अतः हमारा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब यह क्षेत्र हमारे कब्जे में है ही नहीं तो यह बिना किसी व्यवस्था के कैसे वापिस लिया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन मामलों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है।

Shri S. M. Banerjee : May I know whether it has been finally decided that which is our area and which is not our area and how much land we have to surrender?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने जो जानकारी दी है, उससे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। सैनिक कमान्डरों द्वारा यह निर्णय करने को कोई ही नहीं उठता है कि कौन सा हमारा क्षेत्र है और कौन सा नहीं। उनका काम केवल 5 अगस्त की स्थिति के अनुसार अपनी सेनाएं पीछे हटानी हैं। मैं बता चुका हुं कि यह क्षेत्र हमारा है इस सम्बंध में हमारे पास प्रमाण हैं। वहां सीमा पिलर थे और उनमें से कुछ अब भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना। श्री स० मो बनर्जी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This is a very important question and therefore, we may be allowed to ask supplementaries on it.

श्री हेम बरुआ : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में श्री भुट्टो द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाता हूं।

Shri Bade : We are not allowed to ask any question whereas others were allowed to put several questions.

Mr. Speaker : We have taken about 25 minutes for this short notice question. I cannot allow more time for it.

प्रश्नो के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

*1398. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री बागड़ी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शखर) : (क) 1965-66 का वर्ष अभी हाल में ही समाप्त हुआ है और उस वर्ष के दौरान पूरे किये गये लक्ष्यों के बारे में इतनी जल्दी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजने से पहले राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्र एजेंसियों से आवश्यक आधार-सामग्री एकत्रित करनी होती है और उस पर काफी समय लगता है। तो भी, उपलब्ध अनुमानित आंकड़ों से आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये व्हील बेरो/हाथ गाड़ी योजना को, जिसमें थोड़ी कमी का अनुमान है, छोड़कर शेष सभी योजनाओं के प्रस्तावित लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो जायेंगे।

(ख) उपरोक्त योजना का पूरा लाभ उठाने में नगर पालिकाओं की अयोग्यता तथा मेहतरों में व्हील बेरो/हाथ गाड़ियों के प्रयोग के प्रति नफ़रत की भावना उस योजना में कमी के कारण है।

(ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की मेहतरों के प्रति व्यवहार-कुशलता से तथा गैर-सरकारी संस्थाओं इत्यादि द्वारा प्रचार से इस योजना को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

जोधपुर कर्मशियल बैंक

***1404. श्री उ० मु० त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के आदेश के अनुसार 12 दिसम्बर, 1961 को बन्द होने के बाद जोधपुर कर्मशियल बैंक की आस्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या किन्हीं अंशधारियों को कोई लाभांश दिया गया है अथवा उनके कितने मूल्य के अंश जब्त किय गये हैं; और

(ग) कानून के किन उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जमाकर्ताओं को पूरी रकम चुकाने के बाद, हस्तान्तरित (ट्रांसफरी) संस्था के रूप में, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने 50 लाख रुपये की उस चुकता पूंजी पर 55 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है, जो जोधपुर कर्मशियल बैंक के शेयरहोल्डरों को वापस की जानी है। 22.50 लाख रुपये की रकम के मुकाबले, जो शेयर-होल्डरों को दी जानी है, उन अग्रिमों की रकम 24.14 लाख रुपये है जो या तो वसूल ही न होंगे या जिनकी वसूली में सन्देह है; और वसूलियों के खाते की अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्य लगभग 1.62 लाख रुपया है। शेयरहोल्डरों को और ज्यादा अदायगी करना इस बात पर निर्भर होगा कि अग्रिमों की वसूली किस हद तक होती है।

(ग) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में इस बैंक का विलय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 की उप-धारा (7) के उपबन्धों के अधीन किया गया था।

केरल में बिजली में कटौती

***1405. श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री मोहम्मद कोया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सरकार केरल के लिये कितनी बिजली देने के लिये सहमत हुई है;

(ख) क्या केरल में बिजली की खपत करने वाले लोगों पर लगाई गई कटौती इसके परिणाम-स्वरूप बहाल कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) मैसूर से मद्रास द्वारा प्राप्त की जाने वाली बिजली में से मद्रास ने केरल को हाल ही में 4.5 लाख यूनिट बिजली सप्लाई करना मान लिया है। इस से पहले मद्रास केरल को प्रति दिन लगभग 3.0 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई कर रहा था। यह बिजली राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसरण में प्रति दिन दिये जा रहे 2.5 लाख यूनिटों के अतिरिक्त है।

(ख) तथा (ग) : उपर्युक्त आवर्द्धित सप्लाई से स्थिति में सुधार हुआ है। मद्रास से बिजली की सप्लाई के सहित पुराने पन-बिजली केन्द्रों से उपलब्ध कुल ऊर्जा प्रति दिन केवल 11 से 14 लाख यूनिट होगी जो कि 34.5 लाख यूनिट की प्रति दिन की मांग के आधे से भी कम है। साबिरीगिरि परियोजना के प्रथम यूनिट के हाल ही में चालू होने से कुल उपलब्ध सप्लाई बढ़ कर मांग के 60 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। इस लिये केरल की बिजली की सप्लाई व्यवस्था अगली मानसून के आरम्भ तक विकट ही रहेगी।

राज्यों में ब्रिजली क्षमता

***1406. श्री पें० वेंकटासुब्बया :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रविन्द्र वर्मा :**
श्री यशपाल सिंह: **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प० ला० बारुपाल : **श्री तिरुमल राव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में विभिन्न राज्यों में बिजली एककों की स्थापित क्षमता कितनी है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में क्षमता कितनी बढ़ाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) और (ख) : तीसरी योजना के अन्त तक विविध राज्यों की प्रतिष्ठापित क्षमता और तीसरी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में हुई वृद्धियों का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6176/66।]**

बच्चों की आंख की बीमारियां

***1407. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में बच्चों की आंख की बीमारियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : देश में ट्रकोमा की भौगोलिक स्थिति तथा व्यापकता जानने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 15 राज्यों के ग्राम क्षेत्रों में नवम्बर 1958 से जून 1963 तक एक नमूना सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के दौरान आंख में अन्य कारणों से आम होने वाले रोगों के बारे में भी सूचना एकत्र की गई।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सर्वेक्षित भारत के 15 राज्यों के ग्राम क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के बच्चों में रोहे की व्यापकता और आम हो जाने वाले अन्य आंख के रोगों से संबंधित सूचना के दो विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6176/66।]**

अन्धपन की रोकथाम के लिये इस राष्ट्रीय सोसाइटी ने दिल्ली नगर निगम की स्कूल चिकित्सा योजना के अन्तर्गत् आने वाले स्कूलों के बच्चों की दृष्टि सम्बन्धी त्रुटियों का भी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया। जिन 5026 बच्चों की जांच की गई उनमें से 17.8 प्रतिशत में वर्तनांक-दोष 39.38 प्रतिशत में मांसल असन्तुलन (मस्कूलर इम्बेलेन्स) और 0.72 प्रतिशत में कार्नियल पारांधता पायी गई। 1.15 प्रतिशत में विविध प्रकार के दोष पाये गये।

(ग) एक राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र समर्थित योजना के रूप में मार्च 1963 में चलाया गया जिसके अन्तर्गत् पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात तथा कुछ सीमा तक मैसूर, बिहार जम्मू व कश्मीर तथा मध्य प्रदेश आ जाते हैं। तीसरी योजना में 66 लाख की आबादी को अन्तर्हित किया गया है। बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना में 12 करोड़ 20 लाख आबादी को अन्तर्हित करने का विचार है।

अन्य नेत्र रोगों के लिये बहुत से विशेषज्ञ अस्पताल हैं; और सचल क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करने के लिये जा रहे हैं। चौथी योजना में स्कूल नेत्र क्लीनिक चलाने का विचार है।

समय से पूर्व सेवा निवृत्ति

***1408. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को जो नौकरी के 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं कुछ लाभ देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। उन फालतू कर्मचारियों के लिये जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो स्वेच्छा से सेवामुक्त होना चाहते हैं, विशिष्ट सेवानिवृत्ति शर्तें मंजूर की गई हैं।

(ख) वित्त मंत्रालय की 15 मार्च, 1966 की कार्यालय विज्ञप्ति संख्या एफ 12(9)-ई०बी/66, जिसमें स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की शर्तें दी गई हैं, की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6178/66।]**

बर्ड एण्ड कम्पनी

***1409. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री 17 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सार्थों ने भूतपूर्व ब्रिटिश निदेशक से मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स हैलगर्स के 19,385 अंश कितने मूल्य पर प्राप्त किये हैं;

(ख) क्या यह क्रय राशि सरकार की अनुमति से ब्रिटेन भेज दी गई है;

(ग) 10,20,000 रुपये की बकाया राशि जो चार व्यक्तियों पर लगाये गये निजी जुर्माने के रूप में वसूल की जानी थी, वसूल करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या उन ब्रिटिश नागरिकों को जिन पर ये जुर्माने किये गये थे ब्रिटेन से वापिस बुलाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख): इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) मूल आदेश के विरुद्ध दायर की गयी अपील पर फैसला होने तक के लिए 15,000 रुपये की गारण्टी भर दी गयी है। यह एक व्यक्ति पर किये गये जुर्माने का 50 प्रतिशत है। जहां तक बाकी तीन व्यक्तियों से बकाया 10,05,000 रुपयों की वसूली का सम्बन्ध है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142(1)(सी०) के अधीन राजस्व-बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बर्ड एण्ड कम्पनी ने कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय को सूचित कर दिया है कि कम्पनी के पास इन व्यक्तियों की जो सम्पत्ति है, उस में से जुर्मानों की अदायगी का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(घ) नियमों के जिन उल्लंघनों के कारण ब्रिटिश नागरिकों पर जुर्माने किये गये हैं वे प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2 के अन्तर्गत प्रत्यर्पण सम्बन्धी अपराध नहीं हैं। अत: सम्बन्धित ब्रिटिश नागरिकों को वापिस बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यास परियोजना

***1410. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास परियोजना की क्रियान्विति की नवीनतम स्थिति को देखते हुए उस पर मूल प्राक्कलन से अधिक खर्च हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो (एक) केन्द्र तथा (दो) राज्य के अंश की राशि के मूल प्राक्कलन से कितना बढ़ जाने की संभावना है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी हां। इस परियोजना की अनुमित लागत की पुनरीक्षण कर के 110.79 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 121.91 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) भारत सरकार इस परियोजना की लागत का कोई भाग नहीं देती परन्तु इस परियोजना का कार्यान्वन कर रही पंजाब सरकार को केवल ऋण देती है। खर्च को पंजाब और राजस्थान के बीच निम्नलिखित तदर्थ प्रतिशतताओं में बांटा जाता है और आवर्धित लागत अनुमानों को भी इसी अनुपात से बांटा जाएगा :

		पंजाब	राजस्थान
यूनिट I	ब्यास सतलुज लिंक . . .	85	15
यूनिट II	पोंग पर ब्याज बांध . . .	32	68

(ग) अतिरिक्त अनुसंधानों और अध्ययनों के परिणामस्वरूप अभिकल्प ी विशिष्टताओं में तब्दीलियों से कार्यों की अनुमित लागत बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष

***1411. श्री किन्दर लाल** :
श्री विशवनाथ पाण्डेय :
श्री चं० का० भट्टाचार्य :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रामानन्द शास्त्री :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा विकास कार्य में और अधिक गतिशीलता लाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पहली अप्रैल, जैसा कि इस समय है, के स्थान पर पहली जुलाई से वित्तीय वर्ष आरम्भ करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी इस विषय पर भारत सरकार ने कई बार विचार किया है और वह इस निर्णय पर पहुंची है कि प्रचलित वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा।

दिल्ली में परिवार नियोजन कार्यक्रम

***1412. श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय अपनाने का विचार है; और

(ग) क्या यह कार्यक्रम अन्य महानगरों में भी आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) सभी माध्यमों का उपयोग कर एक व्यापक शैक्षिक तथा प्रचार अभियान चलाना, रेडियो प्रसारणों, गोष्ठियों, फिल्म प्रदर्शनों, बैठकों आदि के रूप में इस संबंध में श्री गणश हो चुका है। शैक्षिक अभियान से प्रेरित जनता को प्रभावकारी समन्वयित सेवा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थय योजना, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और सभी स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी चिकित्सकों के समस्त उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) जी हां। दिल्ली में प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य महानगरों में भी ऐसे ही अभियान चलाये जायेंगे।

Report of Team on Economic Development of India and Japan

***1413. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Joint Committee on works connected with the economic development of India and Japan set up by Government has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Misra) : A Committee for Studies on Economic Development in India and Japan was constituted by the Government of India under the Chairmanship of Dr. C. D. Deshmuch in June, 1962. Following Dr. Deshmukh's resignation in 1965 of the office of Chairman on grounds of ill-health, Prof. V. K. R. V. Rao, Member, Planning Commission, was requested to take-over the chairmanship of the Committee. The Committee has recently been reconstituted accordingly. A similar Committee has been functioning since 1962 in Japan with Prof. Ichiro Nakayamma as Chairman.

The Indian and Japanese Committees have prepared a number of studies relating to economic development between the two countries. These studies have still to be considered jointly by the two Committees. After this process is conclude the Indian Committee proposes to bering to the notice of the Government the main findings and recommendations emerging from the studies made so far.

आस्ट्रेलिया में भेजे गये भारतीय इंजीनियर

***1414. श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री यशपाल सिंह:
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ध० ला० बारुपाल :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री तिरुमल राव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य तथा योजना आयोग के कुछ इंजिनियरों को पम्पों के द्वारा जल संभरण व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये आस्ट्रेलिया भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) इस दल ने कौन-सी ऐसी विशेष बातों का पता लगाया है जिनका पता भारत के इंजनियरों को नहीं था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) 107 रुपये।

(ग) यह टीम नलों के सहारे पानी को काफी दूर तक पहुंचाने के बारे में तकनीकी विकासों का अध्ययन करने के लिये आस्ट्रेलिया गई।

बैंकों के कार्य पर नियंत्रण

***1415. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के कार्य पर अधिक कड़ा नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं। बैंकिंग विनियमन (रेगुलेशन) अधिनियम, 1949 के मौजूदा उपबन्धों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के काम काज पर पर्याप्त नियंत्रण रखे जाने की व्यवस्था है और इस समय यह जरूरी नहीं जान पड़ता कि और भी अधिक कड़ा नियंत्रण लगाया जाय।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*1416. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन कार्य के लिये एक संविहित प्राधिकार बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्णय कब किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग): पंजाब राज्य के प्रस्तावित पुनर्गठन से उस राज्य की सिंचाई व बिजली प्रणालियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस से संबद्ध मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

कृष्णा तथा गोदावरी नदियों का जल

*1417. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का सम्बन्धित राज्यों के बीच वितरण के सम्बन्ध में हाल में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या इन राज्यों के बीच पहले किये गये बटवारे पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बेसिन में परियोजनाओं के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी को संबद्ध राज्यों में बांटने के संबंध में अब भी विचार विमर्श हो रहा है ।

(ख) और (ग) : इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना के लिये फ्रांस से सहायता

*1418. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस का एक दल उन परियोजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए भारत आया था, जिनके लिए फ्रांस चौथी योजना में धन दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों के लिए फ्रांस से सहायता मांगी गई है; और

(ग) क्या बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग तथा विनियोजन

*1419. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1965 के बाद की तीन तिमाही में भारत में विदेशी सहयोग तथा विनियोजन के मामलों में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) भारत में इस समय कितने विदेशी सहयोगकर्ता है; और

(घ) उद्योग के उचित क्षेत्रों में अधिक विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जुलाई, 1965 से शुरू होने वाली दो तिमाहियों में जितने मामलों में विदेशी सहयोग/निवेश के लिए अनुमति दी गयी उनकी संख्या उससे पहले की दो तिमाहियों के मुकाबले कम रही। जनवरी से मार्च, 1965 तक की तिमाही की सूचना अभी तैयार नहीं है।

(ख) जब तक स्थिति की समीक्षा नहीं कर ली जाती तब तक इस कमी के विशिष्ट कारण निर्धारित नहीं किये जा सकते।

(ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि मार्च, 1964 के अंत में भारत के उद्योग-धंधों में कितने मामलों में विदेशी सहयोग प्राप्त था।

(घ) मौजूदा उपायों के अलावा और कोई उपाय करने का अभी विचार नहीं है।

विकास के लिये जर्मन बैंक से ऋण

*1420. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जर्मन विकास बैंक ने भारत के लिये तीन ऋण मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, किस कार्य के लिये; और

(ग) इन ऋणों की कुल रकम कितनी है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : जी, हां। गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे और दरमियानी उद्योगों के लिए जो विदेशी माल आवश्यक है उसे मंगाने के लिए, विदेशी मुद्रा के रूप में किये जाने वाले खर्च की व्यवस्था करने के लिए क्रेडिटांस्टाल्ट फरबेडराफबौ (जर्मन विकास बैंक) ने तीन ऋण दिये थे, जिनकी कुल रकम 5.95 करोड़ रुपया (5 करोड़ ड्यूश मार्क) है। ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) औद्योगिक वित्त निगम : 2.38 करोड़ रुपया (2 करोड़ ड्यूश मार्क)

(2) औद्योगिक ऋण और निवेश निगम : 2.38 करोड़ रुपया (2 करोड़ ड्यूश मार्क)

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम : 1.19 करोड़ रुपया (1 करोड़ ड्यूश मार्क)

रूसी सहायता

*1421. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी दल कुछ परियोजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिये हाल में भारत आया था, जिनके लिये रूस ने सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): जी, हां। चौथी आयोजना की अवधि में, भारत ने जिन प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए रूसी सहायता का सुझाव दिया था उनके बारे में तकनीकी विषयों पर बातचीत करने के लिए सोवियत रूस के कई विशेषज्ञ, हाल के महीनों में, भारत आये थे और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

आस्ट्रेलिया के सिक्कों का बनाया जाना

***1422. श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री पन्ना लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1966 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई टकसाल में आस्ट्रेलिया के सिक्के बनाये जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई की टकसाल में, 1960 से 1965 तक की अवधि में, आस्ट्रेलिया के पेनी और और आधा पेनी (हाफ पेनी) के कुछ सिक्के नमूने के तौर पर इसलिए तैयार किये गये थे कि उन्हें सिक्के संग्रह करने वालों को मुहैया किया जा सके। इन सिक्कों के ठप्पे, सिक्के बनाने और उन्हें आस्ट्रेलिया की सरकार को देने के लिए, पिछले महायुद्ध के समय तैयार किये गये थे।

(ग) इस मामले में अब सरकार को आस्ट्रेलिया की सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ है और आस्ट्रेलिया की सरकार की इच्छा का आदर करते हुए सरकार ने ऐसे और सिक्के मुहैया करना बन्द करने का निश्चय किया है।

हरिके पाटन से नई नहर

4560. श्री कर्णी सिंहजी: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बेघरबार हुए परिवारों को फिर से बसाने के लिये उन्हें दी गई भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये सतलज और व्यास के संगम पर स्थित हरिके पाटन नामक स्थान के निकट एक तालाब से एक नहर निकालने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ; और

(ग) उन अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जो ऐसे बेघरबार परिवारों को दिये जाने विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को अनाज, निवास स्थान, पहनने को कपड़े, बिस्तरे, औषधीय सहायता, शिक्षा सम्बधी तथा जीवन की अन्य सुविधाएं दी गईं। विस्थापित व्यक्ति अपने पूर्व के व्यवसायों में अपने आप को बहाल कर सकें, इसके लिये रहनसहन भत्ते के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी व्यावसायिक उद्देश्यों तथा आवासों के पुनर्निर्माण के लिये अनुदान तथा ऋणों के रूप में सहायता दी जा रही है।

नेय्यार बांध

4561. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यथोचित सूचना दिये बिना दिसम्बर, 1965 के पहले सप्ताह में नेय्यार बांध के जल-कपाट (स्लूस) खुलने के कारण नेय्याथिंकारा तालुक (केरल) के लोगों को हुए नुकसान के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) जल-कपाट खोलने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा सूचना न दिये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) बहुत भारी वर्षा के परिणामस्वरूप 3 और 4 दिसम्बर, 1965 की रात्रियों को नैय्या नदी में बाढ़ आ गई थी और नदी के किनारे के नैयाट्टिकारा तालुक के निम्नवर्ती क्षेत्र जलप्लावित हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जलबकपाटों के खोलने से बाढ की तीव्रता कुछ हद तक बढ़ गई। परन्तु ऐसा होना अनिवार्य था क्योंकि वाहक्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जलाशय का स्तर बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था और बांध की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। जैसा कि दक्षिण-पुर्वी मानसून के दौरान आम तौर पर किया जाता है। जनता को इस सम्बध में सूचना दे दी गई थी कि जलाशय का स्तर बहुत ही ऊंचा है और कि बांध के कपाटों को किसी भी समय खोला जा सकता है। जिन ग्रामों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी उनको भी इस सम्बन्ध में 4-12-65 को सूचित कर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

केरल विद्युत् बोर्ड

4562. श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल विद्युत बोर्ड के व्यवहार के बारे में कोजीकोड नगर निगम से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायत की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड ने नगर निगम की जल सम्भरण योजना के लिये हाई टेंशन पावर देने संबंधी करार का उल्लंघन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : जी, हां। कोजीकोडे (कालीकट) निगम ने केरल राज्य बिजली बोर्ड के प्रति निम्नलिखित के बारे में शिकायत की है :—

(1) गलियों में रोशनी देने में देरी ;

(2) अच्छे रखरखाव की कमी ; और

(3) गलियों की रोशनी न जलाने के लिये छुट।

(ग) इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल बिजली बोर्ड

4563. श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बिजली बोर्ड द्वारा नियमित रूप से बिजली न दिये जाने के विरोध में कोजीकोडे नगर निगम से कोई शिकायत आई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोजीकोड में बिजली का बन्द होना एक साधारण बात हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। कोजीकोडे निगम से बिजली के बारबार बन्द होने और कम वोल्टता के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कोजीकोडे को बिजली की सप्लाई मद्रास ग्रिड और केरल ग्रिड दोनों से की जाती है। मद्रास ग्रिड से नियत मात्रा से अधिक और बिजली लेने के परिणामस्वरूप बिजली बारबार बन्द हो जाती है और वोल्टता में कमी हो जाती है।

(घ) साबरीगिरी और शोलायार में उत्पादन यूनिटों के चालू हो जाने पर बिजली की स्थिति में सुधार हो जाने की सम्भावना है। कोजीकोड को केरल ग्रिड से बिजली की पूर्ण सप्लाई देने का प्रस्ताव है। उससे कोजीकोड का बिजली की सप्लाई पक्की हो जाएगी।

बिजली पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन

4564. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने केरल की सीमा कासरगोड तक 20,000 किलोवाट पारेषण लाइन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में वचन दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उस स्थान तक एक सम्पर्क लाइन निकालने के लिये केरल बिजली बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल तक चक्करदार मार्ग होने के कारण मैसूर की बिजली काफी महंगी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिजली बोर्ड को तुरन्त एक छोटा मार्ग निकालने के सम्बन्ध में अनुदेश दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) मैसूर राज्य बिजली बोर्ड मैसूर में बंगलोर से केरल की सीमा तक एक 110 के० वी० पारेषण पथ का निर्माण कर रहा है।

(ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड सीमा से कसरगोडे तक अपनी ओर से 110 के० वी० पारेषण पथ का निर्माण कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

बिहार में औद्योगिक आवास योजना

4565. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने नियोजकों ने औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाये ;

(ख) 1964–65 तक सरकार ने कितना ऋण मंजूर किया ;

(ग) कितने मकानों की व्यवस्था की गई और किन किन औद्योगिक संस्थानों में मकान दिये गये तथा कितने कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं ;

(घ) ऐसे ऋण के लिये कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ङ) ऋण किन शर्तों पर दिया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 13।

(ख) भुगतान के लिए मंजूर की गयी राशि 84,61,920.00 रुपये है।

(ग) मांगी गयी सूचना का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6179/66**।]

(घ) 19 आवेदन पत्र।

(ङ) मकान बनाने के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता—(i) फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 की धारा 2(1) में आने वाले औद्योगिक कर्मचारियों, तथा (ii) खानों (कोयला तथा अभ्रकी खानों के अतिरिक्त) में कार्य करने वाले व्यक्तियों, जो कि माईन्स एक्ट, 1952 की धारा 2 (एच) के अर्थ में आते हैं तथा जिनकी आय 350.00 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, को दी जाती है। मालिकों को दिया जाने वाला ऋण 15 अथवा 25 एक समान वार्षिक किस्तों में सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये ब्याज पर प्रदेश है।

Financial Assistance for Contraceptives

4566. **Shri D. S. Patil :**
Shri Kamble :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have approached the Central Government for an additional financial aid to purchase contraceptives to be distributed to the people there; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No. The entire cost on contraceptives is borne by the Government of India.

Rural Electrification in Maharashtra

4567. **Shri D. S. Patil :**
Shri Kamble :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra requested the Central Government for grant of a special loan for rural electrification in 1965-66 ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) No.

(b) Does not arise.

दवाला हल्टी (मद्रास) में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आदर्श कल्याण शिक्षण केन्द्र

4568. श्री प० कुन्हन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या मद्रास राज्य में नीलगिरी जिले के दवाला हल्टी नामक स्थान में रहने वाली पांच सौ से अधिक बेरोजगार अनुसूचित आदिम जातियों को रोजगार देने के लिये वहां पर एक आदर्श कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : यह सूचना राज्य सरकार से मांगी है तथा जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में कोढ सर्वेक्षण

4569. श्री प० कुन्हन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल में कोढ़ की बीमारियो के बारे में सरकार ने कोई प्रारम्भिग सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला है, और

(ग) क्या राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोढ़ के इलाज के लिये और अधिक निदानगृह (क्लिनिक्स) खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां। इस सर्वेक्षण का परिणाम इस प्रकार है :–

(1) जांच किये गये व्यक्ति . . .	2,247,493
(2) रिकार्ड किये गये कुल रोगी . . .	26,104
(3) उपचार के लिये पंजीकृत किये गये कुल रोगी .	24,235
(4) रोगियों के सम्पर्क में रहने वाले वे स्वस्थ व्यक्ति जिन्हें अनुवर्ती उपचार के लिए पंजीकृत किया गया है	69,221

(ग) जी हां। चौथी योजना के पहले वर्ष में इस राज्य में 40 अतिरिक्त सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

केरल में महिला उपचर्या (नर्सिग) प्रशिक्षणार्थी

4570. श्री प० कुन्हन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या केरल में महिला उपचर्या (नर्सिग) प्रशिक्षणार्थियों का वजीफा बढ़ाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय 38 रुपये प्रति मास मिलने वाली राशि से प्रशिक्षणार्थी अपने सभी खर्च पूर नहीं कर पाते हैं; और

(ग) क्या वजीफों की राशि बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है क्योंकि निर्वाह-व्यय भी बहुत बढ़ा हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) : केरल सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उसने सहायक नर्स धात्री का प्रशिक्षण ले रही छात्राओं के मासिक वजीफे को 1 जनवरी, 1966 से 38 रुपये से बढ़कर 50 रुपये के आदेश जारी कर दिये हैं। सामान्य उपचर्या का प्रशिक्षण पाने वाली छात्रायें पहले से ही पचास रुपये प्रति मास के हिसाब से वजीफा ले रही हैं। इन दोनों पाठ्यक्रमों की छात्राओं को आवास सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाती है।

केरल में अन्धे व्यक्तियों को रोजगार दिलाना

4571. **श्री प० कुन्हन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तकनीकी शिक्षण-प्राप्त अन्धे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि तकनीकी प्रशिक्षण-प्राप्त कई अन्धे व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के लिये बाध्य होकर भीख मांगनी पड़ती है; और

(घ) क्या अन्धेपन के कारण विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (ग) : यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) राज्य सरकार निराश्रय, विकलांग व्यक्तियों को, जिन में अन्धे भी शामिल है, 15 रुपये प्रतिमास का सहायक अनुदान देती है।

Irrigation Schemes in Maharashtra

4572. **Shri D. S. Patil**: Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have forwarded eleven medium irrigation schemes such as (1) Upper Godavari, (2) Upper Larwa, (3) Kukadi, (4) Upper Wardha, (5) Upper Penganga, (6) Haldwarda, (7) Tulshi, (8) Manar, (9) Dudhganga, (10) Godavari, and (11) Punganga, for approval;

(b) if so when;

(c) the number of schemes out of them approved by the Central Government; and

(d) the reason for the delay in giving approval?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). The following eight schemes have been received from the Government of Maharashtra on the dates shown against each:—

1. Upper Godavari	5-9-64
2. Kukadi	10-6-65
3. Upper Wardha	10-8-64
4. Upper Penganga (comprehensive)	15-1-66
5. Haldwarda	27-4-64
6. Tulshi	15-4-65
7. Manar Stage II	21-4-64
8. Dudhganga	17-4-64

Of these six schemes are major ones costing more than Rs. 5 crores each.

(c) & (d). The Schemes are not yet included in the plans. Also the scope of the Projects has been considerably altered necessitating further review and discussion with State authorities.

मद्रास के विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्तियां

4573. श्री वें० तवर : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में प्रविष्ट मद्रास राज्य के ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 1,000 रुपये से कम होती है, केंद्रिय छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं उठा सके; और

(ख) ऐसे विद्यार्थियों को राज्य एवं केन्द्रीय छात्रवृत्तियों किस आधार पर दी जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में उप-स्नातक छात्रों के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं है। इस कार्य के लिये चुने गये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों को केन्द्रीय सरकार की तथा अन्य छात्रवृत्तियां दी जाती हैं बर्शर्ते छात्रवृत्तियां उपलब्ध हों। इनको देने में किसी राज्य विशेष का तथा छात्रों के माता-पिता की आय का कोई ख्याल नहीं रखा जाता ।

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थानके उपस्नातकों को कुछ छात्रवृत्ति राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों के लिये ऐसे छात्रों का चयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है जिनके पास संस्थान छात्रों के आवेदन पत्र भेज देता है। प्रत्येक राज्य सरकार के अपने अपने नियम है।

स्नातकोत्तर छात्रों को केन्द्रीय छात्रवृत्तियों योग्यता के आधार पर दी जाती है।

हैजा निरीक्षक

4574. श्री वासुदेवन नायर : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी की :

(क) क्या केरल सरकार ने 31 मार्च, 1966 को 41 हैजा निरीक्षकों की छंटनी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) 28 फरवरी, 1966 को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम समाप्त किये जाने पर कुछ गणकार और वैक्सीनेटर जिनकी काफी लम्बी सर्विस थी, फालतु हो गये थे । इन कर्मचारियों को, जिनकी लम्बी सेवाएं थी, रोजगार देने की दृष्टि से कनिष्ठतम 41 हैजा निरीक्षकों को, जिनकी सर्विस बहुत थोड़े समय की थी, नौकरी से हटाया गया और उनके स्थान पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई । राज्य सरकार का विचार है कि स्थान उपलब्ध होने पर छंटनी में आये इन हैजा निरीक्षकों को फिर से रोजगार दे दिया जायेगा ।

केरल के क्विलोन जिले में तपेदिक के रोगी

4575. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल राज्य के क्विलोन जिले में तपेदिक के कुल कितने रोगियों को सरकारी सहायता मिल रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि उनमें सबसे अधिक रोगी क्विलोन जिले के कारुनागाप्पल्ली तालुक के हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 962 ।

(ख) जी हां । क्विलोन जिले में सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे है 962 रोगियों में से 479 रोगी करुनागाप्पल्ली तालुक के हैं ।

केरल में चेचक

4576. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि ।

(क) क्या मार्च, 1966 में केरल राज्य के थोजुपूजा तालुक में चेचक से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो चेचक के कुल कितने मामले हुए; और

(ग) उससे कितने कुल व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक केन्द्र (सिविक सेंटर), दिल्ली

4577. **श्री राम हरख यादव** :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक नागरिक केन्द्र के निर्माण संबंधी नमूने को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा यह किस स्थान पर बनाया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : दिल्ली के मास्टर प्लान में रामकृष्णपुरम में रिंग रोड पर 35 एकड़ क्षेत्र में एक बाजार (डिस्ट्रिक्ट शापिंग सैन्टर) बनाने की परिकल्पना है। बाजार की डिजाइन के चुनाव के लिये सरकार ने एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता की पुरस्कार विजेता डिजाइन में, दूकानों, व्यावसायिक कार्यालयों, एक सिनेमा, एक कला वीथिका (आर्ट गैलेरी), एक खुला रंग मंच (ओपन-एयर थियेटर) कारों को खड़ा करने का स्थान तथा फ्लैटेड फैक्टरी क्षेत्र की व्यवस्था है। डिजाइन कुछ समायोजन के साथ अंगीकृत कर ली जायेगी। भूमि का विकास सरकार के द्वारा किया जायेगा तथा प्लाटों को नीलाम किया जायेगा। दूकानों व्यक्तिगत खरीददारों के द्वारा, अन्तिम रूप से सरकार के द्वारा अनुमोदित डिझाइन के अनुसार, बनाई जायेंगी। भूमि के विकास के कार्य के लिए अभी तक प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान

4578. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक के कार्यालय के सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारियों के लिये सरकारी निवास-स्थान की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) इस कार्यालय के कितने कर्मचारियों के लिये अभी सरकारी निवास-स्थान की व्यवस्था की जानी है; और

(ग) उनके लिये सरकारी निवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 192।

(ख) 267। इनमें से 20 कर्मचारी सरकारी निवास-स्थान लेना नहीं चाहते।

(ग) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के वर्ग में रखे गये हैं और वे सरकारी निवास-स्थान आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के अनुसार सामान्य पूल में निवास-स्थान पाने के पात्र हैं।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अधिकारी

4579. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी 1963 में प्रतिनियुक्ति पर विदेशों को भेजे गये थे; और

(ख) उस अवधि में सरकार ने उन पर कितना व्यय किया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) राजपत्रित . . . 1
अराजपत्रित. . .शून्य

(ख) प्रतिनियुक्ति की अवधि में वेतन और भत्तों पर 4561.28 रुपये। यात्रा आदि का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने दिया था।

पलाई सेंट्रल बैंक

4580. श्रीमती विमला देवी :
डा० उ० मिश्र :

क्या वित्त मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पलाई सेन्ट्रल बैंक के सरकारी परिसमापक तथा उसके कार्यालय पर अब तक वेतन के रूप में तथा अन्य कितना हुआ है ;

(ख) खातेदारों को और अधिक लाभांश के भुगतान के लिये सरकारी परिसमापक उच्च न्यायालय में कब तक अर्जी दे देगा; और

(ग) खातेदारों को भुगतान किये जाने के लिये इस समय उनके पास कितनी राशि तथा अन्य आस्तियां हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) परिसमापक के वेतन, कर्मचारियों के वेतन आदि, विधिसम्बन्धी व्यय और दूसरे खर्चों के कारण दिसम्बर, 1965 के अन्त तक 25.06 रुपया खर्च हुआ।

(ख) और (ग) : बैंकों के चालू खातों की रकमों और सरकारी प्रतिभतियों में लगायी गयी रकमों का जोड़ 31 दिसम्बर, 1965 को 30.90 लाख रुपया था। जो ऋण और अग्रिम अभी वसूल होने को बाकी हैं उनकी सम्मिलित रकम इसी तारीख को 299.94 लाख रुपया थी। चूंकि आवश्यक खर्च के लिए व्यवस्था करने के बाद सम्भव है नकदी और नकदी जैसे साधन इतने न हों कि जमाकर्ताओं को और अधिक अदायगियां की जा सकें, इसलिए अतिरिक्त भुगतान की घोषणा करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब बकाया ऋणों और अग्रिमों की वसूली में कुछ हो प्रगति जाय।

Foreign Exchange Granted for Medical Treatment Abroad

4581. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons granted foreign exchange for getting medical treatment abroad from January, 1965 to March, 1966 and the amount of foreign exchange granted; and

(b) the names and addresses of the people concerned together with the amount of foreign exchange granted to them individually?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) During the period 1st January, 1965 to 15th March, 1966, 576 persons were released foreign exchange equivalent to Rs. 42,43,634 for medical treatment abroad.

(b) These persons have been released foreign exchange on proper certification because of their suffering from some ailment or the other. It will be embarrassing for them if their names are given.

Slum Clearance in U. P.

4582. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount actually paid to the Uttar Pradesh Government for slum clearance during the year 1965-66; and

(b) the amount proposed to be given to the Uttar Pradesh Government for this purpose during 1966-67?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Rs. 21·22 lakhs.

(b) Rs. 15·00 lakhs. The actual amount will depend on the expenditure incurred by the State Government during the year.

Grant of Housing Loans for Central Government Employees in U. P.

4583. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of applications for the grant of loans for constructing house received from the Central Government employees working in U.P. from February 1965 till to-date ;

(b) the number of applications sanctioned by Government so far, District-wise and Department wise; and

(c) the total amount given during the said period?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 49.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT/6180/66.]**

(c) Rs. 4,49,750.

Leprosy Control Centres in U. P.

4584. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of patients who can be treated in Leprosy Control Centres in U.P.;

(b) the total amount given during the 1965-66 by Government to these Centres in the form of loans and grants; and

(c) the amount utilised by these centres out of these loans and grants during this period?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) 25,000 approximately.

(b) & (c). Central assistance amounting to Rs. 62·50 lakhs was released to the Government of Uttar Prdesh during 1965-66 for the control of various diseases including leprosy. According to the existing procedure for the release for Central

assistance, allotment of funds is not made scheme-wise but the grant-in-aid is sanctioned at the end of each financial year for broad groups or categories of health schemes including the scheme for the control of leprosy. Apart from this, a sum of Rs. 55,947 has been given as grant-in-aid to the voluntary agencies working in the field of leprosy in Uttar Prdesh in the year 1965-66. As the Central assistance has been given for a group of schemes, the exact amount out of it spent by the State Government on the Leprosy Control Programme during 1965-66 is not known.

सरकारी कार्यालयों का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

4585. डा० कोहोर : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में ले जाये जा चुके हैं; और

(ख) ये कार्यालय किन किन नगरों में ले जाये गये हैं तथा पद-क्रमवार कितने कर्मचारी अन्य स्थानों में गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के निम्नांकित कार्यालयों को जनवरी, 1963 के बाद राजधानी के बाहर भेजा जा चुका है :–

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	स्थान जहां भेजा गया
1	आयल एन्ड नेच्चुरल गैस कमीशन . . .	अधिकांश देहरादून को।
2	खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ कमीशन . .	लखनौउ।
3	फ़र्टीलाईज़र कारपोरेशन आफ इन्डिया (आंशिक) .	अधिकांश गोरखपुर को।
4	नेशनल मिनरल डेवलपमैंट कारपोरेशन . .	फ़रीदाबाद।
5	फलड्स एन्ड ब्रिजेज़ डायरेक्टरेट आफ दि रिसर्च, डिज़ाइन्स एन्ड स्टैन्डर्स आर्गनाईजेशन . .	लखनौउ।
6	आफिस आफ दि एडीशनल चीफ इंजीनियर IV, सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट . . .	नागपुर।
7	वाटर विंग आफ दि सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन.	फ़रीदाबाद।
8	इन्स्टीट्यूट आफ फिज़ीओलोजी एन्ड अलाइड . साइन्सेज	मद्रास।
9	आफिस आफ दि सुपरिन्टेन्डेंट पंजाब ब्लाक आफ दि डायरेक्टरेट आफ नेशनल सैम्पल सर्वे . .	चन्डीगढ़।
10	इन्डीयन इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम आफ दि काउन्सिल आफ साइन्टीफिक एन्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च .	देहरादुन
11	दि सेन्ट्रल इन्डियन मेडीसिनल प्लान्ट आर्गनाइजेशन आफ दि काउन्सिल आफ साइन्टीफिक एन्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च	लखनऊ।

1 से 7 तक की क्रम संख्या के कार्यालय मंत्रीमंडल के द्वारा लिए गये निर्णय के पालन में हटाये गये तथा 8 से 11 तक क्रम संख्या के कार्यालय संबंधित मंत्रालयों के द्वारा प्रशासनिक कारणों से हटाये गये।

हटाये गये कर्मचारियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है तथा वह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल में प्रशिक्षण प्राप्त अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को सहायता

4586. श्री प० कुन्हन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65 और 1965-66 में केरल के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई तथा इसके लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) पालघाट जिले के कितने व्यक्ति हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। केवल 1965-66 में।

(ख) 37 व्यक्तियों को 7,723 रुपये की राशि दी गई थीं।

(ग) तीन।

अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार

4587. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोज़गार सम्बधी पिछली गोष्ठी में सुझाव दिया गया था कि संघ, रेलवे अथवा राज्य के, प्रत्येक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कम से कम एक सदस्य होना चाहिये जो इस बात का ध्यान रखे कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को समुचित स्थान मिले; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) योजना आयोग द्वारा 30 जनवरी, 1964 से फरवरी, 1964 तक संयोजित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोज़गार सम्बन्धी विचार-गोष्ठी ने इस बारे में निम्नलिखित सिफारिश की थी :-

"प्रत्येक संघ/राज्य लोक सेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग तथा लोक सेवा में भर्ती के लिये स्थापित किये गये इसी प्रकार के निकायों में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का एक-एक व्यक्ति रखना अत्यन्त वांछनीय है।"

(ख) संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्तियां संविधान के भाग 16 में दिये गये उपबन्धों के अधीन की जाती है। रेलवे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों के लिये भर्ती के नियम संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से बनाये जाते है तथा उपयुक्त व्यक्तियों की नामिका से, जिसमें निवृत्त सरकारी अधिकारी, निवृत्त रेलवे अधिकारी भूत-पूर्व संसद-सदस्य, वकील, शिक्षा-विषारद इत्यादि शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों से ये पद भरे जाते हैं।

तो भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भूतकाल में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त किया जा चुका है, और इन पदों पर नियुक्ति के लिये रखी गई शर्तें पूरी करने पर इन जातियों के उपयुक्त लोगों को भी अन्य लोगों के साथ-साथ नियुक्त करने पर विचार किया जाता रहेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के संबंध में विचार गोष्ठी

4588. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में क्षति तथा गतिरोध के कारणों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के सम्बन्ध में हुई पिछली विचार-गोष्ठी द्वारा इन लोगों की शिक्षा के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ये सुझाव स्वीकार कर लिये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) विशेषतया अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में क्षति तथा गतिरोध जानने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पर, शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने स्कूल स्तर पर क्षति की समस्या का अध्ययन करने के लिये पूरी जन संख्या को, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भी शामिल है, आवृत करने वाला एक मार्गदर्शी सर्वेक्षण किया था। परिषद एक व्यापक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का आयोजन कर रही है। हम उससे अनुरोध करेंगे कि वह अपना व्यापक सर्वेक्षण करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के बारे में विशेष पूछताछ करे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धि पांचवी राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी ने भी शिक्षा में क्षति तथा गतिरोध घटाने के लिये कुछ सिफारिशें की थी, जो विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गई थी ताकि चतुर्थ योजना के लिये प्रस्ताव भेजते समय वे उन्हें ध्यान में रखे।

(ख) और (ग) : योजना आयोग द्वारा आयोजित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार सम्बन्धी विचार-गोष्ठी द्वारा दिये गये सुझाव सरकार ने मान लिये है तथा उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को कार्यान्विति के लिये भेज दिया गया है।

निर्धन लोगों को कानूनी सहायता

4589. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने के हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा इस हेतु उन्होंने वास्तव में कितनी राशि खर्च की ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : कुछ राज्य सरकारों ने राज्य आयोजना की योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कानूनी सहायता देने के लिये व्यवस्था की है। इसके बारे में सूचना उपलब्ध है और वह अनुबंध में दी गई है। 1965-66 में इस योजना के अन्तर्गत जिस राशि की व्यवस्था की गई थी, वह थी अनुबंध में दर्शाई गई है। इस कालावधि में वास्तविक रूप में खर्च की गई राशि के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

राज्य सरकार का नाम	1965-66 में व्यवस्थित की गई राशि	
	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां
	रुपये	रुपये
1 गुजरात	4,000	3,000
2 मैसूर		3,000
3 मध्य प्रदेश	5,000	3,865
4. उड़ीसा	10,000	10,000
5 पंजाब		10,000
6 राजस्थान	10,000	5,000
7 हिमाचल प्रदेश	20,000†	
8 त्रिपुरा	2,000	500

Changing Course of the Ganges

***4590. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have formulated a scheme in consultation with the Central Government to divert the main course of river Ganga towards Kanpur;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the amount likely to be incurred on this scheme?

†स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने के लिये की गई व्यवस्था भी शामिल है।

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

नगर तथा ग्राम आयोजन संबंधी अखिल भारतीय गोष्ठी

4591. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा ग्राम आयोजन सम्बन्धी अखिल भारतीय विचारगोष्ठी ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि पंच वर्षीय योजनाओं में गन्दी बस्तियों को हटाये जाने, मकानों की व्यवस्था तथा नगर आयोजन योजनाओं के कार्य थोड़े-थोड़े हिस्सों में तथा असमन्वित ढंग से किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्टी ने इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या सुझाव दिये; और

(ग) इन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : सैमीनार की सिफारिशों पर रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं में जिस प्रकार गंदी बस्ती, सफाई, आवास तथा नगर आयोजना की योजनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों तथा असमन्वय रूप में किया गया उस का हवाला उन्होंने दिया है तथा यह सुझाया है कि इन सभी योजनाओं को नगर-विकास तथा पुनर्विकास के एक व्यापक तथा सकल कार्यक्रम में मिला दिया जाये। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में धन का लगाया जाना

4592. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1964-65 और 1965-66 में अब तक उड़ीसा राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं में कितना धन लगाया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने कोई अभ्यावेदन किया है कि जीवन बीमा निगम उन योजनाओं में धन लगाये जिनकी क्रियान्विति में धन के अभाव के कारण विलम्ब हो रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा राज्य में उद्योगों के शेयरों और ऋणपत्रों के रूप में 1964-65 और 1965-66 में नीचे लिखे अनुसार रुपया सकल और शुद्ध रूप में लगाया है :-

वर्ष	रकम (लाखों में)
1964-65	13.40 रुपये (सकल और शुद्ध)
1965-66	37.47 रुपये (सकल)

(ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं

4593. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा परिवार **नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चालु वित्तीय वर्ष में स्वीकृति के लिये कुछ ग्राम्य जल संभरण योजनाएं पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उड़ीसा सरकार से 1965-66 में कोई ग्राम जल पूर्ति योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

आपातकाल के कारण सरकारी कर्मचारियों से अधिक समय तक काम लने के लिये समयोपरि भत्ते का दिया जाना

594. श्री बादशाह गुप्ता :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के कारण कर्मचारियों से अधिक समय तक काम लेने के लिये प्रतिमास मंत्रालय वार समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मई 1965 तक समाप्त हुए तीन वर्षों में सचिवालय के कार्यालयों में समयोपरि भत्ते के रूप में निम्नलिखित रकम दी गयी :-

जून 1962 से मई 1963 तक . . .	22,60,720
जून 1963 से मई 1964 तक . . .	26,84,396
जून 1964 से मई 1965 तक . . .	35,58,569

यदि संकटकाल के आरम्भ में

(i) सरकारी कार्यालयों में काम का समय आधा घण्टा न बढ़ाया गया होता; और

(ii) काम के निर्दिष्ट समय से अधिक अवधि को, जिसे समयोपरि भत्ते के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता, काम के किसी भी दिन 45 मिनट से बढ़ाकर एक घण्टा न कर दिया गया होता, तो ये रकमें और भी अधिक होतीं।

मंत्रालयों के अनुसार समयोपरि भत्ते के मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में जितना समय लगेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, वह उसके परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगा।

Bagh Kade Khan, Delhi

4595. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state:

(a) whether a declaration has been made that two-third area of Bagh Kade Khan (Sarai Rohilla, Delhi) is to be cleared off under the Slum Clearance Scheme even though the construction in this whole area was made after obtaining the permission of the Deputy Commissioner, Delhi, in 1945 ;

(b) if so, the reasons for which this area has been included under the Slum Clearance Scheme; and

(c) the action taken for its improvement ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The layout plan of Bagh Kare Khan was sanctioned by the Deputy Commissioner, Delhi, in 1935. Later, in March 1939, the Chief Commissioner, Delhi, extended the U. P. Town Expansion Scheme to this area; then in March 1941, a notification was issued forbidding house construction in this area ; and then in April 1957, the Delhi Development (Provisional) Authority issued a notification declaring this area as a slum area. In December, 1964, a portion of Bagh Kare Khan has been declared a clearance area under Section 9 of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956, which is bounded as follows :

North : Bagh Kare Khan Road.

South : Railway land and quarters.

East : Daryai Nala.

West : Houses No. 241, 288, 298, 301, School and temple.

(b) The condition of most of the buildings in the area is extremely bad. The area gets heavily flooded during the monsoons, which causes damage to the properties.

(c) As a temporary measure certain improvements such as cheap type drains, bricks paving, street lighting etc., have been carried out. Besides, 1,152 houses have been sanctioned for construction in the area under the Slum Clearance Scheme. Of these, 560 houses have already been completed.

चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

4596. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये 1965–66 और 1966–67 में अब तक पंजाब सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है और ;

(ख) पंजाब सरकार ने उस राशि को किन किन योजनाओं पर खर्च किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1965–66 में "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पंजाब सरकार को 14.76 लाख रुपये का अनुदान अस्थायी रूप से स्वीकृत किया जा चुका है जिसका अन्तिम हिसाब किताब राज्य सरकार द्वारा बतलाई जाने वाली उनकी वास्तविक खर्च की रकम के आधार पर 1965–66 में बठाया जायेगा । जहां तक 1966–67 का प्रश्न है अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) पंजाब सरकार ने यह रकम 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा' तथा मैडिकल कालेजों में दाखिलों की संख्या में आपातकालीन वृद्धि नामक योजनाओं पर खर्च की ।

छोटा नागपुर के आदिम जाति लोगों द्वारा प्रव्रजन

4597. श्री हु० च० सोय : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक कृषि भूमि की तलाश में आदिम जाति के किसान पिछले कई दर्शकों से छोटा नागपुर छोड़कर जहां वे पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, उड़ीसा में जा कर बस रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन किये जाने तथा बड़ी-बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को आरम्भ करने के कारण आदिम जाति लोगों को विवश हो कर वह स्थान छोड़ कर उड़ीसा जाना पड़ा है ;

(ग) क्या उत्तरी बिहार तथा भारत के अन्य भागों से भारी संख्या में लोग इस स्थान में आ कर बस रहे हैं तथा वहां से विवश हो कर बाहर जाने वाले आदिम जाति के लोगों से खाली होने वाले स्थान को पूरा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आगामी योजना में क्या कार्यवाही की जायेगी जिस से आदिम जाति के लोगों को इस योग्य बनाया जा सके ताकि वे आर्थिक तौर पर खुशहाल हो सके ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों का आयुक्त

4599. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण मंत्री** 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने जिन स्थानों का दौरा किया था वे सामान्यता, पर्यटन केन्द्र तथा सभी राज्यों के राज्य मुख्यालय है ;

(ख) क्या उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की वास्तविक दशा का अध्ययन करने के लिये सभी राज्यों के दूरस्थ गांवों का दौरा किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही इलाकों का दौरा किया गया था ।

(ख) निर्देशित प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित स्थानों को जाते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने कुछ दूरस्थ गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की दशा का पता लगाने तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं का निरीक्षण करने के लिये उनका दौरा किया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Technical Training Centre in Kotah

4600. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Minister** of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Technical Training Centre in Kotah, Rajasthan, which had been closed down previously has been reopened now for a period of one year only;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the period for which the centre would continue functioning?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) to (c). The Technical Training Centre at Kotah was not closed, but the 11th course of training, which was due to start on 1-12-1965, was actually started only on 15-2-1966, due to certain administrative reasons. The training course is of one year's duration. The Centre will continue to function.

Theft of Cement Bags at Airports in Delhi

4601. Shri Hukun Chand Kachhavaiya :
Shri Yudvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police apprehended some Chowkidars stealing cement bags at Safdarjang and Palam Aerodromes during the last year;

(b) if so, the number of cement bags stolen by them;

(c) whether some Officers were also involved in the said theft; and

(d) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Not to our knowledge.

(b) to (d). Do not arise.

पंजाब के लिये सिंचाई और विद्युत अनुसन्धान योजनाएं

4602. श्री बलजीत सिंह :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में पंजाब के लिये केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड द्वारा कोई अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की गई हैं, अथवा की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6181/66 ।]**

मैसूर में दुर्भिक्ष सहायता संबंधी उपाय

4603. श्री लिंग रेड्डी : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्भिक्ष सहायता सम्बन्धी राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन, जिसमें मैसूर राज्य में अकाल पीड़ितों के लिए सहायता सम्बन्धी उपाय सुझाये गये हैं ; योजना आयोग को कब दिया गया था ;

(ख) इस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उसमें सुझाये गये किन्ही उपायों को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नवम्बर, 1952

(ख), (ग) और (घ) : मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है :—

(1) तुंग सिचाई परियोजना को पूरा करना ;

(2) लक्कावलि परियोजना में तेजी लाना; और

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों में तालाबों का ठीक प्रकार से रखरखाव।

पहली दो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की। तीसरी सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा, जिन्हें प्रतिवेदन की एक प्रति कार्रवाई करने भेजी गई थी, कार्यान्वित की जानी थी।

लक्कदीव द्वीप समूह में अस्पताल

4604. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव द्वीप समूह के डाक्टर, औषधालय **और** अस्पतालों में शय्याएं पर्याप्त संख्या में नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : इन द्वीपों में कुल मिलाकर पचास पलंगों के दो अस्पताल और दस-दस पलंगों के छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औषधालय का काम करते हैं इस प्रकार जहां शेष भारत में प्रति एक हजार आबादी के पीछे पांच पलंगों की व्यवस्था है वहां इस द्वीप में 24,108 की आबादी के लिए 110 पलंग हैं। वहां दो चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। केरल सरकार से प्रतिनियुक्ति की शर्त पर इन डाक्टरों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

वजहनी बांध

4605. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर जिले में वजहनी बांध में जल-संग्रह में वृद्धि करने के हेतु सरकार ने एक बांध तथा नहर बनाने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) निर्माण-कार्य कब रा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : केरल सरकार ने वजहनी बांध में जल संग्रह की वृद्धि के लिये काक्किनिकड नामक एक स्कीम स्वीकार की है जिस में एक व्यपवर्तन वियर और नहर शामिल हैं। इस स्कीम की अनुमति लागत 3.67 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने कार्य के लिये टेन्डरों को मंगाया है। इस स्कीम के लिये भूमि अर्जन का काम प्रगति कर रहा है।

(ग) इस स्कीम के मई, 1967 तक पूरा होने की संभावना है।

पंडित नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद की मूर्तियां

4606. **श्री रामपुरे** : क्या **निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जवाहरलाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद की मूर्तियों के लिये स्थान का चुनाव कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख): मामला अभी तक विचाराधीन है।

Advance Insurance Company

4607. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Chandak :
Shri Nardeo Snatak :
Shri U. M. Trivedi :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri S. M. Banerjee :
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 445 on the 10th March, 1966 and state.

(a) whether it is a fact that the Oriental Timber Trading Corporation (Private) Ltd., Bombay, has filed a suit against the Advance Insurance Company for a claim of a very huge amount; and

(b) if so, the basis of the claim and the details thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes Sir.

(b) The claim is reported to have arisen out of an alleged fire in the godown of the paper mill of M/s Oriental Timber Trading Corporation Private Ltd., Bombay. The amount of claim lodged is reported to be Rs. 12,55,076/-. The matter is *sub judice* in the Bombay High Court.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पहाड़गंज

4608. **श्री गुलशन** :
श्री प० ह० भील :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पहाड़गंज, नई दिल्ली, में कोई भी उपचारिका नहीं रखी गई है और एक महिला सेविका उपचारिका का काम कर

रही है और वही महिला रोगियों को इंजेक्शन भी लगा रही है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी नियमों के विरुद्ध है;

(ख) क्या उक्त महिला के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : सामान्यतया केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी में कोई नर्स नियुक्त नहीं की जाती। तथापि विलिंग्डन तथा सफदरजंग अस्पतालों में चल रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकता पूर्ति के बाद यदि कुछ नर्सें उपलब्ध हों तो उन्हें कुछ डिस्पेन्सरियों में नियुक्त कर दिया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी पहाड़गंज में इस समय कोई नर्स नहीं है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरियों को दिये गये स्थायी अनुदेशों के अनुसार इन्जेक्शन केवल मैडिकल अफसर ही लगा सकते हैं। तथापि जहां प्रशिक्षित नर्स काम कर रही हैं वहां वे भी इण्ट्राविनस और पेनसिलीन इन्जेक्शनों के अलावा अन्य इन्जेक्शन लगा सकती हैं।

हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के एक हितग्राही से एक शिकायत मिली थी जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी, पहाड़गंज, में एक महिला उपचारिका रोगियों को इन्जेक्शन लगा रही थी। यह विशेष उपचारिका प्रशिक्षित नर्स "दाय" है। फिर भी इस औषधालय के मैडिकल अफसर इन्चार्ज को तब से कड़ी हिदायतें दी गई हैं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी दशा में इन्जेक्शन लगाने का काम किसी अनधिकृत व्यक्ति को न सौंपा जाय।

अनुग्रह निधि नियम

4609. श्री महेश्वर नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुग्रह निधि नियमों को अब उदार बना दिया गया है ताकि सेवा काल में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अधिक सहायता दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो पहली शर्तों को तुलना में नई शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : जी हां। नियमों की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखी है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6182/66।]**

(ख) संशोधित नियमों के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं :–

(i) यह निधि से सहायता पहले केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित थी जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि, परिवार पेंशन या उपदान जैसे मृत्यु सम्बन्धी अन्य लाभ नहीं मिलते थे। यह रोक हटा दी गयी है।

(ii) लाभ उन्हीं व्यक्तियों के परिवारों तक सीमित रखने की पाबन्दी भी हटा दी गयी है जिन्हें 750 रुपये तक प्रतिमास वेतन मिल रहा था।

(iii) आवेदन-पत्रों की जांच करने और सहायता की मंजूरी देने की प्रणाली सरल बना दी गयी है। विशेष रूप से, स्थानीय असैनिक अधिकारियों की रिपोर्ट अब आवश्यक नहीं है।

उत्तर प्रदेश की बिजली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

4610. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चार बड़ी बिजली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । उत्तर प्रदेश सरकार ने चार बिजली परियोजनाओं पर धन लगाने के लिये 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता मांगी थी ।

(ख) कुल सीमित संसाधनों के कारण और अन्य प्रबल तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति की तंगी की वजह से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना को पूरा करना संभव न पाया ।

महाराष्ट्र में भू-जलविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण

4611. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा भू-जलविज्ञान सम्बधी सर्वेक्षण कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस भाग में ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : बृहत्तर बम्बई, थाना, कोलाबा, अमरावती, पूर्वी खांदेश और शोलापुर के जिलों में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा भू-जलविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान किए गए हैं । पुर्ना तापी घाटी क्षेत्रों में भूमिगत जल के लिये अन्वेषणात्मक छेदन कार्य किया गया था । थाना, पूना, अहमदनगर, बृहत्तर बम्बई, धुलिया, जलगांव, अमरावती, भंडारा, नागपुर, परभनी, औरंगाबाद, उसमानाबाद, वर्धा, कोलाबा, नासिक, उत्तर सतारा, दक्षिण सतारा और योवतमाल जिलों में जल सप्लाई स्कीमों के लिये कई एक अनुसन्धान भी किये गये थे ।

Contagious Diseases among Residents of Jhuggis

4612. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of people living in Jhuggis in Delhi suffering from contagious diseases like tuberculosis, small-pox and malaria separately alongwith the names of localities; and

(b) the steps being taken by Government to provide adequate facilities to such persons?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :
(a) *Tuberculosis*—

There are 2,873 persons suffering from pulmonary tuberculosis among the residents of Jhuggis. A statment giving the distribution of these cases in different localities is attached. **[Placed in Library.** *See* **No. L.T. 6183/66.]**

Small Pox—

55 persons living in Jhuggis in Delhi were detected to be suffering from small pox during the period from 1st November, 1965 to 31st April, 1966 in the localities given below :—

S. No.	*Name of Locality*	*Total*
1	Qutab Road Jhuggis	20
2	Okhla Huts	3
3	Aya Nagar	2
4	Bhola Nagar, Shahdara	1
5	Jhuggi near Natraj Cinema	1
6	Wazirpur	1
7	Kingsway Camp	1
8	Silampur Jhuggi	1
9	Bhagwan Nagar, N.D.S.	1
10	Jagatpur	1
11	Wazirabad	1
12	Timarpur	3
13	Daryaganj	1
14	Anand Parbat	2
15	Anarkali Jhuggi	1
16	Najafgarh Jhuggi	4
17	Village Dhansa	4
18	Hardinge Bridge	1
19	Hauz Khas	2
20	Mandoli Bhatta	2
21	Mal Road Jhuggi	2
		55

Malaria—

There has been no positive case of malaria amongst the people living in Jhuggies in Delhi during 1966.

(b) The following steps have been taken under the various programmes in operation.

Tuberculosis

An fi ntensive case finding, treatment service and Mass B.C.G. Vaccination Programme is going on in the Capital in which priority is being given to the slum dwellers, Jhuggies population and the lower socio-economic group of people. Free drugs are also supplied to all patients.

Small Pox

Under the National Smallpox Eradication Programme, adequate protection to the people residing in Jhuggies, is given by :

(a) Mass vaccination of inner and outer ring of contacts.

(b) House to house search is conducted to find new or hidden cases.

(c) Health education and publicity measures are intensified to make vaccination more acceptable.

(d) Persons found suffering from smallpox are removed to the Infectious Diseases Hospital for isolation and treatment.

(e) Five flying squads consisting of five Vaccination Inspectors and 25 Vaccinators have been organised to vaccinate the population residing in Jhuggies, specially against smallpox.

Malaria

Under the active case detection procedure of the National Malaria Eradication Programme. domiciliary visits are made in the whole of Delhi including Jhuggies and blood smears are taken from all fever cases detected, for miscroscopic examination. If and when cases are found to be positive, such persons are radically treated with appropriate anit-malaria drugs.

सूत पर उत्पादन शुल्क

4613. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत पर उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करने के प्रस्ताव के बारे में आन्ध्र हथकरघा बुनकर सहकारी समिति सीमित की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने कोई ज्ञापन-पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन-पत्र में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं ;

(ग) ज्ञापन-पत्र कब पेश किया गया था; और

(घ) ज्ञापन-पत्र में दी गई विभिन्न बातों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित खास बातें पेश की गई हैं :—

(i) हथकरघा उद्योग में खपत होने वाले सभी सूती धागों पर से उत्पादन-शुल्क हटा लिया जाय, और यदि यह संभव नहीं हो तो पहले जैसे स्थिति वापस लाई जाय, अर्थात् अंटी के रूप में तयार किये गये 29 एन० एफ० से कम के धागे शुल्क-मुक्त कर दिये जाय तथा ऊंचे काउंट वर्ग के धागों पर उत्पादन-शुल्क घटाकर, बजट प्रस्तावों के पहले के स्तर पर लाया जाय।

(ii) प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर सुती धागे पर नहीं लगाना चाहिए।

(ग) ज्ञापन-पत्र वित्त मंत्री को 24 मार्च 1966 को मिला था।

(घ) उसमें उठाई गई बातों की जांच की जा रही है।

Technical Training Centre at Kotah

4614. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Technical Training Centre at Kotah, costly machines imported from U.S.A. are lying idle due to the scarcity of electricity;

(b) if so, its effect on trainees; and

(c) the reasons for the non-availability of electricity?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). Two items of machine tools, which are only occasionally needed for purposes of overhauls etc. are idle at the Technical Training Centre, Kotah. This has, however, not affected the training programme at the Centre, as the facilities in the neighbouring workshop of the Chambal Project are being availed of.

(c) Due to the failure of the monsoons in 1965, there was reduction in the generating capacity at Gandhi Sagar Power Station, resulting in cut on the consumption of energy in the areas fed by the Chambal system. The power supply position is, however, expected to improve shortly, as the Rajasthan State Electricity Board are making some alternative arrangements.

पुरुषों तथा महिलाओं के लिये समान सिविल संहिता

4615. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति की विषमताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस द्वारा दिये गये कुन्दा दातार स्मारक व्याख्यानों के दौरान सुझाव दिया गया है कि पुरुषों तथा महिलाओं के लिए समान सिविल संहिता बनाई जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पुरुषों तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति की विषमताओं के बारे में किये गये किसी विशेष सर्वेक्षण की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रस्ताव के ब्यौरे की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि भाषण का मूलपाठ अभी उपलब्ध नहीं है।

Insufficient Staff of Electricity Department in M. P.s Residential area

4616. **Shri Bade :**
Shri S. M. Bannerjee :
Shri Daji :
Shri Hukam Chand Kachhavaiyya :
Shri Onnkar Lal Berwa.

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Members of Parliament have to face difficulty many times as a result of insufficient staff of the Electricity Department posted in the Members' residential areas such as South Avenue, North Avenue, Rakabganj Road, Allenby Road, etc;

(b) whether it is also a fact that Government propose to divide this area consisting of about 500 flats and bungalows in two sections with a view to ensure quick and satisfactory services;

(c) if so, when the said division would be given effect ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Adequate C.P.W.D. staff has been provided for the maintenance of electrical services in the Members residential areas and to attend to the complaints. Members have not complained of difficulties attributable to insufficiency of staff.

(b) It is proposed to redistribute and reorganise the electrical works handled by all C.P.W.D. units pertaining to the maintenance of M.Ps. residences and Vithal Bhai Patel House.

(c) and (d). Decisions regarding the proposed redistribution will be taken sometime towards the end of this month.

Table Fans for M.P.

4617. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Daji :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of table fans in the offices of the Electricity Department in the residential areas of the Members of Parliament such as South Avenue, North Avenue, Allenby Road, Rakabhganj Road, Akbar Road, etc. is proportionately much less;

(b) whether it is also a fact that the ceiling fans have not been provided in the servants' quarters attached to the flats;

(c) if so, whether Government are considering either to provide table fans or in the alternative to provide ceiling fans; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No.

(b) Yes.

(c) No.

(d) As a general rule no fans are provided in the servants' quartres attached to Government residences under the control of the Ministry of Works, Housing and Urban Development which include residences in the M.P.'s pool.

भारत में आयुर्वेदिक पद्धति

4618. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थूय संगठन भारत में आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऐसे रवैये के फलस्वरूप इस पद्धति के विकास के सम्बन्ध में पर्याप्ति ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विश्व स्वास्थूय संगठन विश्व के विभिन्न भागों में सार्वजनिक हित के स्वास्थूय कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रहा है और जहां तक सरकार को जानकारी है उसने आयुर्वेद अथवा किसी देश की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में अभिरुचि नहीं ली है।

(ख) जी नहीं। हमारे यहां सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर आवश्यक ध्यान दे रही है।

आन्ध्र प्रदेश में पेय जल की कमी

4620. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **स्वास्थ** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुन्नकोल जिले के अलूर तालुक के लगभग 30 गावों में पीने के पानी के संभरण की स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनुमोदनार्थ एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक मंजूर की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अलूर तालुक के गांवों में पानी के संभरण के लिये एक योजना पिछले महीने राज्य-सरकार से केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन में छानबीन के लिये प्राप्त हुई थी। योजना की जांच कर ली गई है और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन के सुझाओं को योजना के पुनरीक्षण के लिये राज्य के मुख्य इंजीनियर के पास भेज दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से पुनरीक्षित योजना प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

कृषि पुनर्वित्त निगम

4621. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 की समाप्ति तक विभिन्न राज्यों की कितनी योजनाओं के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम ने धन व्यवस्था की;

(ख) वे योजनाएं क्या थीं; और

(ग) अंगूर की खेती के लिये, विशेषकर आंध्र प्रदेश में इस निगम ने अब तक कितनी निश्चित सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : कृषि पुनर्वित्त निगम ने, पहली जुलाई 1963 से, जब इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1966 तक भूमिको कृषि-योग्य बनाने और उसका विकास करने, भूमिका संरक्षण करने, नारियल, सुपारी, रबड, चाय और कहवा (काफी) के बाग लगाने तथा बागबानी और मुर्गी पालन के विकास से सम्बन्ध रखने वाली 34 योजनाएं मंजूर की है।

(ग) निगम ने अंगूर की खेती की किसी योजना के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन कुल 4.09 लाख रुपये की लागत की चार योजनाओं के सम्बन्ध में, प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। चार में से तीन प्रार्थनापत्र आंध्र प्रदेश के हैं और इन तीनों योजनाओं पर लगभग 2.82 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। सभी योजनाएं अभी विचाराधीन है।

Gold Smuggling in Delhi

4622. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 100 tolas of gold was recovered near the Delhi Railway Station on the 10th April, 1966;

(b) the number of arrests made in connection therewith and the place to which this gold was being taken; and

(c) whether it is also a fact that some Central Railway employees were also involved in it?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On 9th April, 1966 100 tolas of gold bearing foreign markings were seized from a passenger at the Delhi Railway Station.

(b) Only the person from whom the gold was seized was arrested. The gold was being taken to Dehra Dun.

(c) Investigations made so far do not indicate that any Central Railway employee is involved in this case.

Income-Tax Arrears in Ujjain District

4623. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrears of Income-tax have not been recovered so far in Ujjain District of Madhya Pradesh ;

(b) If so, the particulars of persons whose income-tax has been assessed and the number of those among them who have not paid the Income-tax so far;

(c) the total amount of income-tax outstanding; and

(d) the action taken by Government in this regard.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (d). Information is being collected about the amount of arrear income tax outstanding in the District of Ujjain (Madhya Pradesh) the number of assessees in respect of whom arrears are outstanding and the action taken by Government in this regard. This information will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

रिजर्व बैंक की ऋण संकोच नीति

4624. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय बैंक संस्था के प्रधान के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने रिजर्व बैंक की ऋण संकोच की नीति की आलोचना की है और कहा है कि उसका उत्पादन पर सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) रिजर्व बैंक ने अधिक कामकाज के चालू मौसम में खास-खास वस्तुओं के बारे में ऋण में ढील देने के लिए कदम उठाये हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रिजर्व बैंक की नीति का औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, फिर भी स्थिति पर समय-समय पर विचार किया जाता है और जो भी कार्रवाई आवश्यक या वांछनीय होगी, वह की जायगी।

Koyana Project

4625. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first unit of Koyana Project has been inaugurated ;

(b) if so, the proposed capacity of the Project, the number of units it would consist of and the total expenditure to be incurred thereon; and

(c) the names of States to which electricity would be supplied?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Yes. The commissioning of the first generating unit (75 MW) of the Koyna Hydro-electric Project, Stage II was inaugurated on 10-4-1966.

(b) The number of generating units and their capacities under the Konya Project involving three stages are :—

First Stage : Four generating units of 60 MW each.

Second Stage : Four generating units of 75 MW each.

Third Stage : Four generating units of 80 MW each.

The estimated costs of the three Stages are as under :—

Stage I. Rs. 38·28 crores.

Stage II. Rs. 12·44 crores.

Stage III. Rs. 31·89 crores.

(c) The Konya power will be available to Maharashtra State only.

Vaccine for treatment of Cancer

4626. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an American doctor has invented an injection for the cure of Cancer whereby this disease could be eradicated;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is proposed to experiment on this in India?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). It has been reported that a research team from Wayne State University and the Detroit Institute of Cancer Research has obtained some initial success in treating a small number of cancer patients during the last four years by injecting a vaccine principally composed of cells from the patient's own tumour mixed with rabbit's blood. Twenty patients with hopelessly advanced cancers were treated. Ten of them died; two appear to have recovered completely; eight experienced "stabilization or retardation of tumour growth". The report can only be considered as in an experimental stage and one of a large number of such projects going on all over the World in the field of cancer.

(c) No. Future developments in this particular research will be closely watched.

Complaint against Officers of Government of India Press, Aligarh

4627. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sometime ago, complaints were received against some officers of the Government of India Press, Aligarh, regarding the misuse of Government property by them;

(b) whether it is also a fact that orders have been issued for holding an inquiry into the matter;

(c) whether it is also a fact that the Officers against whom the enquiry is being held are harassing the employees concerned in such a manner that the help required for the enquiry may not be available and

(d) if so, whether Government are contemplating to transfer those officers from there till the enquiry is completed?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Certain allegations regarding harassment of the employees have been received and these also are being investigated.

(d) No. The question of punishment and/or transfer of Officers will be considered after the enquiry report is received.

सरकारी आवास नियतन सम्बन्धी नियम

4628. **श्री बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण , आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकानों के नियतन सम्बन्धी नियमों में पिछले पन्द्रह वर्षों में कितनी बार संशोधन किया गया ;

(ख) प्रत्येक संशोधन योजना के अन्तर्गत विशेषकर (एक) मकानों के वर्गीकरण (क्लासीफिकेशन) श्रणीकरण (केटेगराइजेशन) और (दो) विभिन्न वर्गों/श्रेणियों में नियतन के लिये प्राथमिकता निर्धारित करने की तिथियों के बारे में किये गये परिवर्तनों का विवरण क्या है ;

(ग) नियमों में बार-बार परिवर्तन किये जाने के यथार्थ कारण क्या है; और

(घ) क्या इस बात के लिये कोई एक समान सिद्धान्तों का पालन किया गया था कि नियमों में संशोधन करने के परिणामस्वरूप किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) तक : स्थिति संलग्न त्रिवरण में बताई गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6184/66 ।**]

बम्बई में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

4630. **श्री बसवन्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने 7 अप्रैल, 1966 को मुरुड (बम्बई) के पास दो मस्तूली जहाजों को रोक कर उनसे लाखों रुपये के मूल्य की निषिद्ध वस्तुयें बरामद की; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारीयों ने 6 अप्रैल 1966 को जंजीरा (मुरुड) के पास समुद्र में दो यंत्रचालित जहाजों को रोका और उन में से एक जहाज की तलासी लेने पर लगभग 2,66,600 रुपये के विदेशी सिगरेट , कलाई घड़ियां, सूती कपड़ा, मशीनी लाइटर और टेप रिकार्डर बरामद किये । इस जहाज को भी पकड़ लिया गया है दूसरे जहाज की तलासी में कोई निषिद्ध वस्तु बरामद नहीं हुई ।

(ख) जहाज के सभी ग्यारह चालक गिरफतार कर लिए गये थे । उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है

Water Supply in New Moti Nagar

4631. **Shri Prakash Vir Shashtri :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Balkrishan Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Balmiki :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whetner it is a fact that water does nor reach all the upper flats of the quarters in some of the blocks at New Moti Ngar in New Delhi due to very low pressure of water there;

(b) whether Government have received any complaints about the difficulty being experienced by the public in this connection;

(c) if so, the action being taken by Government in this regard; and

(d) whether the pressure of water has been increased in any block there and if so, the reasons for which the same has not been done in the remaining blocks?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) New Moti Nagar area mentioned in the question probably refers to the slum tenements as well as industrial housing by the side of the Moti Nagar Colony on Najafgarh Road. Water is generally available on the first floor of these tenements except in few blocks.

(b) Yes.

(c) In order to augment water supply in this area, a 30" main has already been laid from Wazirabad to Industrial Area Reservoir. From Industrial area to Tilak Nagar one main already exists and the other main is being laid. With the completions of these works, it will be possible to give substantial relief to these areas.

Temporary relief is, however, given by the regulation of sluice valves.

(d) Pressure has been increased in some blocks by making suitable interconnections and similar action is being taken in the other blocks also. The work is likely to be completed by the end of May, 1966.

नगरपालिका क्षेत्रों में नाली व्यवस्था के लिये अनुदान

4632. श्री श्रीनारायण दास : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना है कि जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों के नगरपालिका क्षेत्रों में भूमिगत पानी को निकालने के लिये नालियां बनाने की व्यवस्था करने के लिये ऋण तथा अनुदान दिये गये है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का विशिष्ट स्वरूप तथा उपबन्ध क्या हैं; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों के लिये, राज्यवार आंकड़ों सहित कितनी धनराशि नियत की गई थी और अब तक उन्हें कितनी दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : नगरीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रुप में केवल ऋण ही व्यय के 100 प्रतिशत तक दिये जाते हैं ;

यह पता नहीं है कि मलमूत्र योजनाओं के लिये व्यक्तिगत रुप से कितनी कितनी राशियां आवंटित की गई क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी सभी जल संभरण तथा मलमूत्र (नगरीय) योजनाओं की क्रियान्विति के लिये प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण मोटी रकम में दिये जाते हैं । तृतीय योजना के दौरान दी गई राशि बताने वाला एक विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6186/66 ।]**

बिहार में प्रेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें बिछाने के लिए अनुदान

4633. श्री श्रीनारायण दास : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में बिजली पहुंचाने के लिये पारेषण (ट्रान्समिशन) लाइनों की व्यवस्था करने के लिये, जिसके लिये भिन्न-भिन्न बिजली घरों में या तो व्यवस्था कि गई है अथवा की जा रही है, केन्द्र से विशेष अनदान अथवा ऋण देने के लिये मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Ayurvedic Dispensaries in Delhi

4634. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a demand for starting a large number of Ayurvedic dispensaries in Delhi and New Delhi;

(b) if so, the action being taken by Government in this connection; and

(c) the total number of such dispensaries which have already been started in Delhi and New Delhi so far?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) & (c). One more Ayurvedic dispensary has been opened recently for the exclusive use of C.G.H.S. beneficiaries. There are now two Ayurvedic dispensaries for Central Government sevants. Besides these, the Delhi Municipal Corporation are running 28 Ayurvedic dispensaries and one 36 bedded Ayurvedic hospital. They propose to open a 100 bedded Ayurvedic hospital at Village Hyderpur, and some more Ayurvedic dispensaries.

There are three Ayurvedic dispensaries under the New Delhi Municipal Committee.

Staff Cars

4635. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the Staff Cars by the various Ministries of the Government of India and their Attached Offices during 1965-66; and

(b) the total number of Staff Cars in these Offices in 1960 and their number as on the 31st March, 1966?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table when available ?

Welfare of Tribals

4636. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whther it is a fact that the amount allocated by the Centre to the various States for the welfare of tribals not been fully utilised;

(b) if so, the names of the States and the amount allocated to them for the five years ended on the 31st March, 1966;

(c) the amount which remained unutilised; and

(d) the reasons for which the full amount was not utilised?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar): (a) The Third Five Year Plan came to an end on 31st March, 1966 The progress reports for the year ending 31st March 1966, will be due in June, 1966. The requitsite information relating to the short-falls in expenditure etc. will be available after June, 1966, only. It is, therefore, not possible to state precisely at this stage whether the allocations will be fully utilised.

(b), (c) & (d). Do not arise.

विश्व आर्थिक सम्मेलन

4637. **श्री फिरोडिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष में किसी समय दूसरा विश्व आर्थिक सम्मेलन होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस सम्मेलन में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : अभी तक ऐसा कोई विश्व आर्थिक सम्मेलन नहीं हुआ है। हां, अगले वर्ष यू० एन०सी०टी०ए०डी० का दूसरा सम्मेलन बुलाने का विचार है इसका सदस्य होने के नाते भारत सरकार सम्मेलन में भाग लेगी।

पौधा संरक्षण के लिये तकनीकी सामग्री का आयात

4638. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966–67 में पौधा संरक्षण के लिये तकनीकी सामग्री का आयात करने हेतु कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 1966–67 में पोधों के संरक्षण के लिए, तकनीकी सामान मंगाने के लिए, अब तक 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निर्धारित की जा चुकी है।

वल्लभगढ़ में व्यापक ग्राम स्वास्थ्य परियोजना

4639. **श्री जसवन्त :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के नये तरीकों का विकास तथा प्रयोग करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ने पंजाब राज्य के वल्लभगढ़ नामक स्थान में एक व्यापक ग्राम स्वास्थ्य सेवा परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान्, नई दिल्ली ने राकफेलर प्रतिष्ठान और पंजाब सरकार के सहयोग से जन संख्या के एक बैसिक यूनिट के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना आरम्भ कर दिया है। प्रारम्भिक कार्य जनवरी 1964 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6186/66।]**

Strike threat by Delhi Hospital Employees' Union

4640. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the representatives of the Delhi Hospital Employees' Union registered as A.I.I.M.S. Branch have given notice to go on hunger strike from the 20th April, 1966;

(b) if so, their main demands; and

(c) the steps taken by Government to avoid the hunger strike and get the demands of the Union acceded to?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The main demands can be broadly categorised as under :

(i) Recognition of the Union;

(ii) Promotion/Confirmation of certain categories of employees; promotions to be given on the basis of seniority and stopping of advertisement for filling certain posts;

(iii) Action by the Institute for alleged rude behaviour of certain supervisory staff against certain employees;

(iv) Withdrawal of charge-sheets served on some of the employees;

(v) Creation/Upgrading of certain posts;

(vi) Grant of various allowances; treatment of certain allowances as pay; provision of electric fans and water metres in quarters;

(vii) Revision of pay scales/daily wages for certain categories of employees.

(c) Out of the 28 demands made by the Union in their letter dated the 7th April, 1966 notifying the hunger strike, 16 are old demands and several of them have already been conceded. Some of the old and new demands are under consideration of the Institute.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरावती में बीजों से तेल निकालन के संयंत्र में विस्फोट

Explosion in Seed Oil Extraction Plant at Amravati

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

"अमरावती में बीजों से तेल निकालने के संयंत्र में हुआ विस्फोट जिसके परिणामस्वरुप लगभग 33 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अन्य कई व्यक्ति घायल हुये।"

अब मृत व्यक्तियों की संख्या 41 हो गई है।

निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : अमरावती में लक्ष्मी आयल मिल इन्डस्ट्री के काटन सीड आयल फैक्ट्री में 26 अप्रैल, 1966 के प्रातःकाल हुए विस्फोट के परिणामस्वरुप हुई जीवन हानि तथा जख्मी हुए लोगों के लिए मुझे अत्यधिक दुःख है। अमरावती के जिलाधीश से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मिल के सोलवैन्ट एक्स्ट्रैक्शन प्लान्ट संयंत्र के एक्सट्रक्टरों में विस्फोट हुआ। संपूर्ण संयंत्र जिसमें निष्कासक (एक्स्ट्रैक्टर) शामिल है, जिनमें कि विस्फोट हुआ था, महाराष्ट्र सरकार के स्टेट फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। **संयंत्र के केवल भूमिगत सोलवेन्ट स्टोरेज टैन्क मेरे मंत्रालय के विस्फोटक विभाग की परिधि में आते हैं तथा पैट्रोलियम नियमों के अंतर्गत उन्हें लाइसेंस दिया गया हैं।** जहां तक स्टोरेज टैन्कों का संबंध है, जिनको कि लाइसेंस जारी किये गये हैं, विस्फोटक विभाग के द्वारा फैक्ट्री प्राधिकारियों के द्वारा पालन किये जाने के लिए, दुर्घटनाओं की रोक के लिए सुरक्षा नियम पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। **जिलाधीश अमरावती से पुष्टि के अनुसार इन भूमिगत सोलवैन्ट स्टोरेज टैन्कों को कोई क्षति नहीं पहुंची हैं।** इसकी संभावना है कि विस्फोट मिल के सोलवेन्ट एक्स्ट्रैक्शन प्लान्ट में किसी लीकेज के कारण हुआ हैं। राज्य सरकार के प्राधिकारी विस्फोट की जांच के लिए घटना स्थल पर पहले ही पहुंच चुके हैं तथा विस्फोटक विभाग से एक निरीक्षक श्री अमरावती जा चुका है तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। श्रम के राज्य मंत्री ने एक व्यक्ति का आयोग विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया हैं।

जो आग भड़क उठी थी वह बहुत भयंकर थी तथा वह नियंत्रण के बाहर थी क्योंकि उसे भड़कने में आयल तथा काटन सीड़ (बिनौले) के द्वारा और सहायता मिली। उसी दिन (26 अप्रैल) को लगभग 1.30 बजे अपराह्न तक केवल आंशिक रूप में आग पर नियंत्रण किया जा सका। आग से बहुत भारी क्षति हुई तथा उसके चारों ओर का 150 गज का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। फैक्ट्री परिसर (प्रेमिसेज) में 5 व्यक्ति मर गये तथा 56 व्यक्तियों को हस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें से 34 व्यक्ति मर गये तथा बाद में दो और लाशें पाई गयीं। इस प्रकार जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कुल 41 व्यक्ति मरे हैं। हस्पताल में भर्ती लोगों में से कुछ की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है।

दुर्घटना में मरे हुए कर्मचारियों तथा बाहर के व्यक्तियों के परिवारों को सहायता के रूप में राज्य सरकार के द्वारा 200 ˙ 00 रुपये प्रति परिवार की मंजूरी दी गयी है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री तथा नागपुर के आयुक्त ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों को और अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस जांच में, जिसे एक ऐसे श्रम न्यायाधिकरण को सौंपा गया है, जिस में कोई भी तकनीकी आदमी नहीं है, मुख्य निरीक्षक विस्फोटक, पदार्थ अथवा इस विभाग से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि को इस न्यायाधिकरण से सम्बद्ध किया जायेगा और क्या यह जांच केन्द्रीय सरकार की मदद से होगी ?

श्री भगवती : मुख्य निरीक्षक, विस्फोटक-पदार्थ तथा उनके सहायक इस मामले की जांच करेंगे। मुख्य निरीक्षक, विस्फोटक-पदार्थ ने दुर्घटना की जांच कर ली है और सरकार उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

जहां तक आयोग अथवा उससे सम्बद्ध किये जानेवाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार का विषय है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है—वह जो कुछ संभव होगा, करेगी। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो हम किसी व्यक्ति को यहां से भेज सकते हैं और मैं खुद भी जाकर इन मामलों की जांच कर सकता हूँ। किन्तु इस मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी सीमित है।

भूमिगत सोलवन्ट स्टोरेज टैंको को जिनके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम उक्त टैंकों से सम्बन्धित सुरक्षा नियमों के पालन करने में कोई गलती नहीं हुई है।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : May I know whetner it is obligatory under tne directions of the Labour Ministry to ensure proper inspection of sucn factories from time to time and also the observance of the prescribed safety rules, and wnether Government propose to hold any enquiry in this matter?

श्री भगवती : एक सदस्यीय आयोग द्वारा इसकी जांच की जायेगी। नागपुर स्थित केन्द्रीय सरकार का मुख्य निरीक्षक वहां जाकर जांच-पड़ताल करेगा। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र से भी किसी व्यक्ति को वहां भेजा जा सकता है।

श्री दाजी (इन्दौर) : विस्फोटक-पदार्थ विभाग के निरीक्षक इस घटना के कितने समय पूर्व अन्तिम बार उस फैक्टरी को देखने गये थे और उसका निरीक्षण किया था ?

श्री भगवती : मैं इस बारे में इस समय नहीं बता सकता।

श्री दाजी : निर्णायक प्रश्न तो यही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इस बारे में जानकारी प्राप्त करके बता दें।

श्री भगवती : जी, हां।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि ऐसे खतरनाक स्थानों के आसपास जहां विस्फोटक तथा सॉलवेन्ट्स से नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, कोई झोपड़ी न बनाने दी जाये ताकि गरीब, भूमिहीन तथा बेघर लोग मुफ्त में मारे न जाय?

श्री भगवती : भूमिगत सॉलवेन्ट स्टोरेज टैंकों का इन झोपड़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, तथापि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव महत्वपूर्ण है और उस पर भी विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whetner any Industrial safety conference at the Central level was convened in order to aivert recurrence of such tragic events; if so, the recommendations thereof and wnether these recommendations have been implemented in all the factories where explosives are used and if not, the steps taken by the Governments to get them implemented?

श्री भगवती : विस्फोटक पदार्थ विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य निरीक्षक तथा उप मुख्य निरीक्षक नियुक्त किये हुये हैं जो संयंत्रों में जाकर उनका निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि क्या उनमें निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं फिर भी यह सच है कि ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

[**Shri Madhu Limaye** : Sir, My question has not been answered. The Labour Minister can answer this.

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : पिछले वर्ष के अन्त में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई थी, यह तो मुझे इस समय याद नहीं है किन्तु सिफारिशें जरुर की गई थी और मैं समझता हूँ कि वर्तमान श्रम मंत्री उनके सम्बन्ध में जरूर कार्यवाही कर रहे होंगे।

Mr. Speaker : The recommendations made by the conference on Industrial Safety may be made known to the House, and also that whether they have been implemented.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): May I know whether Government have ever considered the proposal to pay a fairly good compensation amounting to a minimum of Rs. 50 thousand to the family of each of those killed in such accidents with a view to getting both Government and the employers cautioned against such tragic mishaps?

श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस दुर्घटना के बारे में ज्ञात होने पर मै ने मंत्रालय से पुछा था कि क्या हम ऐसी खतरनाक परिस्तियों में नियजकों के बूते पर श्रमिकों के लिये इतनी भावी प्रतिकर की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार नहीं कर सकते ?

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether any department has been established to go into the causes of such accidents and also to see that such factories, etc. are not located in the neighbourhood of the populated areas?

श्री भगवती : इन सभी मामलों पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग विचार करेगा।

श्री प्र० चं० बरुग्रा (शिवसागर) : क्या मजदूरों/कर्मचारियों को छोड़कर विस्फोट स्थल के आस-पास रहने वाले उन व्यक्तियों को जो जान और माल का नुकसान उठाते हैं प्रतिकर देने की वर्तमान कानून में कोई व्यवस्था है ?

श्री भगवती : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस आशय की घोषणा पहले ही कर दी है कि जिन व्यक्तियों को इस घटना के फलस्वरूप हानि उठानी पडी है, उन सभी लोगों को राज्य-सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए इस बात का पता लगाया है कि यह दुर्घटना कहीं सुरक्षा नियमों तथा भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप तो नहीं हुई ?

श्री भगवती : इन सभी बातों के बारे में जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त करना इस समय उचित नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस संस्थान के आसपास झोपड़ियां बनाने की अनुमति किसने और कैसे दी और क्या सरकार इसके लिये किसी को जिम्मेदार ठहरा रही है तथा क्या वहां रहने वाले से अभागे लोगों के परिवारों को जो श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, सरकार प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री भगवती : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन झोपड़ियों के निर्माण से केन्द्रीय सरकार का न तो कोई सम्बन्ध है और न ही उनके बारे में कोई उत्तरदायित्व। यह विषय राज्य सरकार का है। हमें तो केवल इस भूमिगत सॉलवेंट टैंक के लिये लाइसेंस देना होता है, वह भी हम तब ही जारी करते हैं जब हम अच्छी तरह यह देख लेते हैं कि पैट्रोलियम सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है।

श्री प्र० के० देव (कालाहंडी) : क्या सरकार इस विस्फोट के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने तथा उसे कड़ी सजा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री भगवती : दण्ड देने का प्रश्न तो तब उठेगा जब आयोग अपना प्रतिवेदन देगा।

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) : May I know the number of mill workers and non-mill workers killed in this mishap separately?

श्री भगवती : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

Shri Brij Bihari Mehrotra (Bilhaur) : May I know the steps being taken by the Government to get compensation paid to the families of these non-workers who were residing there in huts and were killed?

श्री भगवती : मै पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिकर के बारे में कुछ कहने के लिये हम सक्षम नहीं हैं। यह तो राज्य सरकार का विषय है।

लमडिंग तथा डीफू में रेलगाड़ियों में विस्फोट—जारी

EXPLOSIONS IN RAILWAY TRAINS IN LUMDING AND DIPHU—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ एक स्पष्टीकरण चाहते थे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : रेलवे मंत्रीद्वारा कल दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं गृह-कार्य मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या नागा फीडरल सरकार के स्वयं-भू गृह-कार्य मंत्री तथा उनके दो साथियों से 7 मार्च, 1966 को जोरहाट में बरामद किये गये कागजातों में उन दो व्यक्तियों के नाम नहीं है जिनके बारे में यह कहा गया है कि 17 फरवरी, 1966 को फरकेटिंग में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने में वे सफल रहे हैं; यदि हां, तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में क्यों हिचकिचा रही है जबकि उनकी गिरफ्तारियों से लमडिंग तथा डीफू की दुखद घटनाओं के बारे में भी कुछ और आगे पता चल सकता है? क्या नागा शान्ति मिशन के किसी सदस्य द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने अथवा कोई राय दी जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार नही किया गया है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : उस जीप में बैठ हुये व्यक्तियों से, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, ऐसे कुछ दस्तावेज मिले थे जिनमें इस बात का प्रमाण मिला था कि इन कागजातों का सम्बन्ध उन विस्फोटों से था, जो हो चुके थे—कम से कम एक विस्फोट से सम्बन्धित व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और कुछ अन्य विशेष व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : उन व्यक्तियों के नाम 7 मार्च, 1966 से सरकार के पास उपलब्ध हैं, फिर भी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय नहीं ले सकी है, आखिर क्यों? अध्यक्ष महोदय, क्या आप मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे आगे और कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है। और किया भी क्या जा सकता है?

श्री हेम बरुआ : कितने दिन से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? इस सरकार से तो खुदा ही बचाये।

श्री रंगा (चित्तूर) : वास्तव में मुख्य प्रश्न ये हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है : क्या नागा शान्ति मिशन के सदस्यों के हस्तक्षेप पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है? अपराध में जिन व्यक्तियों का हाथ होने का प्रमाण मिला है, उनके नाम क्या हैं; और ऐसे कौन से प्रमाण मिले हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि अपराध में उनका हाथ था? मैं समझ नहीं पाता कि आखिर गृहकार्य मंत्री इन प्रश्नों का साफ-साफ़ उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं जब कि यह मामला किसी न्यायालय के समक्ष भी नहीं है।

श्री नन्दा : इनमें से एक व्यक्ति तो स्वयंभू सरकार के स्वयं-भू कृषि मंत्री हैं और दूसरे गृह-कार्य मंत्री नहीं बल्कि गृह-सचिव हैं। किन्तु तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से सम्बन्धित जिन दो व्यक्तियों के नाम दस्तावेज में हैं, वे व्यक्ति कोई और ही हैं। अतः यह स्पष्ट है कि शान्ति मिशन के किसी सदस्य का निदेश, जैसा कि समझा गया है, इन दो व्यक्तियों के बारे में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ का कथन भी यही है कि उन दस्तावेजों में उन दो व्यक्तियों का उल्लेख है, जिनका तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में हाथ था और जब उनके नाम उपलब्ध हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पहला प्रश्न यह है। दूसरी बात–क्या शान्ति मिशन के किसी सदस्य द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर तो ऐसा नहीं हुआ है।

श्री नन्दा : बिलकुल नहीं। शान्ति मिशन के किसी भी सदस्य ने कोई निदेश नहीं दिये हैं जिनसे उन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी रुक सकती। इस बारे में कोशिश जारी है। वे कहीं छिप रहे होंगे अथवा भाग गये होंगे। अतः हम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस ढंग में उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। मैं सदस्यों को एक-एक करके प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : रेलवे मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण को पढ़कर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यदि सुरक्षा तथा पुलिस को इन तथ्यों की जानकारी थी, तो लमडिंग घटना के बाद उन्होंने इस बारे में जांच क्यों नहीं की और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तथा कोई जानकारी हासिल क्यों नहीं की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : प्रश्न है–लमडिंग घटना के बाद कुछ भी नहीं किया गया–क्यों ? मैने यह विवरण वहां से वापस लौटने पर 25 तारीख को लिखा। वास्तव में वहां स्थिति ऐसी है—कि मौजूदा हालत में किसी व्यक्ति पर शक करना अथवा उसे हिरासत में लेना मुश्किल है। केवल दो गिरफ्तारियां की गई हैं—एक लमडिंग में और दूसरी डिफू में अतः मैंने कहा है कि हालातों को ठीक करना बहुत जरुरी है। इस लिये मैंने सिफारिश की थी कि तुरन्त कार्यवाही की जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह है कि यदि सरकार को इस बारे में सूचना मिल चुकी थी और वहां स्थित सुरक्षा विभाग के लोगों तथा पुलिस को पहले ही यह पता लग गया था कि वहां के कुछ लोग योजनाबद्ध कार्यवाही आयोजित कर रहे हैं तो उस स्थिती में डीफू घटना से पूर्व उन्होंने वास्तव में क्या कार्यवाही की ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि प्रश्न मुझ से पूछा गया है तो मैं यही कहूँगा कि न तो सुरक्षा विभाग के लोगों ने कोई कार्यवाही की और नहीं पुलिस ने।

श्री फ्रैंक अन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : इतने खतरनाक दस्तावेज पकड़े जाने के बावजूद भी सरकार ने इनमें प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक षड़यन्त्र के प्रत्यक्ष अभियोग में क्या गिरफ्तार नहीं किया ? दूसरी बात यह कि सरकार इन दो व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं बताती; क्यों वे व्यक्ति छिपे नागाओं से सम्बद्ध हैं? उपयुक्त समय पर समुचित कार्यवाही न करने के लिये सरकार कर्तव्य-च्युत होने की दोषी है।

श्री नन्दा : तथा-कथित कृषि मंत्री यहां हुई वार्ता के बाद अपने लोगों को कुछ सन्देश देने के लिये कोहिमा जा रहे थे। इसलिये ऐसा समझा गया कि उन्हें सन्देश पहुचाने जाने दिया जाये। जिन व्यक्तियों के पास ये चीजें पाई गई थीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

श्री हेम बरुआ : नहीं, नहीं। उसके साथ नागा फीडरल सरकार के तथा कथित गृह-सचिव तथा ब्रिगेडियर को भी छोड़ दिया गया। जीप से केवल दो व्यक्तियों—ड्राइवर तथा चपरासी को—गिरफ्तार किया गया।

श्री फ्रैंक अन्थनी : क्या वे क्रान्तिकारी नागाओं से सम्बद्ध हैं ?

श्री नन्दा : मेरी जानकारी यह है कि वे प्रमुख रुप से सम्बद्ध नहीं हैं। (व्यवधान) फर्क जरुर है—जिन लोगों का इसमें हाथ है वे लोग इन व्यक्तियों से भिन्न हैं। इस समूचे मामले पर सभी पहलुओं से आगे विचार किया जा रहा है और एक विशेष स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, from the statements of the various Ministers, it will appear that the Members of the existing Government have no sense of collective responsibility and they put blame on one another and make inconsistant and contradictory statements. It is a mockery and a blot on the name of Government. It is absolutely necessary to fix the collective responsibility in this matter so as to enable this House to have definite and cristal clear answer to all the points that have been raised in this connection.

श्री नन्दा : वास्तव में यह बड़ी परेशानी की बात हो गई है। प्रधान मंत्री ने हाल में कहा है कि समूची स्थिति का पुनरीक्षण आवश्यक है। एक बहुत ही उच्चस्तर पर हमने अफसरों तथा इनटैलीजेंस के अफसरों को भी इन बातों पर विचार करने के लिये भेजा है। हो सकता है आसाम सरकार से परामर्श करने के बाद इस बारे में कुछ और अधिक कहना संभव हो सके।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, the point that I raised has not been answered.

Mr. Speaker : I am not in a position to say anything about the reply to the question. If the hon. Member wants, he can bring the matter in some other form.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, the only way left out to us is to bring a motion of no-confidence in the Government but we cannot do so. It is necessary for the Government to observe the principles of collective responsibility.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या यह सच है कि इस प्रतिवेदन पर, जिसमें अपराध सिद्ध करने वाले प्रमाण मिले हैं, कथित ब्रिगेडियर ने हस्ताक्षर किये थे, और इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने किस विशिष्ट प्रकार के पग उठाने हैं; उन्हें गिरफ्तार करने में कौन सी कठिनाइयां बाधक बन रही हैं और क्या वे लोग नागा हैं अथवा नहीं।

श्री नन्दा : मैंने स्वयं इन दस्तावेजों तथा फोटोस्टैट प्रतियों को देखा है।

यह उस व्यक्ति द्वारा एक उच्चतर अधिकारी को भेजी गई एक रिपोर्ट है जिसे इस जघन्य कार्य करने के लिये तनात किया गया था और उस व्यक्ति ने इस रिपोर्ट में बताया है कि यह काम किया गया है। तत्पश्चात् उसकी एक प्रति किसी अन्य अधिकारी को भेजी गई थी। यह वही प्रति थी जो मिली है और जिसकी एक फोटोस्टैट प्रति हमारे पास है। अब प्रश्न यह है कि इन सम्बन्धित व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है। इस बारे में पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के लिये, जैसा मैंने कहा, हमारे अधिकारी वहां गये हुये हैं और उनके अधिकारी भी यहां आ रहे हैं। हम इस बारे में ब्यौरा मालूम करके सूचना दे सकेंगे। (अन्तर्बाधाएं)।

श्री दाजी (इन्दौर) : जब इस प्रश्न पर पहले वाद-विवाद हुआ था, तब क्या प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री दोनों को अथवा उनमें से किसी को इन बातों का पता था, परन्तु इस सभा को जानबूझकर यह गलत विश्वास दिलाया गया कि इस निष्कर्ष पर पहुचने के लिये कि तोड़फोड़ की योजना मूल रुप से नागा विरोधियों द्वारा बनाई गई थी, कोई प्रर्याप्त तथा ठोस प्रमाण नहीं है और यह कहा गया कि सरकार ने क्रांतिकारी नागा सरकार से टैलीफोन से बातचीत की है और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया मालूम की है। हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि तथाकथित फीडरल सरकार ने इन बातों के बारे में चिन्ता प्रकट की है। हम यह जानना चाहते हैं कि जब प्रधान मंत्री ने इस सभा तथा समूचे देश को गलत फहमी में डालने वाला वक्तव्य दिया तो क्या तब यह दस्तावेज सरकार के पास नहीं था। क्या यह सच नहीं है कि इन दस्तावेजों के साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले थे जिनमें भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिये योजना तैयार की गई थी? क्या ब्रिगेडियर, गृह-सचिव तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के बजाये उन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो उनके साथ गये हुये थे और उनके चाकर थे?

श्री नन्दा : यह घटना, तोड़-फोड़ की कार्यवाही, जो विचार-विमर्श का विषय था, उस मामले से अलग है जिसका इस दस्तावेज में उल्लेख है। यह काफी पहले की बात है और उस दस्तावेज में ऐसी कोई बात नहीं थी—जिससे किसी भावी योजना का संकेत मिल सकता।

श्री दाजी : उसी दिन एक दूसरा दस्तावेज बरामद किया गया था। दूसरी बात यह कि उन्होंने इस प्रश्न का जबाब नहीं दिया कि अपना वक्तव्य देने से पहले प्रधान मंत्री को इस बारे में जानकारी थी अथवा नहीं। क्या उस समय यह दस्तावेज गृह-कार्य मंत्री के पास था अथवा नहीं और उसे प्रधान मंत्री को दिखाया गया था अथवा नहीं?

श्री नन्दा : यह दस्तावेज, जैसा मैंने कहा, इस विशेष तोड़फोड़ की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं था। वह इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही से भी सम्बन्धित था।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमान, हमारे प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं दिये जाते। गृह-कार्य मंत्री ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया है किन्तु अन्य दो प्रश्नों के बारे में वह क्यों मौन धारण कर गये?

श्री नन्दा : जहां तक हमें इस सामग्री के अध्ययन से जानकारी प्राप्त हुई है, वह अशान्ति पैदा करने वाली हैं और उस दिन प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उसका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। निश्चित रुप से ये सभी चीजें . . .

श्री दाजी : क्या वाद विवाद का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री को इन दस्तावेजों के बारे में पता था?

श्री नन्दा : श्रीमान्, मैं उस दिन सभा में उपस्थित नहीं था। उस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या थी, इस बारे में मैं मालूम करूंगा। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को बार-बार पूछा जा रहा है। गृह-कार्य मंत्री सूचना एकत्रित करके सभा को दे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ये व्यक्ति नागा लोग हैं अथवा अन्य कोई और?

श्री नन्दा : दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये व्यक्ति नागा लोग हैं।

Shri Madhu Limaye : The other day Dr. Ram Subhag Singh stated in his statement that the whole matter was under investigation and the detailed information could be had only when it was completed. However, it was learnt

from the reliable sources that these explosions were being carried out and engineered at the behest of foreign countries and some powerful weapons were being secured from the foreign countries, on one hand, the Home Minister in his reply to questions raised in connection with the Lumding incident, said that these explosives could be manufactured in our country also. On the other hand, Dr. Ram Subhag Singh on his return from Lumding stated that these explosives and weapons were being supplied from foreign countries. In this context, I want to know whether it is a Government or a set of contradictions and whether these things will ever be set right?

Shri Nanda : I said that the costic explosives that were being used there could be manufactured here also. Unless a thorough investigation is made, we are not in a position to say what exactly is the position regarding that.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा (असैनिक), 1966

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री सचीन्द्र चौधरी की ओर से में **राजस्व प्राप्तियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6169/66।]**

आपात जोखिम (माल), बीमा (संशोधन) योजना, 1966 आदि

श्री ब० रा० भगत : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पल रखता हूँ :

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1036 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6170/66।]**

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1037 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6171/66।]**

(3) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिये जमा-बीमा निगम के कार्य-चालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6172/66।]**

मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1966 आदि

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : श्री मेहरचन्द खन्ना की ओर से में निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के निवास स्थान (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 9 अप्रैल,

[श्री भगवती]

1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 514 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6173/66।]**

(2) (अेक) एक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुये वर्ष के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6174/66।]**

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE-LEGISLATION

कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की तेरहवीं से सोलहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

पांचवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सतासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सतासीवां प्रतिवदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ सातवां प्रतिवेदन

श्री अरुणचन्द्र गुह (बारासाट) : मैं उद्योग मंत्रालय-विकास आयुक्त का संगठन, लघु उद्योग-ग्रामोद्योगीकरण के बारे में प्राक्कलन समिति का 107 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

बम्बई में छापे के बारे में तारांकित प्रश्न सख्या 750 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 750

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : 24 मार्च, 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 750 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि पकड़ गये 85.6 किलोग्राम सोने

की कीमत 45,87,401 रुपये थी। अब मालूम हुआ है कि यह गलत था। अन्तर्राष्ट्रीय दर, जिस पर प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 53.58 रुपये है, यह सोना ठीक 4,58,740 रुपये मूल्य का है। हिसाब लगाने में डेसीमल गलत जगह रखे जाने के कारण यह गलती हुई है।

2. बम्बई के बाजार में गैर-सरकारी (अन ऑफिशियल) तौर पर सोने की तलाशी के समय 130 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अतः आयकर अधिकारी द्वारा जब्त किये गये सोने का मूल्य बाजार भाव पर 11,13,031 रुपये लगाया गया।

Shri Hukamchand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether any action has been taken or proposed to be taken against the persons who gave incorrect information.

Shri B. R. Bhagat : This mistake occurred due to wrong placing of decimal. Information was not incorrect.

एशियाई विकास बैंक विधेयक

ASIAN DEVELOPMENT BANK BILL

श्री ब० रा० भगत : श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एशियाई विकास बैंक स्थापित करने तथा उसे चलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एशियाई विकास बैंक स्थापित करने तथा उसे चलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अनुदानों की मांगें—(जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

गृह कार्य मंत्रालय—जारी

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : अध्यक्ष महोदय, भारत रक्षा नियम चीनी आक्रमण के समय से लागू हैं और लोकतंत्रीय व्यवस्था में इतने लम्बे समय तक इन नियमों को बनाये रखना अच्छी बात नहीं है। गृह-कार्य मंत्री के इस कथन से मैं सहमत हूँ कि देश के सभी सीमा क्षेत्रों की रक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है। किन्तु गृह-कार्य मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या यह संभव नहीं है कि भारत रक्षा नियमों को रद्द करके केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये, विशेषतः प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये तुरन्त कुछ नियम बना दिये जायें। केवल इस युक्ति पर कि इन नियमों को केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू किया जायेगा, लोकतंत्रीय शासन में इन्हें बनाये रखना आवश्यक तथा उचित नहीं है। यह सच है कि आपवादिक परिस्थितियों में आपवादिक कार्यवाहियों की आवश्यकता पड़ती है।

केन्द्र तथा राज्य में हमारे गुप्तचर विभाग का कार्य ऐसा रहा है जिससे ऐसा जाहिर होता है, कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर मौके पर, जब कभी भी हमारे सामने बाहर से कोई खतरा उत्पन्न हुआ

[श्रीमती रेणुका राय]

है, आक्रमण हुआ है, देश में तोड़ फोड़ की कार्यवाही हुई है, तो इस विभाग की यही कहानी रही है। हमारे सभी सीमावर्ती क्षेत्रों मे कुछ समय से गड़बड़ होती रही है, अभी भी इन क्षेत्रों में कुछ न कुछ गडबड चलती रहती है। किन्तु इस विभाग वालों को कुछ भी नजर नहीं आता। इतने वर्षों के बाद भी इस विभाग के कार्य के बारे में अब भी यही शिकायत बनी हुई है। अत: गृह-कार्य मंत्री को इस प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये और इसको सुधारने के लिये कुछ पग उठाने चाहियें जिससे यह विभाग सक्रिय हो सके।

मैं 1957 से ही जब से मैं इस सभा की सदस्य बनी हूँ इस बात पर जोर देती रही हूँ कि सरकारी व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है तथा इस को आधुनिक आवश्यकताओं के अनु-रूप बनाने के लिये आमूल तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु आजतक ऐसा नहीं किया गया है।

यह सच है कि राज्य सरकारों ने प्रशासनिय सुधार समितियां बनाई है और उन्होंने कुछ सुधारों की सिफारिश भी की है। हाल ही में केन्द्रीय सरकारने भी इस समस्या के लिये एक समिति बनाई है। हमें बहुत ही कठिन स्थिति का सामना करना है और हम इस से छुटकारा पाने में तभी सफल हो सकते हैं जब सरकारी व्यवस्था हमारी नीतियों को उचित रूप से कार्यान्वित करे। हम अबतक भी ब्रिटेन की प्रक्रियाओं तथा विनियमों का पालन कर रहे हैं जिनको ब्रिटेन ने भी रद्द कर दिया है।

सामाजिक प्रशासन के रूप में सरकार की सारी व्यवस्था को समाजवादी समाज की स्थापना करने की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाना चाहिय। ऐसे समाज की स्थापना करने में हमारी असफलता का मुख्य कारण यह है कि हम प्रशासनिक व्यवस्था को कोई उचित रूप नहीं दे सके हैं। इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशासनिक सुधार समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की बजाय हमें तुरन्त कुछ उपाय करने चाहिये।

हाल ही में मैंने अपने राज्य के कई जिलों का दौरा किया है। कई जिलों में सरकार की खाद्य के वितरण तथा वसूली सम्बन्धी नीति काफी सफल थी परन्तु कई जिलों में यह बिल्कुल असफल थी। मेरा विचार है कि सरकार की नीतियों को सफल बनाने में जिले के स्थानीय प्रशासन पर बहुत कुछ निर्भर करता है इसी लिये मैंने बार बार यह बात दोहराई है कि यदि हमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करनी है तो जिला प्रशासन में योग्य व्यक्ति लगाये जाने चाहिये।

आर्थिक संकट के साथ साथ विश्वास के अभाव का भी संकट हमारे सामने है और दो वर्ष पश्चात् इन्हें दूर करना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा चाहे आयोग का प्रतिवेदन कितना ही अच्छा क्यों न हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि लोगों के असंतोष को दूर करने के लिये सर-कार को तुरन्त उपाय करने चाहिये।

हां, मैं मांगों का समर्थन करती हूँ तथा आशा करती हूं कि मेरे सुझावों पर केवल विचार ही नहीं अपितु अमल भी किया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : महोदय मैं श्रीमती राय से इस बात मे सहमत हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है तथा इसके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस मंत्रालय का प्रतिवदन भ्रमपूर्ण है। ऐसी कई त्रुटियां तथा कमियां हैं जिन के कारण हम महसूस करते हैं कि गृह-कार्य मंत्रालय वह सब कुछ नहीं कर सका है जिसकी इससे आशा थी।

तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिय हमें नये 'इन्स्टीट्यूशन फोरम' स्थापित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों में निराशा तथा असंतोष को रोकने के लिय हमे आत्म विश्लेषण करना चाहिये। आज के दृष्टिकोण तथा आदर्शों के ह्रास को रोका जाना चाहिये। इस बारे में मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये।

यह बात चिन्ताजनक है कि हम जनसाधारण में उदासीनता तथा निराशा को दूर नहीं कर पाये हैं और न ही इस बात के लिये प्रशासनिक अथवा अन्य प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं या किये जा रहे हैं कि देश के विकास में बुद्धिजीवी लोगों का हाथ हो। हम देश की जनता को विकास कार्यों में भाग लेने के लिये प्रेरित नहीं कर पाये हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तथा जनता के बीच कोई यथार्थ संपर्क नहीं है और प्रशासक को मुख्यतः इसी बात की ओर ध्यान देना चाहिये। आज की मनमानी राजनीति से लोगों में असंतोष फैला है।

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि देश में केन्द्रापग शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित होता जा रहा है। इससे देश का भविष्य नष्ट हो सकता है। हम चाहते हैं कि केन्द्र अधिक शक्तिशाली हो। सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को जो एकता तथा अखंडता प्रदान की है, यदि हम उसे बनाये रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश का भविष्य उज्जवल हो तो यह आवश्यक हैं कि देश का एकात्मक आधार होना चाहिये। संसदीय प्रभुसत्ता पुनः बनाई जानी चाहिये।

एक और मूल प्रश्न नौकरशाही तथा लोकतन्त्र के बीच सम्बन्ध का है। प्रश्न यह है कि प्रभावी नीति बनाने का अधिकार किसको है। बहुधा हम दखते हैं कि प्रशासक ही मंत्री को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। मालूम होता है कि मंत्री धीरे धीरे प्रशासनिक सेवा के अधिवक्ता बन गये हैं और वास्तव में वही लोग देश पर शासन करते हैं। मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि राजनैतिक गुणों के ह्रास को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

कुछ समय के लिये शिक्षाविशारदों को सरकार चलाने के काम पर लगाया जाना चाहिये। जब राष्ट्रपति कैनेडी अमरीका में सत्तारूढ़ हुए थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसा किया था और उससे अमरीका की प्रशासनिक प्रक्रिया में एक नया जीवन आ गया था।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आचार संहिता बनाई जानी चाहिये। उनके कुछ आदर्श होने चाहिये जिनको पूरा करना उनके प्रशासनिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिये।

सतर्कता आयुक्त तथा शिकायतों सम्बन्धी आयुक्त की संस्था बनाना एक ठीक कार्य है परन्तु राजनैतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में सरकार पर जो आरोप और दोष लगाये जा रहे हैं उनको देखते हुए सरकार के लिये केवल यहीं उचित था कि वह ओम्बुडसमैन की संस्था स्थापित करती।

आपात को देश के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने में कोई सांवैधानिक कठिनाई नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने यह कह कर कि संविधान के अधीन आपात को किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता, एक झूठे तर्क का आश्रय लिया है। संविधान के अनुच्छेद 352 तथा 359 (दो) स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपात को किसी भी क्षेत्र विशेष तक सीमित किया जा सकता है। आपात के दौरान, किये गये कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिये सांवैधानिक संशोधन विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव है वह एक बहुत ही गलत कदम है और इसको नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : देश के विभाजन के कारण तथा दूसरे घरेलू कठिनाइयों के कारण गृह-कार्य मंत्रालय को पिछले वर्षों में काफी कठिन कार्य करना पड़ा है। परन्तु आज गृह-कार्य मंत्रालय के सामने और भी अधिक कठिन कार्य है। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं ह। एक ओर तो हमें चीन से जिसने हमारा हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है और दूसरी ओर पाकिस्तान से भी खतरा है क्योंकि ताशकंद घोषणा के पश्चात भी पाकिस्तान के आक्रमक रवैय

[श्री अ० प्र० शर्मा]

में परिवर्तन नहीं हुआ है । इन बाह्य खतरों के बावजूद देश के सामने खाद्य की कमी जैसी विभिन्न समस्याएं हैं । देश में कुछ समाज-विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश की कठिनाइयों से लाभ उठाते हैं । वामपक्षी साम्यवादी खुलेआम साम्यवादी चीन के प्रति निष्ठावान हैं । इन परिस्थितियों में आपात की स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को समाप्त करना उचित नहीं है । मंत्री मण्डल में भी इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया गया है । केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही भारत रक्षा नियमों के प्रयोग के बारे में सरकारने जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है । भारत रक्षा नियमों का प्रयोग ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी करना पड़ सकता है जो देश के अन्य भागों में हिंसात्मक कार्यवाहियां करते हैं तथा लोगों को हिंसात्मक कार्यवाहियां करने पर उकसाते हैं । मेरा विश्वास है कि लोगों को सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने तथा अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार है चाहे सरकार कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो परन्तु ऐसा सब कुछ शान्तिपूर्ण तथा लोकतन्त्रात्मक ढंग से किया जाना चाहिये । प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चुनाव होते हैं और यदि लोग सरकार से असतुंष्ट हों तो वे इसको चुनाव द्वारा बदल सकते हैं । भारत रक्षा नियमों के प्रयोग के मामले में राज्य सरकारों को पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिये । राज्य सरकारों को भारत रक्षा नियमों का प्रयोग, यदि आवश्यक हो, तो केन्द्रीय सरकार की सहमति से करना चाहिये ।

हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और उसको अपनी लोकतन्त्र की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना चाहते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रशासनिक आफिसरों को राज्यों तथा जिलों में 'अधिकारी' कहा जाता है । अधिकारी का अर्थ उन लोगों से हैं जिनके पास शासन करने की शक्ति है । परन्तु प्रश्न यह है कि इन लोगों को यह शक्ति किसने दी है और इन लोगों को अधिकारी किसने बनाया है ? वास्तव में वे जनता के सेवक हैं जनता ने ही उनको यह शक्ति प्रदान की है । परन्तु प्रशासनिक स्वामियों की तरह व्यवहार करते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है तो वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने यह परिवर्तन लाने की आवश्यकता को महसूस किया है और इस उद्देश्य हेतु श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कर दी है ।

सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकारने परस्पर सलाह तथा मध्यस्थता की जो व्यवस्था की है मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं । योजना के खण्ड 19 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि यदि दोनों दलों के बीच किसी विषय पर समझौता नहीं होता है तो इस विषय के लिये यथासम्भव शीघ्र मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये । चूंकि योजना के अन्तर्गत यह निर्णय करने के लिये कि क्या किसी विषय को मध्यस्थता के लिये दिया जाये अथवा नहीं, विवेक शक्ति सरकार के पास है, इसलिये, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में कोई समय-सीमा निश्चित की जानी चाहिये । जिन विषयों के बारे में कोई समझौता न हो सके उनको एक मास के अन्दर अन्दर मध्यस्थता को सौंप दिया जाना चाहिये ।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार तथा कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है। परन्तु कर्मचारियों तथा स्वामी के रूप में सरकार के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने

का उद्देश्य तबतक पूरा नहीं हो सकता जबतक विषयों के बारे में कुछ परिवर्तन न किये जायें जो वर्तमान योजना के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय के योग्य नहीं हैं।

इस बात का निर्णय करने का अधिकार रेलवे मंत्रालय को नहीं होना चाहिये कि जिस विषय के बारे में समझौता कराने की स्थायी व्यवस्था के बारे में सहमति न हो सके उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जाये अथवा नहीं। इस बारे में हम बहुत दिनों से आपत्ति कर रहे हैं। इस बात का निर्णय करने के लिये कि क्या कोई विषय मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जाये अथवा नहीं, तीन मंत्रियों की एक समिति बनाई जानी चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The arrest of the left Communists have been made not in the interest of the country but for the benefit of the beaurucratic machiney and also for the personal interests of the Chief Ministers of the States. A member of left Communist Party, who collected the largest amount for N.D. Fund during Chinese attack has been arrested in Rajasthan for political reasons. In this way people are being arrested in Rajasthan. In that particular case I met the concerned Chief Minister and made the whole position clear. The man was released after sometime because there was no substance in that case.

It is very strange that an I.C.S. Officer is looking after the work of three posts at a time i.e., one man is holding the posts of Director General Post & Telegraph, Secretary of the Communication Department and Chairman of the Post and Telegraph Board. It indicates how your Govenment is functioning under the influence of the I.C.S. Officer. The old I.C.S. Officers think very high of themselves.

It is said that the officers from Punjab are given preference to those from Rajasthan. This is against D.O. letter No. 27/5/52-AIS(II), dated 18-3-53 sent by the Union Ministry of Home Affairs to the Chief Secretary of Rajasthan. But it is not being followed in practice.

Political parties are growing in number but the number of people in them is decreasing. There should be a Commission for that. Recently I read a report in an Urdu paper of Kashmir wherein a Minister stayed as a guest to an office and tried to assault his wife. But no action was taken by the Government on that.

About prohibition we say so much but we do not do much in practice. Either we should observe prohibition in full or do not observe it at all. This midway adjusted at present is very bad. Politicians of all parties take wine.

About Hindi, I find that people in South appear to be having second thoughts. Seth Govind Das had to say painfully that it would be better if Government puts an end to use of Hindi if it continues during it in a half-hearted manner.

Dr. Katju advocated that Sanskrit should be the Official language of India. We should take definite steps in this direction.

We have seen how M.Ps. were pressurised at the time of the selection of Prime Minister of India. This is not a healthy practice.

There is a motion of integration of services but it has as yet not been completed. Similar is the case of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services.

The work regarding emergency done by the Home Ministry was incomplete and nobody can feel happy about that. It should be ended.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जो गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोले हैं और अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय विभिन्न मामलों से संबंधित है। अब केवल कानून तथा व्यवस्था कायम करने का प्रश्न ही नहीं रहा। इसे प्रशासन, भाषा आदि कार्य भी करने होते हैं। इन में सुधार की भी गुंजाइश है।

भ्रष्टाचार भी एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार का कार्य-क्षेत्र भी बढ़ गया है।

मैं तो नये अधिकारियों से सदा यह कहता हूं कि जब भी जनता का कोई व्यक्ति अपनी शिकायत आपके पास लेकर आता है तो आप यह दृष्टिकोण अपनाओ कि हो सकता है कि जो वह कहता है वह सत्य हो, ठीक हो। यह पूर्व धारणा मत रखो कि बस सरकारी कानून और नियम ही ठीक हैं और जो वह कहता है वह गलत है। उसके साथ ही अधिकारी का जहां संबंध सरकारी फाईलों से हो, वहां उस से भी महत्वपूर्ण उसका संबंध नागरिकों से है। इन बातों के लिये प्रशासन के कार्यक्रम में भी उचित परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसी ही बातों के लिये एक परामर्श समिति नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष डा० कार्वे होंगे और उसके अन्य सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा श्री नाथ पाई इस सदन के सदस्य तथा श्री रुथनास्वामी और श्री सिन्हा राज्य सभा सदस्य होंगे। जो सिफारिश वह समिति देगी हम उसे कार्यान्वित करेंगे। इस लिये अब प्रशासन के सामने नयी जिम्मेदारियां आ गई हैं।

साथ ही सदन को यह भी पता है कि प्रशासन सुधार आयोग नियुक्त कर दिया है।

इस के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने विभिन्न समितियां नियुक्त की हैं ताकि वहां के प्रशासन में सुधार हो।

श्री माथुर ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और इस से काफी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

लोकतन्त्र में लोगों को साथ ले चलना पड़ता है और इस कारण प्रशासन को दूसरे ढंग का होना पड़ता है और यह कठिन कार्य नहीं है। सौभाग्य से हमने प्रशासन सुधार आयोग नियुक्त किया है जिसके मुख्य एक योग्य व्यक्ति श्री मोरारजी देसाई है। मैं अब यह प्रार्थना करूंगा कि हम सब इसे पूरा सहयोग दें।

डा० सेन ने कुछ आलोचना की है और मैं इन सब की जांच करूंगा। परन्तु यदि 100 बातों में एक गलत बात मिला दी जावे तो उन से बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने यह आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग जांच कर रहा है। यह सर्वथा झूठ है। इसी प्रकार यह कहना कि वाल्कोट की गिरफ्तारी का श्रेय "इन्द्रपोल" को जाता है, गलत है। यह कार्य तो केन्द्रीय जांच विभाग ने बम्बई गुप्तचर विभाग की सहायता से किया।

इसी प्रकार डा० सेन ने केन्द्रीय कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में आलोचना की। मैंने स्वयं इसकी पड़ताल की है और कुछ मामलों में तो वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता है।

व्हिटले कौंसिल्स के बारे में भी कुछ सदस्यों ने कहा है। जिन तीन विषयों पर कर्मचारियों ने जोर दिया है उनका संबंध सेवा नियम, वेतन तथा छुट्टियों से है। सरकार ने मध्यस्थता का हक अपने पास रखा है। यदि यह जन हित में नहीं है तो वह मध्यस्थ के पास मामला नहीं भेजेगा।

श्री प्रिय गुप्त का यह कहना कि औद्योगिक कर्मचारियों को सिविल कर्मचारी मान लिया जाय, नहीं माना जा सकता । जो भी लाभ उन्हें औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत मिलते हैं वह उनके पास रहेंगे ।

हम तो यह चाहते हैं कि मालिक और नौकरों के बीच सारे झगड़े मित्रतापूर्वक सुलझा लिये जावें । दूसरी बात यह कि जो भी यूनियन इसमें मिलना चाहें उन्हें हड़ताल न करने का प्रण लेना होगा। मुख्य बात तो यह है कि आपस में मिल जुल कर और सहयोग से काम करें ताकि कोई झगड़ा हो तो वह प्यार से हल हो जावे। इसी भाव से यह योजना बनाई है और मुझे आशा है कि सब इस से सहमत होंगे ।

डा० सेन ने कहा कि हजारों व्यक्तियों की छंटनी कर दी है तथा उनके पद कम कर दिये हैं। यह गलत है। कोई थोडे बहुत मामलों में पद घटा दिये होंगे। हम यह चाहते हैं कि फाईलों पर शीघ्र कार्रवाई हो। इसी कारण एक "अधिकारी-प्रधान योजना" बनाई गई और इसके कारण कुछ असिस्टेंट और क्लर्क्स फालतु घोषित कर दिये गये। परन्तु हमने यह योजना अन्य मंत्रालयों में लागू नहीं की। साथ ही जो व्यक्ति फालतु हुए हैं उन्हें दूसरे काम दिये जायेंगे और उसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक "सैल" खोल दी है।

सरकार के उच्च निवृत्त व्यक्तियों को साधारणतः दो वर्ष तक गैर-सरकारी कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। परन्तु इस पर हम कतई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते क्योंकि इस बारे में हमने सदा न्यायवादी तथा अन्य कानूनी विशेषज्ञों से राय ली है और उनका कहना है कि यदि पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया तो दल से संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा। उसके अतिरिक्त जब कोई अधिकारी इस प्रकार नौकरी की अनुमति मांगता है तो यह भी देखना होता है कि वह उसके पद के लायक भी है अथवा नहीं।

श्री त्रिवेदी का कहना है कि हमने "सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस" के अच्छे कार्य का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने वास्तव में कच्छ-सिंध झगड़े के समय कार्य किया और हम ने इसका उल्लेख रिपोर्ट में किया है।

उन्होंने एक राजा को मान्यता न देने के बारे में में भी कहा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कार्य कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं करता। इस बारे में इस रियासत के रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री द्विवेदी ने सुझाव दिया है कि सीमा सुरक्षा दल सेना के अधीन हों। शान्ति के समय ऐसा नहीं किया जा सकता। हां लड़ाई के समय वह सेना के नीचे होते हैं। सेना तथा उसके अधिकारियों के बीच काफी समन्वय होता है। सीमा सुरक्षा दल के लोगों को गवालियर के निकट प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को बड़े ध्यान से सुना है परन्तु वह सरकार का एक कमजोर पक्ष के बारे में वकालत कर रहे थे।

सरकार को चाहिये तो यह कि कठिनाइयों को दूर करें परन्तु यह तो अधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। जब कभी कोई गड़बड़ होती है तो सरकार अपना दोष मानने की बजाय यह कहती है कि यह विरोधी दल निर्वाचन के समय ऐसा ही किया करते हैं। क्रान्तियों को कोई उत्पन्न नहीं करता बल्कि वह स्वयं आती ह जब उनके लिये उचित वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसलिये मैं यहां जितने आन्दोलन होते हैं उसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराता हूं। आज की सरकार जनता से धोखा और बेवफाई कर रही है। यह बेवफाई देशद्रोह के बारे में है और इसलिये यह सरकार देशद्रोही है।

इस सरकार का विश्वास तो गोली चलाने में ही प्रतीत होता है।

[श्री मनोहरन]

भारत रक्षा नियमों के बारे में श्री नन्दा ने कहा था कि इनका प्रयोग बहुत कम होगा और वह भी वहां जहां गड़बड़ होगी। परन्तु अब यह निर्णय कर दिया है कि ऐसी स्थिति का फसला राज्यों के मुख्य मंत्री करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि इस बात का निर्णय प्रतिरक्षा मंत्रालय को करना चाहिये कि क्या आपात काल की स्थिति तथा भारत रक्षा नियम जारी रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां अब भी हैं अथवा नहीं, गृह-कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि आपात की स्थिति जारी रहनी चाहिये। आपात काल को जारी रखने का कांग्रेसी भी कड़ा विरोध कर रहे हैं परन्तु गृह-कार्य मंत्री इसमें बाधा बन रहे हैं। यदि वह यह अनुभव करते है कि भारत रक्षा नियम तथा आपात काल की स्थिति के बिना वह देश का प्रशासन नहीं चला सकते तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि समूचे देश में अवरुद्ध व्यक्तियों को रिहा किया जा रहा है। यह बताया जाना चाहिये कि श्री उमानाथ तथा श्री इम्बिचिबावा को कब तक रिहा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या श्री इम्बिचिबावा के विरुद्ध जारी किये गये वारंट वापिस ले लिये जायेंगे तथा आदेश रद्द कर दिये जायेंगे अथवा उन्हें पहले गिरफ्तार करके बाद में रिहा किया जायेगा। आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे।

देश के कितने ही बड़े नेताओं की सलाह तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित राष्ट्र के कितने ही विधिवेत्ताओं के सुझाव के बावजूद गृह-कार्य मंत्री इस बात पर अड़े हुये हैं कि आपात की स्थिति जारी रहनी चाहिये क्योंकि उसके बिना यह सरकार नहीं चल सकती। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह मामले के इस पहलू पर विचार करें और आपात की स्थिति तथा भारत रक्षा नियम वापिस लें।

राजभाषा सम्बन्धी नीति का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री का इस संबन्ध में दिया गया आश्वासन 'मैगना कारटा' के समान है। जब तक उसे कानूनी रूप न दिया जाये तब तक यह गैर-हिन्दी भाषी लोगों के प्रति धोखा देने का प्रयत्न होगा। केवल हिन्दी को ही राज भाषा बनाना न केवल देश की अखण्डता के लिए बल्कि राष्ट्र के विराम के लिए भी घातक है। इसलिए, संविधान में दर्ज सभी चौदह भाषाओं को समान अवसर मिलने चाहियें। प्रत्येक सदस्य को सभा में अपनी भाषा में बोलने का अधिकार मिलना चाहिये।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तमिल, मलायलम, कनाडा अथवा तेलगु के लिए वहां कोई स्कूल नहीं है। दक्षिण भारत के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, भारत सरकार वहां तमिल तथा मलायलम भाषा बोलने वालों को तथा दक्षिण भारत के लोगों को क्यों नहीं भेज रही है। इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री महेश दत्त मिश्र (खंडवा) : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते समय मैं श्री नन्दा को देश के गृह सम्बन्धी मामलों को सफलतापूर्वक तथा दक्षतापूर्वक निभाने के लिए बधाई देता हूं। ऐसे समय में जब कि हमें विदेशों से खतरा है और देश में एक प्रकार की अनुशासनहीनता है, गृह-कार्य मंत्री ने देश के लोगों को यह आशा बंधाई है कि वह ऐसे समय में भी कार्य कर सकते हैं, देश में होने वाली सभी घटनाओं के लिए सरकार की नीतियों को किन प्रकार जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। विरोधी दल के सदस्य इस सदन के बाहर उत्तजित करने वाले भाषण देते हैं और फिर वे सरकार को इस बात का दोष देते हैं कि उसने पुलिस को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दी।

जहां तक बस्तर की घटनाओं का सम्बन्ध है, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह तथ्यों अथवा घटनाओं के बारे में जानता है। इस बात से उस सभा में कोई भी असहमत नहीं हैं कि वहां की घटनाओं का कारण चाहे कुछ हों, वे घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण थीं। इस देश में बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं परन्तु बस्तर के विषय को ही विशेष महत्व देकर हम जनता अथवा सरकार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। बस्तर की घटनाओं के बारे में बहुत प्रचार किया गया है परन्तु हमें तब तक कुछ नहीं कहना चाहिये जब तक कि जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित न हो जाये।

इस देश के सामने विभिन्न समस्यायें तथा स्थितियां हैं। हमें इन आन्तरिक तथा बाह्य समस्याओं का हल ढूंढ़ना है। मेरा सुझाव यह है कि देश में शक्ति का और विकेन्द्रीकरण किया जाये। हमें पश्चिम का अनुकरण करने के स्थान पर देश की परम्पराओं के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया बनानी चाहिये। यदि राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये तो देश में विद्यमान बहुत सी बुराइयां दूर की जा सकती हैं।

हमें प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सरल बनानी चाहिये। इस समय राजनीतिज्ञों, प्रशासकों तथा बुद्धिजीवी व्यक्तियों आदि ने अपने आप को जनता से अलग कर दिया है। वे जनसाधारण की शिकायतों तथा कठिनाइयों में भाग लेना नहीं चाहते और एक विशेष अवस्था में रहना चाहते हैं। वे जनता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं परन्तु जब किसी के निजी हित का प्रश्न आता है तो वह इन सभी बातों की पूर्ण अवहेलना करते हैं। शिक्षा नीति में सुधार करना तथा ग्राम से केन्द्र तक सभी स्तरों पर समितियों द्वारा लोगों से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है। हम लोगों का सहयोग केवल तब ही प्राप्त कर सकते हैं।

राजनैतिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण द्वारा हम प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सरल बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम गांधीजी के विचारों के अनुसार सोचें। यदि हम संसद सदस्यों को सरकार के सभी विभागों के साथ सम्बन्धित करें और उन्हें फाइलें देखने की अनुमति दें तो कई बुराइयां दूर की जा सकती हैं तथा शिकायतें दूर की जा सकती हैं। यदि राजधानियों, जिलों और छोटे उपनगरों और ग्रामों में प्रतिनिधि समितियों को सरकार की वितरण नीति से सम्बन्धित किया जाये तो जमाखोरी, चोर बाजारी और अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न का त्रुटिपूर्ण वितरण रोका जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अब श्रमिक, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के श्रमिक चाहते हैं कि उद्योग के सभी मामलों के निर्णयों में उनका हाथ हो। प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिये। गृह-कार्य मंत्री का मजदूरों की मांगों के प्रति रवैया सदा सहानुभूतिपूर्वक रहा है। इसलिए, विरोधी सदस्यों को उनके विरुद्ध प्रचार नहीं करना चाहिये।

मैं अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि हिन्दी के बहुत से समर्थक इस मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ने के पक्ष में हैं। हम हिन्दी को केवल तभी राजभाषा बनाना चाहते हैं जब अहिन्दी भाषी लोग इस के लिए तैयार हों। इसलिए, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहियें। ऐसा केवल भाषा को सरल बनाकर ही किया जा सकता है। हमें यह भी अनुभव रखना चाहिये कि दक्षिणी राज्यों अथवा दक्षिण के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उनकी भाषाय सीख कर ही हम हिन्दी को लोकप्रिय बना सकते हैं। प्रदेशवार के आधार पर देश में की गई विभिन्न मांगों को खतरनाक नहीं समझना चाहिये। कुछ लोगों की स्वायत्तता की मांग स्वाभाविक है। हमें भविष्य में 50 से 60 तक प्रान्त बनाने के बारे में विचार करना पड़ सकता है। यह विचित्र बात है कि हमारे देश के अन्दर 16 राज्य है। हमने उन्हें बहुत अधिक अधिकार दे रखे हैं। क्यों न उन में से कुछ अधिकार समाप्त करके इन 50 अथवा 60 प्रांतों को

[श्री महेशदत्त मिश्र]

अधिक लोकतंत्रात्मक बना कर पांच अथवा छः खण्ड बनाये जायें। मैं इस बात पर पुनः बल देता हूं कि देश में शक्ति का विकेन्द्रीकरण किये बिना हम लोकतन्त्र को नहीं बचा सकते।

डा० सरादीश राय (कटवा) : गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन की पहली पंक्ति में यह लिखा है कि गृह-कार्य मंत्रालय को ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए, जिनके अन्तर्गत लोकतन्त्र पनप सके, महत्वपूर्ण कार्य करना है। यदि वास्तव में देश में लोकतन्त्र पनपा हो, तो हम इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करेंगे परन्तु हम देखते हैं कि गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने केरल में लोक तन्त्र का नाश कर दिया है। कांग्रेस दल वहां पर कांग्रेस की स्थिति स्थिर बनाने के लिए राष्ट्रपति के शासन के अधीन प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने विरोधी कांग्रेसियों को अपने पक्ष में करने के लिए एक माने हुये साम्प्रदायिक व्यक्ति को पद्मभूषण की उपाधि दी है।

कल गृह-कार्य मंत्री ने आपात तथा भारत रक्षा नियम बनाये रखने के बारे में वक्तव्य दिया है। उससे हमें बहुत निराशा हुई है। मैं अनुभव करता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आपात की स्थिति बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर आग्रह करता हूं कि सरकार इस मामले पर पुनः विचार करे और आपात की स्थिति तथा भारत रक्षा नियम समाप्त करे। उन नियमों के अन्तर्गत विधायकों और संसद् सदस्यों को भी अधिकारियों द्वारा पकड़ा तथा नजरबन्द कर दिया गया है। ऐसा दिखाई देता है कि इन नियमों का उपयोग देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस दल की सुरक्षा के लिए किया गया है।

मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और 16 मास के बाद मैं कल ही यहां आया हूं। बंगाल में एक पंचायत परिषद के प्रधान को, जिसने चुनाव में एक कांग्रेसी को पराजित किया था, पश्चिमी बंगाल से बिहार में खाद्य अवैध रूप से ले जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और तीन चार दिन के बाद उसे इस आश्वासन पर छोड़ दिया गया कि वह किसी कांग्रेसी का विरोध नहीं करेगा और कांग्रसी उम्मीदवार को मत देगा।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

पश्चिमी बंगाल में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत अपराधों के कारण नजरबन्द व्यक्तियों को 6 अप्रैल अर्थात् हड़ताल से पहले इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वे कांग्रस के स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करेंगे और हड़ताल रोकने में सहायता करेंगे। सरकार ने न्यायालयों से रिहा हुये व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा। एक संसद सदस्य द्वारा सभा में दिये गये टाईप भाषण को भी पुलिस ने उस समय रोक लिया था जब कि वह जेल में थे, दिल्ली के चिड़िया घर में पशुओं के लिए खसखस की टट्टियों की व्यवस्था की गई है परन्तु तिहाड़ जेल में कैदियों को चिकित्सा की सुविधायें भी नहीं दी जाती है। पिछले वर्ष वहां गरमी के कारण एक महिला बन्दी की मृत्यु हो गई। जेलों में बहुत से वृद्ध व्यक्ति हैं। वे चल भी नहीं सकते।

श्रीमती सावित्री निगम : हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि देश के सामने कठिन परिस्थितिया हैं। देश सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर है। सीमा पर गुप्तचरों, विद्रोहियों तथा पाकिस्तानी एजंटों की गतिविधियां बढ़ी हुई है। विधि तथा व्यवस्था की समस्या बहुत जटिल है। यदि पूर्वोपाय किये जायें तो स्थिति के और खराब होने की बजाये बहुत सी कठिन स्थितियों से बचा जा सकता है। दिल्ली में पूर्वोपाय करने के कारण दिल्ली बन्द के समय कोई घटना नहीं हुई जबकि कलकत्ता में बहुत सी जानें गईं और सम्पत्ति नष्ट की गई। क्योंकि दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने अपनी दूरदर्शिता से काम लिया इसलिये बन्द सफल नहीं हो सका। यदि पूर्वोपाय किये जाते तो स्थिति और खराब न होती और अनेक कठिनाइयों से बचा जा सकता था।

मैं भारत प्रतिरक्षा नियमों के बारे में निर्णय का स्वागत करती हूं क्योंकि मैं सीमान्त क्षेत्रों के बारे में विशेषरूप से उनकी आवश्यकता समझती हूं।

सेवाओं में बहुत असंतोष है। असंतोष का कारण बढ़ते हुए मूल्य है। श्रेणी दो, तीन और चार के कर्मचारियों की हालत तो बहुत ही खराब है। उनको स्थान स्थान पर पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। कहीं राशन के लिय, तो कहीं बस के लिये। फिर उनको यह अपमान भी सहना पड़ता है कि वह सरकारी कर्मचारी हैं, वे भ्रष्ट हैं, अयोग्य हैं। उनकी पदोन्नति के मामले में बहुत पक्षपात किया जाता है। विभागीय पदोन्नति संबंधी समितियां केवल खुशामदी लोगों को ही पदोन्नति देती ह। जो योग्य व्यक्ति होते है उनको पदोन्नति नहीं मिलती है। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिये। विभागीय पदोन्नति संबंधी समितियों को समाप्त किया जाना चाहिये।

यदि मंत्री महोदय विधि तथा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्रों की अपेक्षा न हो। यदि पिछड़े क्षत्रों के सुधार के लिये संयुक्त राज्य परिषदें बनाई जायें तो बिना किसी विलम्ब के बहुत अधिक सुधार किया जा सकता है। बुन्देलखण्ड में जल की बहुत कमी है। लगभग 4 वर्ष पूर्व योजना आयोग ने उस क्षेत्र के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये 4 करोड़ रुपये दिये थे परन्तु मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग न मिलने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही न की गई तो मुझे डर है कि कहीं पृथक बुन्देलखंड सूबे की मांग न शुरू हो जाये। इसलिये, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि पिछड़े क्षेत्रों पर उचित ध्यान देने के लिये वह तुरन्त कार्यवाही करें। केवल तब ही लोकतन्त्र को बढ़ावा मिलेगा और विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा।

श्री बसुमतारी (गोलपाड़ा) : भारत प्रतिरक्षा नियमों के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। इन नियमों का उद्देश्य है समाजविरोधी तत्वों को दबाना। हो सकता है कि किसी स्थान पर भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग किया गया हो। परन्तु सभी कानूनों का कभी न कभी दुरुपयोग होता है, तो क्या हमें उन सब कानूनों को समाप्त कर देना चाहिये ?

हम सब से कह रहे थे कि भारत सरकार को चाहिये कि वह नेफा प्रशासन को गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत ले आये। इसका यह अर्थ नहीं है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस कार्य के लिये सक्षम नहीं है। परन्तु बात यह है कि यदि नेफा को विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाता है तो लोगों में कुछ ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि यह किसी दूसरे देश का हिस्सा है। अब इसे गृह मंत्रालय के अन्तर्गत ले लिया गया है।

मने नेफा के पांचों जिलों का भ्रमण किया है और वहां मैं विभिन्न जातियों के लोगों से मिला हुं। वहां के आदिम जातीय लोग अधिकारियों की उपस्थिति में आसामी भा। में बातचीत करते हुए हिचकिचाते हैं। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां के अधिकारी नहीं चाहते कि वे आसामी में बोल। वहां पर बाहर के जो गैर आसामी लोग हैं वे अपने आपको ऊंचे समझते हैं और अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह एक खतरनाक चीज है। माननीय गृह मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करें कि यह हमारे नियन्त्रण से बाहर न हो जाय जसे कि मिजो और नागालैन्ड अलग होने की धमकी दे रहे।

श्री फ्रैंक एन्थनी का यह कहना उचित नहीं है कि आसाम के लोग अल्प संख्यकों तथा बाहर के लोगों को सहन नहीं कर सकते हैं। वहां पर सभी प्रकार के लोग हैं जो भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं और भिन्न भिन्न कपड़े पहनते हैं। यह एक रंगीन राज्य है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अपने अलग अस्तित्व का दावा कर सके। अतः पहाड़ी लोगों के लिये वहां पर एक अलग राज्य बनाने का बिल्कुल कोई आधार नहीं है।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य सब मंत्रालयों के कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन का भार इसी पर है । जब तक प्रशासन में ईमानदारी और कार्य कुशलता नहीं होगी तब तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है । माननीय गृह मंत्री ने दो वर्षों में प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था शायद वह अब संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, यद्यपि एक कांग्रेसी महिला सदस्य ने अभी कहा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोल-बोला है। योग्यता और इमानदारी दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध है। जब तक लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे उनमें योग्यता नही आ सकती। श्री कृष्ण मेनन के अनुसार हमारे दफ्तरों में एक व्यक्ति औसत तौर पर प्रतिदिन 2½ घंट काम करता है । जब तक कार्यकुशलता तथा इमानदारी से काम नहीं होगा तब तक हमारी योजनाएं सफल नहीं होंगी और उनकी लागत भी उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी।

विधि तथा व्यवस्था को स्थापित करने का काम भी इसी मंत्रालय का है और यह बड़े खेद की बात है कि इस प्रयोजन के लिये इस देश में आम सेना से काम लिया जाता है । उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में भी इस मंत्रालय ने योग्यता से काम नहीं लिया है । भारतीय लोगों का कुछ वर्ष पहले न्यायपालिका में जो विश्वास था वह अब उठता जा रहा है । विधि तथा व्यवस्था के नाम पर सरकार हमें दूसरी सिविल स्वाधीनताओं से वंचित करती रही है । द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने में किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश ने भारत प्रतिरक्षा नियमों जसा कोई कानन बनाना आवश्यक नहीं समझा । और आजकल के शांतिपूर्ण समय में सरकार कहती है कि भारत रक्षा नियम आवश्यक हैं । भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में यह कहा गया है कि इनका उचित प्रयोग नहीं किया जाता है ।

अब यह कहा जाता है कि इन नियमों का प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जायेगा । कम से कम 10,000 घुसपैठिये काश्मीर घाटी में घुस आये और श्रीनगर के हवाई अड्डे तक वे पहुंच गये ; परन्तु हमारी सरकार को इसका पता तक नहीं चला । सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां इन नियमों की अधिक आवश्यकता है, इनका प्रयोग इस प्रकार से किया जा रहा है ।

आसाम के पास पूर्वी सीमा पर मिज़ो लोगों ने एक सेना जमा कर ली है और उसके पास विश्व के नवीनतम हथियार हैं । यह कहा जाता है कि इन हथियारों को बाहर से लाया जा रहा है और फिर भी हमारा गृह मंत्रालय सो रहा है । यह है हमारे गृह मंत्रालय की योग्यता । सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि यह उन लोगों को भी न पकड़ सकी जिनके पास आसाम में रेलवे विस्फोट के बारे में अपराध सम्बन्धी कागज़ात पाये गये थे । दिमाग के बगैर तो सरकार चल सकती है परन्तु शक्ति के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती। हमारी सरकार चोर और डाकुओं को पकड़ने में असमर्थ है; यह तो केवल ईमानदार लोगों को ही पकड़ सकती है ।

बस्तर में जो कुछ हुआ उससे भी विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है । वहां पर जलियांवला बाग की तरह का गोलीकांड हुआ फिर भी जांच के साथ उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी सरकार शामिल करने के लिये तैयार नहीं है । उस राज्य के मुख्य मंत्री के कहने के कारण गृह-कार्य मंत्री ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया । सरकार कहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाना चाहिये और आन्तरिक मामलों को गोलियों द्वारा सुलझाया जाना चाहिये । बस्तर की दुर्घटना सरकार के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग है ।

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । म जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि दिल्ली के सदस्यों को इन मांगों पर चर्चा में भाग नहीं लेने दिया जाता है ?

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपनी जगह पर नहीं थे। यदि समय रहा तो आपको अवसर दे दिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : सभापति महोदय, मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले वर्ष हमें एक से अधिक बार आक्रमण का सामना करना पड़ा। हमें देश के अन्दर असुरक्षा तथा देश के कुछ भागों में विद्रोह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मेरा विश्वास है कि मंत्रालय ने अपनी ज़िम्मेदारियां प्रशंसनीय रूप से निभाई हैं।

भारत जैसे विशाल देश में किसी के लिये यह आशा करना संभव नहीं है कि भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई को लोकतन्त्रात्मक साधनों द्वारा 24 महीनों के अन्दर दूर किया जा सकता है। हमें देखना इस बात को है कि क्या सरकारने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये स्पष्ट उपाय किये हैं या नहीं। सरकारने सन्थानम समिति को नियुक्त किया और उसकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया है। उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का पता लगाने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये कार्यवाही की गई है। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के प्रश्न की जांच कई समितियों द्वारा कराई गई है। गत वर्ष के दौरान सरकारने उन समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही भी की है। एक सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया है और उस आयोग के प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा भी हुई थी। राज्यों में भी सतर्कता आयोग नियुक्त किये गये हैं।

जहां तक इस देश में प्रशासन की हालत का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों के जमाने की है और इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकारने इस प्रयोजन के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किया है। आयोग में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनकी सत्यनिष्ठा और जिनके अनुभव पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मुझे विश्वास है कि इस आयोग का प्रतिवेदन आने पर इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये जोर शोर से कार्यवाही की जायेगी। प्रशासकों की दक्षता तथा सक्षमता में वृद्धि करने, भ्रष्टाचार समाप्त करने और विलम्ब दूर करने के अतिरिक्त प्रशासकों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है ताकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा जनता का अपमान न हो। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक शिकायतों सम्बन्धी आयुक्त की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

माननीय सदस्य श्री जी० भ० कृपालानी ने कहा कि संसार के किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम जैसा कानून पास नहीं किया गया। जब युद्ध जारी था तो ब्रिटेन में भी "डिफेंस आफ दी ऐल्म एक्ट" था। अतः ऐसी बात नहीं है कि लोक तन्त्रात्मक देशों ने ऐसा कानून पास नहीं किया है।

यह प्रभाव डालने का प्रयत्न किया गया है कि सरकार तथा गृह-कार्य मंत्री भारत रक्षा अधिनियम जैसे कड़े कानून को जारी रखने के इच्छुक है। यह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस दल के सदस्यों को आवश्यकता न होने पर यह अधिनियम जारी रखने पर बहुत बड़ी आपत्ति है। परन्तु लोकतंत्र में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उसकी रक्षा के लिए कड़ी कार्यवाही करनी अनिवार्य हो जाती है। यदि सरकार किसी विरोधी दल के हाथ में होती तो युद्ध तथा अशांति के समय वे भी ऐसा हो करते। जब विदेशी आक्रमण हो तथा इस बात के प्रमाण हो कि संचार व्यवस्था भंग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है जिन में देश की रक्षा न की जा सके तो सरकार के लिए ऐसी असाधारण परिस्थितियों में यह अनिवार्य है कि समाज को तथा देश को सन्देह का लाभ दिया जाये।

मुझ से पहले कई सदस्यों ने नागालैण्ड, मिज़ो पहाड़ियों तथा अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियों का उल्लेख किया है। यदि नागालैण्ड में कुछ शांति है तो उसका कारण यह नहीं है कि अधिकारियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है बल्कि उसका कारण यह है कि अधिकारियों के साथ कोई अस्पष्ट समझौता हो गया है। शांति मिशन शांति स्थापित नहीं कर सका है। भारत सरकार द्वारा युद्ध

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

विराम के एकपक्षीय पालन के कारण नागा विद्रोही स्थिति का लाभ उठाने के योग्य हो गये हैं और इस कारण यह समस्या अन्य क्षेत्रों तक फल गई है। अब समय आ गया है जबकि हमें पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये। सब प्रकार के पहाड़ी तथा आदिवासी लोगों के लिये हमें एक ही स्तर स्थापित करना चाहिये। आवश्यकता हो तो कड़ा रवैया अपनाना चाहिए जिससे कि लोग जान ले कि हमारी नीति में अनिश्चितता बिल्कुल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागालैण्ड में जो कुछ हुआ है वह अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो सकता हैं। हमें मिजो हिल्स की समस्या को सुलझाना चाहिये। हमें देश की अखण्डता को प्रत्येक अवस्था में बनाये रखना है इस लिये आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस स्थिति से निपटने के लिये साहस और दृढ़ता से काम लेंगे।

श्री बदरुजा (मुर्शिदाबाद): पिछले कुछ सप्ताहों में दिये गये आश्वासनों, विशेषकर प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के पश्चात कि आपात की स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को हटा दिया जायेगा, गृह कार्य मंत्री से यह सुन कर बड़ा दुख हुआ है कि भारत रक्षा नियमों को सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी रखा जायेगा परन्तु इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जायेगा।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कई निर्दोष मुसलमानों को नज़रबन्द कर दिया गया है। 90 प्रतिशत मुसलमान कांग्रेस के समर्थक हैं। कई बूढ़े व्यक्तियों को भी नजरबन्द किया गया है। उनका इसके अतिरिक्त अन्य कोई दोष नहीं कि वे मुसलमान हैं। एक चोर, डाकू तथा कातिल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है परन्तु इस देश के आदरणीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

धर्म निरपेक्षता एक धोखा है। देश की अखंडता तथा एकता के नाम पर अल्पसख्यंक लोगों का, विशषकर मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। मैंने सदैव भारत की एकता की वकालत की है।

स्वाधीनता के 18 वर्षों में अंग्रेजी शासन के 150 वर्षों से भी अधिक बार पुलिस ने गोली चलाई है। इसमें हजारों निर्दोष व्यक्ति मारे गये हैं।

कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू, आचार्य कृपलानी तथा गृह-कार्य मंत्री के लिय जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर गड़बड़ का दमन किया है मेरे दिल में बहुत मान है। परन्तु भारत में वास्तव में अल्पसंख्यक लोगों की हालत क्या है? इन को भारत में लगातार परेशान किया जा रहा है चाहे ये धार्मिक, भाषायी अथवा राजनैतिक अल्पसंख्यक समुदाय ही के लोग क्यों न हों। जहां तक राजनैतिक अल्प संख्यक लोगों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि वामपक्ष के हजारों साम्यवादियों को इस गलत दलील पर गिरफ्तार किया गया था कि उनका चीन के साथ गठजोड़ है। इनमें सर्वश्री गोपालन तथा ज्योति बसु जैसे आदरणीय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप हैं तो उनको न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाना चाहिये तथा इन आरोपों को सिद्ध किया जाना चाहिये। परन्तु सच यह है कि उनको बिना कुछ आरोप लगाये नजर बन्द कर दिया गया है। लोकतन्त्र में ऐसा करना उचित नहीं है।

कल कुछ माननीय मित्रों ने कहा था कि हमें चीन के साथ समझौते के लिये द्वार बन्द नहीं करना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं और इस बारे में कांग्रेस की नीति की सराहना करता हूं कि सीमा सम्बन्धी सभी झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाना चाहिये। राजाजी, आचार्य कृपलानी तथा अरविन्द घोष जैसे व्यक्तियों द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी हमने बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम असफल रहे हैं। साम्यवाद समूचे विश्व में फैल रहा है। इसलिये हमें परिवर्तित परिस्थितियों

में गुटों से अलग रहने की अपनी नीति पर विचार करना चाहिये। पाकिस्तान चीन के साथ सम्बन्ध बढ़ा रहा है और हम अमरीका के साथ। अमरीका से हम प्रत्येक प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहें हैं।

जहां तक धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का सम्बन्ध है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। यहां तक कि यदि किसी मुसलमान को अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना है तो उसको नागरिकता का प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता है। यही नहीं नियुक्तियों, लाइसेंस देने तथा कर निर्धारण के मामले में भी मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कर चोरों को दण्ड दिया जाना चाहिये परन्तु हिन्दु तथा मुसलमान में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में लगभग 10,000 पाकिस्तानी नागरिकों को जो कि उस समय वहां रह रहे थे विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया था। परन्तु किसी भी हिन्दु को छुआ तक नहीं गया था। मैं भारत के प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के मन से शंका तथा अविश्वास को दूर करें और उनमें विश्वास उत्पन्न करें।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मुझे आशा है कि श्री बदरूद्दुजा ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए न केवल गृह-कार्य मंत्रालय बल्कि समस्त सरकार इस बात को ध्यान रखेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख अथवा असुविधा न हो। हम एक राष्ट्र के रूप में इसी एक सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। मुर्शिदाबाद का जिला अन्तरीय विभाजन के समय पाकिस्तान को दे दिया गया था और खुलना का क्षेत्र भारत को दिया गया था। परन्तु रैडक्लिफ पंचाट के अन्तर्गत मुर्शिदाबाद का जिला भारत को तथा खुलना का जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके पश्चात यह हुआ कि खुलना से हिन्दु बहुसंख्य को पूरी तरह निकाल दिया गया परन्तु मुर्शिदाबाद में अब भी मुसलमानों का ही बहुमत है। **(अन्तर्बाधा)** यह हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है। **(अन्तर्बाधा)** हम ईमानदारी से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर ही कार्य कर रहे हैं। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि महात्मा गांधी ने अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों, सम्पत्ति तथा जीवन की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहां विभाजन के जिम्मेदार किसी भी नेता ने वहां पर अल्पसंख्यक लोगों की सम्पत्ति तथा जीवन की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। भारत में न केवल कांग्रेस बल्कि सभी दलों ने अल्पसंख्यक लोगों के संरक्षण की शपथ ले रखी है। मैं ऐसे राज्य का रहने वाला हूं जहां पाकिस्तान में होने वाली बुराइयों के प्रभाव का अधिक बोझ पड़ता है। पिछले 20 वर्षों से लगातार शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं। वहां से आने के पश्चात ये लोग अपने दुख, तकलीफ की कहानियां सुनाते है और उन कहानियों को सुनकर तथा उनकी दशा को देखकर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। इसी कारण यहां भी हिंसा की कुछ कार्यवाहियां हुई हैं परन्तु मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने वहां की स्थिति से निपटने के लिये कितनी कठोर कार्यवाही की है। इस के लिये कांग्रेस पर आरोप लगाये गये थे कि कांग्रेस ने उन्हीं लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है जिनके घर तथा सम्पत्ति छीन ली गई है। मैं इस आरोप का कठोरता से विरोध करता हूं कि अल्प संख्यक लोगों के विरुद्ध हुई हिंसात्मक कार्यवाही में हमारी संसद अथवा सरकार का कोई हाथ था। अल्पसंख्यक लोगों के साथ इस देश में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस बात के साक्षी हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। न केवल उनकी भाषा बल्कि उनकी संस्कृति की, प्रत्येक चीज की रक्षा की गई है। ऐसे उदाहरण किसी दूसरे देश में तथा किसी दूसरे देश के संविधान में देखने को नहीं मिलते।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अल्पसंख्यक लोगों के बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किये जाने पर सर्वप्रथम मैंने ही विरोध किया था। मुझे यह बताया गया है कि यदि भविष्य में

[श्री अ० कु० सेन]

हमें ऐसे ही संकट का सामना हुआ तो प्रत्येक मामले की जांच के लिये एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण स्थापित किया जायेगा। गृह-कार्य मंत्री द्वारा भारत रक्षा नियमों में कुछ ढील दिये जाने के बारे में घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करेगा। यदि हमारे संविधान में कोई ऐसी बात है कि आपात को देश के किसी एक भाग में लागू नहीं किया जा सकता चाहे वहां पर स्थिति कितनी भी गम्भीर क्यों न हो तो मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है जब कि हमें संविधान में उचित संशोधन करना चाहिये जिससे आपात की स्थिति को देश के किसी एक भाग में लागू किया जा सके।

हमारी सैंट्रल रिजर्व पुलिस के कुछ व्यक्तियों को नागालैंड में निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर उनका मुकदमा इस आधार पर हो रहा है कि नागालैंड में भारत की दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। हमारे गृह-कार्य मंत्रालय को कानून में उचित संशोधन करना चाहिये जिससे कि नागालैंड तथा दूसरे क्षेत्रों में देश की रक्षा हेतु जाने वाले पुलिस सेना तथा प्रशासन के व्यक्तियों का इस प्रकार के मुकदमों से बचाव हो सके। संसद द्वारा तुरन्त एक अध्यादेश पारित किया जाना चाहिये जिससे उन लोगों को नागालैंड से बाहर उचित दण्डाधीशों के अधीन जो कि न्यायिक अधिकारी हो, मुकदमें में सफाई पेश करने का उचित अवसर मिल सके।

जब सामान्य शक्तियों का ही इन क्षेत्रों में उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो, आपात की स्थिति बनाये रखने का कोई लाभ नहीं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि हमारी सुरक्षा सेनाएं अपनी चौकियों से 12 गज की दूरी से आगे नहीं जा सकती हैं और दूसरी ओर छिपे हुए नागा खुलेआम घुम फिर रहे हैं, लोगों से कर वसूल कर रहे तथा पड़ोसी राज्य से हथियार ले रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आपात की समाप्ति के साथ साथ, इन क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिये असाधारण शक्तियां सरकार को दी जानी चाहिये। इसलिये विशेष क्षेत्रों में आपात की स्थिति को बनाये रखना चाहिये।

हमारा यह अनुभव है कि 1950 में संविधान के अन्तर्गत न्यायाधीशों के लिए निर्धारित वेतन मूल्य में वृद्धि तथा करों में वृद्धि के कारण बहुत कम हो गये हैं। हाल ही में न्यायाधीश के पद के लिए चुने गये कुछ योग्य व्यक्तियों ने पद स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। ऐसा पहले नहीं होता था। इसलिए मेरे विचार में इस समस्या के अध्ययन का समय आ गया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय इस विषय की तुरन्त जांच करेगा। न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। केवल तभी हम उच्च न्यायालयों की परम्परायें तथा स्वतंत्रता बनाये रख सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : It may not be legally objectionable if any memoer of a family in India is married to any person in Pakistan but it becomes shocking when such relationship is given preference to the interest of the nation. Ever since there has been a treaty between China and Pakistan. Left Communits and Communalists have come nearer.

While opposing the 1961 census being made the basis of unfortunate partition of Punjab, Sardar Kapur Singh said that it has a communal bias. The Akalis demand that those census should not form the basis of reorganisation.

If they are against making 1961 census as the basis, they should be prepared for a fresh census being made in Punjab on the basis of language or wait till 1971 when new census takes place. Nobody can compel any person to declare his

language. It is for him to say what his mother tongue is. If the Government continues to adopt vacillating policy and if she bows down before the Akalis on the question of 1961 census, it will have serious repercussions in the country. If the Government commits any such mistake, the people of Punjab will have to suffer the consequences.

The indifferent attitude of the Ministry towards Hindi is evident in the reports. Important subjects have been given seperate headings but Hindi has been given a place under the heading "Other Subjects". The observations made in the report about the use of Hindi for administrative purposes is in conflict with the provisions of official Languages Act, which was passed by the Parliament.

I am one with those members who pleaded for looking after the interests of those States which cannot carry on work in Hindi. In this connection the States may be divided into three categories *i.e.* Hindi-Speaking States, semi-Hindi-Speaking States and non-Hindi-Speaking States. A suitable programme should be devised for those categories so that we could switch over from English to Hindi. It is really unfortunate that English is becoming increasingly popular although Hindi should have become the language of the country after 1965. Those who have learnt Hindi, do not work in that language. Ministry of Home Affairs is responsible for that.

It is regrettable that Defence of India Rules are being used against honest and nationalist elements in the country and not against the persons who indulge in anti-social, immoral and anti-national activities. There are several cases in Jammu and Kashmir in which those rules have been misused. A person named Bhim Singh was arrested because he protested against the text-books containing praises for Chinese leaders.

Thousands of infiltrators came to Jammu and Kashmir before conflict with Pakistan but uptill now the Government has not been able to fix the responsibility and say whether Kashmir Government or Ministry of Home Affairs or Ministry of Defence is responsible for such negligence. The Government should state the steps being taken to guard against the activities of such persons who are returning to Kashmir after getting their training in Pakistan, where they had gone during the conflict between India and Pakistan.

Shri Fakhruddin Ali Ahmed said in Patna that nearly 10 lakh Pakistanis are living in the eastern States of India.

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): I had said that from 1961 census it appears that there is an increase in the population of Indian Muslims by 10 lakhs whereas there is a decrease of 10 lakhs in the population of Pakistani Muslims, but it cannot be said how many Pakistani Muslims are living in India without Passport.

Shri Prakash Vir Shastri : This supports my contention. The country can rightly ask the Home Minister regarding arrangements being made for the safety of the country. If the Chief Ministers continue to exert so much influence, the Ministry of Home Affairs or any other Ministry cannot carry on its responsibility as efficiently as it should.

अन्तर्राज्य नदी जल विवादों के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं 3 मार्च, 1966 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर के बारे में आध घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं।

[श्री श्यामलाल सराफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

Shri Onkar Lal Berwa : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा कल तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1966/9 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, April 29, 1966/ *Vaisakha* 9, 1888 (*Saka*).

GIPN—S4 -65 Lok Sabha/66—25-9-67—565